मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 4 के अंतर्गत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपने पत्र संख्या SEBI/HO/MRD/MRD-RAC-1/P/OW/2025/000026134/1 दिनांक 07 अक्टूबर 2025 के माध्यम से, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (MCX and Exchange) के नियमों (Rules) में संशोधन को, जो एक्सचेंज द्वारा अपने पत्र संख्या MCX/SEBI-001/CCO/2025 दिनांक 03 जून 2025 के माध्यम से प्रस्तावित किया गया था, स्वीकृति प्रदान की है।

सेबी द्वारा स्वीकृत एक्सचेंज के नियमों में संशोधन निम्नलिखित हैं तथा ये संशोधन भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होंगे ।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के नियम

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 7क के साथ पठित धारा 4(5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पूर्व मंजूरी के साथ मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :–

1. प्रस्तावना

क. इन नियमों को 'मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई के नियम' के रूप में जाना जाएगा और इन्हें संक्षिप्तता और सुविधा के लिए, यहां "इन नियमों" या "एक्सचेंज के नियमों" के रूप में जाना जाएगा।

ख. ये नियम मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई के शासी बोर्ड {इसके बाद इसे "एक्सचेंज" या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड {इसके बाद इसे "सेबी" कहा जाएगा} ऐसी तारीख से लागू होंगे जिसके संबंध में नियुक्त और सूचित कर सकता है।

ग. ये नियम प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (बाद में एससीआरए के रूप में संदर्भित) और उसके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (इसके बाद सेबी के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों के और एक्सचेंज की उप–विधियों के तहत बनाए गए नियम एवं विनियम अतिरिक्त होंगे। इन नियमों को हर समय एससीआरए के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों और सेबी अधिनियम तथा समय–समय पर भारत सरकार और/या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा समय–समय पर जारी किए गए मानदंड और परिपत्र एवं एक्सचेंज की उप–विधियों पर जारी संशोधित नियमों और विनियमों तथा नियमों, विनियमों, निर्देशों, आदेशों, दिशानिर्देशों के अधीन पढ़ा जाएगा।

घ. एक्सचेंज के किसी भी नियम के प्रावधानों और एससीआरए या सेबी अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रावधानों के बीच अंतर के मामले में, एससीआरए या सेबी अधिनियम के प्रावधान या उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम मान्य होंगे।

Classification: Confidential

2. परिभाषाएं

नीचे न कवर की गई परिभाषाएं एक्सचेंज की व्याख्या या प्रबंधन के उद्देश्य से एक्सचेंज के अनुच्छेदों या उप–विधियों से ली जाएंगी और किसी भी विसंगति के मामले में, एक्सचेंज के बोर्ड द्वारा की जाने वाली व्याख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक्सचेंज से जुड़े सभी लोगों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगी।

क. किसी व्यक्ति के संबंध में "सहयोगी" में कोई अन्य व्यक्ति शामिल होगा :

(i) जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, स्वयं या अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर पहले व्यक्ति पर नियंत्रण रखता है;

(ii) जिसके पास पहले व्यक्ति की चुकता इक्विटी पूंजी में पंद्रह प्रतिशत से अधिक शेयर हों;

(iii) जो एक धारक कंपनी या प्रथम व्यक्ति की सहायक कंपनी है;

(iv) जो पहले व्यक्ति का रिश्तेदार है;

(v) जो एक हिंदू अविभाजित परिवार का सदस्य है जिसमें पहला व्यक्ति भी सदस्य है;

(vi) ऐसे अन्य मामले जहां सेबी का विचार है कि किसी व्यक्ति को नियंत्रण की सीमा, स्वतंत्रता, हितों के टकराव सहित तथ्यों और कारकों के आधार पर सहयोगी माना जाएगा।

ख. "आधार पूंजी" का अर्थ है और इसमें प्रारंभिक सुरक्षा जमा, अतिरिक्त सुरक्षा जमा, मार्जिन मनी, कोई अन्य क्रेडिट राशि, बैंक गारंटी और अन्य संपार्श्विक, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, आधार पूंजी का हिस्सा होने के लिए निर्दिष्ट है।

ग. "उप–विधि" का अर्थ एक्सचेंज की उप–विधि हैं।

घ. "नियंत्रण" में अधिकांश निदेशकों को नियुक्त करने या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से कार्य करने वाले प्रबंधन या नीतिगत निर्णयों को नियंत्रित करने का अधिकार शामिल होगा, जिसमें उनके शेयरधारिता या प्रबंधन अधिकारों या शेयर धारकों के समझौतों के आधारपर या मतदान समझौते या किसी अन्य तरीके से।

ड. "एक्सचेंज" का अर्थ मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड है।

च. एक्सचेंज के सदस्य के "परिवार के सदस्य" का अर्थ है, 'सदस्य के पिता या माता या पति या पत्नी या बेटा या बेटे या अविवाहित बेटी या बेटियां या बहू या बहू या पिता का भाई या भाई या बेटे या बेटे' बेटा या बेटे या भाई या भाई या अविवाहित बहन या बहनें या भाई या भाई के बेटे या बेटे।

छ. "एक्सचेंज के निष्क्रिय सदस्य" का अर्थ एक्सचेंज का वह सदस्य है जिसने एक वर्ष में एक दिन के लिए भी एक्सचेंज में कारोबार नहीं किया है।

ज. "लिखित रूप में'' या ''लिखित" में लिखावट, टाइपराइटिंग, मुद्रण, लिथोग्राफी, फैक्स, कंप्यूटर के माध्यम से डाउनलोड करना, ई–मेल और/या शब्दों को दृश्य रूप में प्रस्तुत करने या पुनः प्रस्तुत करने के अन्य तरीके शामिल हैं।

झ. "मल्टीपल ट्रेडिंग सदस्यता" का अर्थ है एक व्यक्ति, या एक साझेदारी फर्म या एलएलपी या एक कंपनी (जैसा कि कंपनी अधिनियम के तहत परिभाषित है) या एक कॉर्पोरेट निकाय या कोई अन्य इकाई, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, या अधिग्रहण, नियंत्रण की प्रक्रिया में है। किसी अन्य इकाई में जो उसी एक्सचेंज और/या एक्सचेंज का सदस्य है किसी अन्य एक्सचेंज का और इसमें शामिल होंगे :

i. एक्सचेंज का एक व्यक्तिगत सदस्य एक एक्सचेंज का सदस्य होने के नाते, दूसरे एक्सचेंज का भी सदस्य होता है, या

ii. एक व्यक्ति, एक एक्सचेंज का सदस्य होने के नाते, एक कंपनी/कॉर्पोरेट निकाय का नामित निदेशक/नामांकित व्यक्ति भी होता है, जो दूसरे एक्सचेंज का सदस्य होता है, या

iii. एक व्यक्ति, जो किसी कंपनी/कॉर्पोरेट निकाय का नामित निदेशक/नामांकित व्यक्ति है, जो एक एक्सचेंज का सदस्य है, जिसमें कम से कम दो नामित निदेशक/नामांकित हैं और नामित निदेशकों/नामांकित व्यक्तियों में से एक व्यक्तिगत रूप से किसी अन्य एक्सचेंज का सदस्य है, या

iv. एक व्यक्ति, एक कमोडिटी/स्टॉक एक्सचेंज का सदस्य होने के नाते या एक व्यक्ति, जो किसी कंपनी/कॉर्पोरेट निकाय का नामित निदेशक/नामांकित है, जो एक एक्सचेंज का सदस्य है, दूसरे एक्सचेंज की किसी साझेदारी फर्म में एक नामित भागीदार है।

ञ. "गैर–हस्तांतरणीय विशिष्ट वितरण संविदा" का अर्थ एक विशिष्ट वितरण संविदा है, अधिकार या देनदारियां जिसके तहत या किसी भी वितरण आदेश के तहत, रेलवे रसीद, लदान का बिल, गोदाम रसीद या उससे संबंधित शीर्षक के कोई अन्य दस्तावेज हस्तांतरणीय नहीं हैं।

Classification: Confidential

ट. "नोटिस बोर्ड" का तात्पर्य एक्सचेंज, वेबसाइट या समाचार के ट्रेडिंग सिस्टम पर प्रदर्शित बुलेटिन बोर्ड, बाजार समाचार और सूचना कोने और सदस्यों के ट्रेडिंग सिस्टम पर डाउनलोड/प्रसारित किए जाने वाले सर्कुलर, नोटिफिकेशन आदि से है।

ठ. "व्यक्ति" में एक व्यक्ति, साझेदारी फर्म, एलएलपी, कॉर्पोरेट निकाय, निगम, एक सहकारी समिति, व्यक्तियों का संघ, बैंक, वित्तीय संस्थान, सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन, वैधानिक निगम, एक सरकारी विभाग या गैर–सरकारी इकाई या ऐसी अन्य संस्था शामिल है या अन्य व्यक्ति जैसा कि बोर्ड समय–समय पर निर्णय ले सकता है।

ड. "व्यवसाय का स्थान" का अर्थ एक कार्यालय है जहां एक सदस्य वस्तुओं में लेनदेन के लिए एक वास्तविक व्यवसाय संचालित कर रहा है और जिसका पता आधिकारिक तौर पर एक्सचेंज को सूचित किया जाता है।

ढ. "तैयार डिलीवरी संविदा" का अर्थ एक संविदा है जो माल की डिलीवरी और उसके लिए कीमत का भुगतान या तो तुरंत, या संविदा की तारीख के बाद ग्यारह दिनों से अधिक की अवधि के भीतर और ऐसी शर्तों के अधीन प्रदान करता है जो केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कर सकती है, किसी भी सामान के संबंध में निर्दिष्ट करें, ऐसी संविदा के तहत अवधि जो पार्टियों की आपसी सहमति से या अन्यथा विस्तार करने में सक्षम नहीं है :
बशर्ते कि जहां ऐसी कोई संविदा पूर्णतः या आंशिक रूप से निष्पादित की जाती है;

i. संविदा दर और निपटान दर या समाशोधनद र या किसी ऑफसेटिंग संविदा की दर के बीच अंतर होने वाली किसी भी राशि की वसूली से; या

ii. किसी भी अन्य माध्यम से, और जिसके परिणामस्वरूप संविदा में शामिल वस्तुओं की वास्तविक निविदा या उसके लिए पूरी कीमत का भुगतान नहीं किया जाता है, तो ऐसी संविदा को तैयार डिलीवरी संविदा नहीं माना जाएगा;

ण. "एक्सचेंज के सदस्यों का रजिस्टर" का अर्थ वह रजिस्टर है जिसमें विभिन्न श्रेणियों के तहत एक्सचेंज के साथ पंजीकृत एक्सचेंज के सदस्यों के नाम और अन्य विवरण शामिल हैं।

त. "सम्बद्ध प्राधिकारी" का अर्थ है बोर्ड या कोई समिति या प्रबंध निदेशक या कोई ऐसा प्राधिकारी जिसे बोर्ड द्वारा समय–समय पर एक निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए सम्बद्ध के रूप में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

थ. "रिमिसियर" का अर्थ एक ऐसा व्यक्ति है, जिसे एक्सचेंज के सदस्य द्वारा मुख्य रूप से एक्सचेंज पर व्यापार के लिए सदस्य के लिए व्यवसाय की मांग करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

द. "नियम" का अर्थ एक्सचेंज की उप–विधियों में परिभाषित नियम हैं।

ध. "भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड" का अर्थ है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, अधिनियम 1992 की धारा 3 के तहत स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसे इसके बाद सेबी के रूप में जाना जाता है।

न. "विशिष्ट वितरण संविदा" का अर्थ एक वस्तु व्युत्पन्न है जो एक निर्दिष्ट भविष्य की अवधि के दौरान विशिष्ट गुणों या प्रकार के सामानों की वास्तविक डिलीवरी के लिए निर्धारित मूल्य पर या इस तरह सहमत तरीके से तय किए जाने का प्रावधान करता है और जिसमें दोनों खरीदार के नाम शामिल होते हैं और विक्रेता का उल्लेख किया गया है।

प. "हस्तांतरणीय विशिष्ट वितरण संविदा" का अर्थ एक विशिष्ट वितरण संविदा है जो एक गैर–हस्तांतरणीय विशिष्ट वितरण संविदा नहीं है और जो इसकी हस्तांतरणीयता से संबंधित ऐसी शर्तों के अधीन है जैसा कि केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है।

2क. **कुछ शब्दों और भावों की व्याख्या**

यहां प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां जो इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं, लेकिन एससीआरए और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों या सेबी अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों या एक्सचेंज की उप–विधियों में परिभाषित हैं, उनके क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उन्हें एक्सचेंज के अधिनियमों, नियमों और विनियमों, उप–विधियों में दिए गए हैं।

Classification: Confidential

3. एक्सचेंज का प्रबंधन

बोर्ड, ट्रेडिंग सदस्यों/क्लियरिंग सदस्यों द्वारा एक्सचेंज और कमोडिटी/सिक्योरिटी लेनदेन के संचालन को व्यवस्थित, रखरखाव, निससत्रण, प्रबंधन, विनियमन और सुविधा प्रदान कर सकता है – एससीआरए के प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम एवं सेबी अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम, और उसके तहत जारी किए गए कोई भी निर्देश या एक्सचेंज की उप–विधियां समय–समय पर निर्धारित की जा सकती हैं। बोर्ड, एसईसीसी विनियम 2018 के प्रावधानों और सेबी के दिशानिर्देशों/निर्देशों के अधीन, एक्सचेंज के मामलों के प्रबंधन के लिए समय–समय पर विभिन्न समितियों/पैनलों, सम्बद्ध प्राधिकरणों को नियुक्त करेगा।

निदेशक मंडल एक्सचेंज के दिन–प्रतिदिन के मामलों के प्रबंधन के लिए या सेबी द्वारा निर्धारित विशिष्ट मामले/उद्देश्य के लिए समय–समय पर समितियों ("समिति/यों") का गठन कर सकता है। ऐसी सभी समितियां सेबी/बोर्ड द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों/विनियमों में दिए गए प्रावधानों और इसके बाद बताए गए नियमों के अनुसार या एमसीएक्स के संगम अनुच्छेदों के अनुसार कार्य/संचालन करेंगी।

बोर्ड द्वारा नियुक्त समिति में ऐसे व्यक्ति शामिल होंगे जिन्हें सेबी/बोर्ड द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट किया जा सकता है।

किसी समिति के सदस्यों का कार्यकाल वैसा होगा जैसा समिति के मामले में, बोर्ड द्वारा और उप–समिति के मामले में, ऐसी उप–समिति का गठन करने वाली समिति द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

i. प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी

क. श्रएक्सचेंज का प्रबंध निदेशक एक्सचेंज का मुख्य कार्यकारी होगा और एक्सचेंज के दिन–प्रतिदिन के प्रबंधन और मामलों की देखभाल करेगा।

ख. प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी सभी सार्वजनिक मामलों में आधिकारिक तौर पर एक्सचेंज का प्रतिनिधित्व करेंगे।

ग. उपरोक्त प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रबंध निदेशक ऐसे कार्य करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो बोर्ड द्वारा प्रबंध निदेशक को सौंपी जा सकती हैं।

घ. एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक एसोसिएशन के लेखों, सेबी और बोर्ड के निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगे, जैसा कि बोर्ड उचित समझे, समय–समय पर निर्धारित कर सकता है।

ii. समिति की शक्तियां

बोर्ड समय–समय पर एक्सचेंज के सभी या किसी भी मामले का प्रबंधन करने के लिए और समय–समय पर समिति (ओं) को उसमें निहित शक्तियों को और ऐसी शर्तों पर, ऐसी सभी या किसी भी शक्ति को वापस लेना, बदलना या परिवर्तित करना, जो वह उचित समझे, सौंप सकता है। समिति के पास ऐसी जिम्मेदारियां और शक्तियां होंगी जो समय–समय पर बोर्ड द्वारा उसे सौंपी जाएंगी।

इस प्रकार गठित एक समिति, अपने संविधान के नियमों और शर्तों के अधीन, ऐसे उद्देश्यों के लिए ऐसी उप–समितियों का गठन कर सकती है जिन्हें वह उचित समझे। ऐसी उप–समिति (यों) का गठन, शक्तियां और जिम्मेदारियां उस समिति द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं जो ऐसी उप–समिति (यों) का गठन करती है।

समिति समय–समय पर प्रबंध निदेशक को अधिकृत कर सकती है या ऐसे अन्य व्यक्ति (ओं) को बोर्ड द्वारा उसे सौंपी

जिम्मेदारियों को पूरा करने और शक्तियों का निर्वहन करने के लिए इस संबंध में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार ऐसे कार्य, काम और कार्य करने होंगे।

iii. **समिति के सदस्य की अयोग्यता**

कोई भी व्यक्ति किसी समिति का सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि वह संगम अनुच्छेदों में दिए गए या बोर्ड या सेबी द्वारा निर्दिष्ट किसी अयोग्यता से ग्रस्त है। यदि समिति का कोई सदस्य ऐसी किसी अयोग्यता का सामना करता है, तो वास्तव में यह माना जाएगा कि उसने पद छोड़ दिया है, बशर्ते कि ऐसी समिति के सदस्य के रूप में ऐसे व्यक्ति द्वारा सद्भावनापूर्वक किया गया कोई भी कार्य केवल अमान्य नहीं किया जाएगा क्योंकि ऐसा कार्य, काम, बात या बात उसके द्वारा उसकी अयोग्यता के बाद की गई हो सकती है, लेकिन उसकी अयोग्यता के ज्ञान के बिना।

iv. **समिति की बैठकें**

समिति की बैठक का कोरम, आवृत्ति और प्रक्रिया आदि समय–समय पर सेबी द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार होगी।

v. **अध्यक्ष**

बोर्ड की पूर्व मंजूरी के अधीन, अध्यक्ष का चुनाव गवर्निंग बोर्ड द्वारा सार्वजनिक हित निदेशकों में से किया जाएगा। यह सेबी की मंजूरी के अधीन होगा।

4. एक्सचेंज की सदस्यता

i. बोर्ड एक्सचेंज पर व्यापार करने की अनुमति देने वाली विभिन्न वस्तुओं, प्रतिभूतियों या उपकरणों या डेरिवेटिव के लिए एक्सचेंज की सदस्यता को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है और विभिन्न श्रेणियों के सदस्यों को वस्तुएं, प्रतिभूतियां या उपकरण या उनसे प्राप्त डेरिवेटिव किसी भी वस्तु या समूह में संविदाओं के ट्रेड, समाशोधन और निपटान के लिए अलग–अलग अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान कर सकता है। एक्सचेंज की सदस्यता हासिल करने का इच्छुक व्यक्ति किसी भी श्रेणी की सदस्यता के लिए आवेदन कर सकता है, बशर्ते कि वह सदस्यता मानदंडों को पूरा करता हो। केवल पात्रता मानदंडों को पूरा करने से कोई आवेदक सदस्यता का हकदार नहीं हो जाता, सदस्यता समिति सदस्यता प्रदान करेगी।

ii. एक्सचेंज की सदस्यता एक्सचेंज के सदस्य को ऐसी सदस्यता से जुड़े ऐसे अधिकारों और विशेषाधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार देगी, जैसा कि वह विशेष रूप से एक्सचेंज पर लेनदेन के लिए लागू करता है, जो समय–समय पर लागू होने वाले एक्सचेंज की उप–विधियों, नियमों और विनियमों के अधीन है।

iii. व्यक्तियों पर लागू होने वाले एसोसिएशन के लेखों और उप–विधियों, नियमों और विनियमों के प्रावधान यथोचित परिवर्तनों के साथ उन फर्मों, एलएलपी, बैंकों, अन्य वित्तीय संस्थानों और कॉर्पोरेट निकायों पर लागू होंगे जो एक्सचेंज के सदस्य के रूप में पंजीकृत हैं।

iv. एक्सचेंज का कोई भी सदस्य अपनी सदस्यता के अधिकार या उससे जुड़े किसी भी अधिकार या विशेषाधिकार को आवंटित नहीं करेगा, रेहन नहीं रखेगा, गिरवी नहीं रखेगा, या शुल्क नहीं लेगा, और ऐसा कोई भी प्रयास एक्सचेंज के खिलाफ प्रभावी नहीं होगा। बोर्ड एक्सचेंज के किसी भी सदस्य को निष्कासित कर देगा जो इस नियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कार्य करता है या कार्य करने का प्रयास करता है।

v. एक्सचेंज के सदस्यता अधिकार उन नियमों और शर्तों के अधीन हस्तांतरणीय हैं जो इस संबंध में एक्सचेंज द्वारा समय–समय पर निर्धारित किए जा सकते हैं और एक्सचेंज की पूर्व मंजूरी के अधीन भी हैं।

vi. संबंधित अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ एक्सचेंज की सदस्यता की विभिन्न श्रेणियां होंगी जिनमें ट्रेडिंग–सह–क्लियरिंग सदस्य, संस्थागत क्लियरिंग सदस्य और समय–समय पर एक्सचेंज द्वारा परिभाषित अन्य वर्ग शामिल होंगे। वर्तमान में एक्सचेंज के विभिन्न प्रकार के सदस्य इस प्रकार हैं :

क. ट्रेडिंग–सह–क्लियरिंग सदस्य (टीसीएम)/सेल्फ–क्लियरिंग सदस्य (एससीएम)

ट्रेडिंग–सह–क्लियरिंग सदस्य/सेल्फ–क्लियरिंग सदस्य का मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जिसे एक्सचेंज द्वारा एक्सचेंज के सदस्य के रूप में भर्ती किया जाता है, जो क्लियरिंग कॉरपोरेशन के माध्यम से क्लियरिंग सदस्य के रूप में व्यापार और क्लियरिंग का अधिकार प्रदान करता है और जिसे सौदे करने की अनुमति दी जा सकती है। स्वयं के साथ–साथ अपने ग्राहकों की ओर से भी ऐसे सौदों को स्पष्ट और निपटारा करता है।

बशर्ते कि ऐसा ट्रेडिंग–सह–क्लियरिंग सदस्य/एक्सचेंज के सेल्फ–क्लियरिंग सदस्य को एक्सचेंज और/या सेबी द्वारा निर्दिष्ट तिथि से किसी मान्यता प्राप्त क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का सदस्य बनना आवश्यक होगा।

ख. संस्थागत समाशोधन सदस्य या व्यावसायिक समाशोधन सदस्य (पीसीएम)/समाशोधन सदस्य (सीएम)

संस्थागत समाशोधन सदस्य या व्यावसायिक समाशोधन सदस्य/समाशोधन सदस्य का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जिसे एक्सचेंज द्वारा एक्सचेंज और समाशोधन निगम के समाशोधन सदस्य के रूप में भर्ती किया गया है और जिसे केवल ट्रेडिंग–सह समाशोधन सदस्यों या ट्रेडिंग सदस्य के कारण ट्रेडों का समाशोधन करने और निपटान करने की अनुमति दी जाएगी।

बशर्ते कि ऐसे संस्थागत समाशोधन सदस्य या व्यावसायिक समाशोधन सदस्य/एक्सचेंज के समाशोधन सदस्य को एक्सचेंज और/या सेबी द्वारा निर्दिष्ट तिथि से किसी मान्यता प्राप्त समाशोधन निगम का सदस्य बनना आवश्यक होगा।

ग. संस्थागत ट्रेडिंग–सह–क्लियरिंग सदस्य (आईटीसीएम)/ट्रेडिंग सदस्य और क्लियरिंग सदस्य

संस्थागत ट्रेडिंग–सह–क्लियरिंग सदस्य/ट्रेडिंग सदस्य और क्लियरिंग सदस्य का मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जिसे एक्सचेंज द्वारा एक्सचेंज के संस्थागत ट्रेडिंग सह क्लियरिंग सदस्य के रूप में भर्ती किया गया है और जिसे अपने खाते के साथ–साथ अपने ग्राहकों की ओर से व्यापार करने की अनुमति दी जाएगी और स्वयं के साथ–साथ अन्य ट्रेडिंग सह क्लियरिंग सदस्यों या ट्रेडिंग सदस्यों द्वारा किए गए ट्रेडों का निपटान करना।

बशर्ते कि ऐसा संस्थागत ट्रेड सह समाशोधन सदस्य एक्सचेंज के ट्रेडिंग सदस्य और क्लियरिंग सदस्य को एक्सचेंज और/या सेबी द्वारा निर्दिष्ट तिथि से किसी मान्यता प्राप्त क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का सदस्य बनना आवश्यक होगा।

घ. कमोडिटी/कॉम्प्लेक्स विशिष्ट ट्रेडिंग–सह–क्लियरिंग सदस्य

कमोडिटी/कॉम्प्लेक्स विशिष्ट ट्रेडिंग–सह–क्लियरिंग सदस्य का मतलब बोर्ड द्वारा इस रूप में भर्ती किया गया एक व्यक्ति है, जिसके पास केवल विशिष्ट कमोडिटी या कमोडिटी समूह के संबंध में ट्रेडिंग और क्लियरिंग अधिकार होंगे, जबकि अन्य कमोडिटी के संबंध में उसके पास कोई ट्रेडिंग या समाशोधन अधिकार नहीं होगा।

बशर्ते कि ऐसे कमोडिटी/कॉम्प्लेक्स विशिष्ट ट्रेडिंग–सह–क्लियरिंग सदस्य ऐसी शर्तों के अनुपालन के परिणामस्वरूप खुद को पूर्ण सदस्यता में अपग्रेड करने के हकदार होंगे, जैसा कि बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

ड. ट्रेडिंग सदस्य (टीएम)/स्टॉक ब्रोकर

ट्रेडिंग सदस्य (टीएम)/स्टॉक ब्रोकर का अर्थ बोर्ड द्वारा भर्ती किया गया एक व्यक्ति है, जिसके पास अपने खाते के साथ–साथ अपने ग्राहकों के खाते पर व्यापार करने का अधिकार होगा, लेकिन ऐसे व्यापार का समाशोधन करने और निपटाने का स्वयं कोई अधिकार नहीं होगा।
ऐसे सभी व्यापारिक सदस्यों को एक्सचेंज पर समाशोधन अधिकार रखने वाले संस्थागत समाशोधन सदस्यों या संस्थागत व्यापार सह समाशोधन सदस्यों में से किसी एक से सम्बद्ध होना चाहिए।

vii. निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने वाला कोई भी व्यक्ति एक्सचेंज का सदस्य बनने के लिए पात्र होगा :

i. एक्सचेंज की सदस्यता के लिए बोर्ड द्वारा समय–समय पर निर्धारित पूंजी पर्याप्तता मानदंडों का अनुपालन; और

ii. समय–समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित पंजीकरण और अन्य प्रावधानों का अनुपालन।

iii. ऐसे शुल्क, प्रभार, जमा और अन्य धन का भुगतान, जैसा एक्सचेंज द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

viii. बोर्ड को एक्सचेंज के सदस्य के रूप में प्रवेश के लिए ऐसे नियमों, आवश्यकताओं और/या मानदंडों को निर्धारित करने और ऊपर निर्दिष्ट नियमों सहित ऐसे किसी भी नियम को बदलने का अधिकार है।

ix. एक्सचेंज का प्रत्येक सदस्य कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और एक्सचेंज की उप–विधियों, नियमों

और विनियमों का पालन करेगा तथा उनसे बंधा रहेगा, जो समय–समय पर उसके अनुसार बनाए जा सकते हैं, और अंतिम रूप में स्वीकार करेंगे, बोर्ड या कंपनी द्वारा सामान्य बैठक में या एक्सचेंज द्वारा अनुमोदित समिति द्वारा किया गया कोई भी निर्णय।

x. एक्सचेंज के संभावित सदस्य या उनके अधिकृत प्रतिनिधि, प्रवेश प्रक्रिया के दौरान, यदि बोर्ड द्वारा आवश्यक हो, साक्षात्कार और/या परीक्षण के लिए बोर्ड या उसकी किसी समिति के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

xi. एक्सचेंज की सदस्यता किसी भी पात्र व्यक्ति, कॉर्पोरेट निकाय, कंपनी, साझेदारी फर्म, एलएलपी, बैंक, वित्तीय संस्थान या ऐसे अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित की जाएगी, जिसे बोर्ड या उसकी किसी समिति द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है। सदस्यता को एक्सचेंज की सदस्यता से त्यागपत्र देकर या नामांकन द्वारा सदस्यता के हस्तांतरण द्वारा अभ्यर्पण किया जा सकता है। इस्तीफे के मामले में, एक्सचेंज का सदस्य अपनी जमा राशि, यदि कोई हो, वापस पाने का हकदार होगा, जब एक्सचेंज और क्लीयरिंग कॉरपोरेशन ने इस्तीफा देने वाले सदस्य से सभी बकाया राशि वसूल कर ली हो, जो लॉक–इन अवधि के अधीन हो, बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है। एक्सचेंज के सदस्य द्वारा भुगतान किया गया प्रवेश शुल्क गैर–वापसी योग्य होगा।

xii. एक्सचेंज के सदस्य को पात्रता नियमों और शर्तों के अधीन, जैसा कि उक्त उन्न श्रेणी/सदस्यता के प्रकार के लिए लागू है, अंतर प्रवेश शुल्क, जमा आदि का भुगतान करने के अधीन, अपनी श्रेणी/सदस्यता के प्रकार को किसी अन्य में अपग्रेड करने की अनुमति दी जा सकती है, जैसे टीसीएम से आईटीसीएम या टीएम से टीसीएम, आदि।

xiii. एक्सचेंज के सदस्य को अपनी श्रेणी/सदस्यता के प्रकार को किसी अन्य श्रेणी में डाउनग्रेड करने की अनुमति दी जा सकती है, जैसे आईटीसीएम से टीसीएम या टीसीएम से टीएम, आदि, बशर्ते कि उक्त सदस्य अपने एक्सचेंज को भुगतान किये गये, अतिरिक्त प्रवेश शुल्क (यदि कोई हो) को त्यागने के लिए सहमत हो।

xiv. **पात्रता के लिए पूर्व शर्तें**

कोई भी व्यक्ति सदस्य के रूप में योग्य होने के योग्य नहीं होगा, यदि ऐसा व्यक्ति है :

(i) 21 वर्ष से कम आयु;

(ii) भारत का नागरिक नहीं, बशर्ते कि शासी निकाय उपयुक्त मामलों में सेबी की पूर्व अनुमति से इस शर्त में ढील दे सके।

(iii) यदि ऐसा व्यक्ति सेबी विनियमों, एससीआरए, एससीआरआर और किसी भी अन्य लागू नियमों के तहत समय–समय पर निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं कर रहा है।

xv. **सामान्य शर्तें**

कोई भी व्यक्ति एक्सचेंज के सदस्य के रूप में योग्य होने के योग्य नहीं होगा, यदि ऐसा व्यक्ति है :

i. न्यूनतम निवल मूल्य नहीं है जैसा कि शासी बोर्ड समय–समय पर निर्धारित कर सकता है और स्वीकार्य मान सकता है;

ii. भारत में लागू किसी भी कानून के तहत संविदा में प्रवेश करने के लिए अक्षम घोषित/अक्षम घोषित कर दिया गया है;

iii को दिवालिया घोषित कर दिया गया है या उसके खिलाफ दिवालियापन में एक प्राप्ति आदेश दिया गया है या वह दिवालिया साबित हुआ है, भले ही उसे अंतिम मुक्ति मिल गई हो;

iv. नैतिक अधमता से जुड़े अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है;

v. उसने अपने लेनदारों के साथ समझौता कर लिया है जब तक कि उसने एक रूपये में 100 पैसे का भुगतान नहीं किया हो;

vi. सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा उसे विकृत दिमाग का पाया गया है;

ix. दिवालिया घोषित होने के लिए आवेदन किया है और आवेदन लंबित है; किसी अन्य कमोडिटी एक्सचेंज द्वारा चूककर्ता घोषित किया गया है जब तक कि ऐसी चूक की समाप्ति की तारीख से पांच साल की अवधि समाप्त न हो गई हो;

x. एससीआरए के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों, या सेबी अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के तहत ऐसी अयोग्यता होती है, जो ऐसे व्यक्ति को कमोडिटी एक्सचेंज की सदस्यता प्राप्त करने का अधिकार देती है;

xi. किसी समय, किसी अन्य कमोडिटी एक्सचेंज द्वारा चूककर्ता घोषित किया गया हो या निष्कासित किया गया हो;

xii. धोखाधड़ी या बेईमानी से जुड़े अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है;

xiii. प्रतिभूतियों या कमोडिटी डेरिवेटिव के अलावा किसी भी व्यवसाय में प्रिंसिपल या कर्मचारी के रूप में कार्यरत है, सिवाय ब्रोकर या एजेंट के, जिसमें कोई व्यक्तिगत वित्तीय दायित्व शामिल नहीं है, जब तक कि वह ऐसे व्यवसाय के साथ अपना संबंध तोड़ने का वचन नहीं देता है।

हालांकि, एक्सचेंज के किसी सदस्य को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा यदि ऐसा सदस्य "अंतर्निहित और/या डेरिवेटिव्स में ट्रेडों के संबंध में या उसके आकस्मिक या परिणामी व्यापार से संबंधित वस्तुओं के व्यापार में लगा हुआ है।

बशर्ते कि यहां कुछ भी नीचे xviii में निर्दिष्ट किसी भी निगम, कॉर्पोरेट निकाय, कंपनियों या संस्थानों पर लागू नहीं होगा;

xiv. पहले एक्सचेंज द्वारा सदस्यता में प्रवेश से इनकार कर दिया गया है जब तक कि ऐसी अस्वीकृति की तारीख से एक वर्ष की अवधि समाप्त न हो गई हो;

xv. ऐसी अन्य शर्तों का अनुपालन नहीं करता है जो सेबी या बोर्ड या एक्सचेंज की समिति द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट की जा सकती हैं।

xvi. उपरोक्त नियमों के तहत सदस्य कि रूप में प्रवेश के लिए पात्र किसी भी व्यक्ति को सदस्य के रूप में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक :

(i) उसने किसी सदस्य के साथ भागीदार या अधिकृत सहायक या अधिकृत क्लर्क या रिमिसियर या प्रशिक्षु के रूप में कम से कम दो साल तक काम किया हो; या

(ii) वह अन्य सदस्य के साथ भागीदार या प्रतिनिधि सदस्य के रूप में कम से कम दो साल तक काम करने और एक्सचेंज के पटल पर अपने नाम पर नहीं बल्कि ऐसे अन्य सदस्य के नाम पर सौदेबाजी करने के लिए सहमत है; या

(iii) वह किसी मृत या सेवानिवृत्त सदस्य के स्थापित व्यवसाय का उत्तराधिकारी होता है, जो उसका पिता, चाचा, भाई या कोई अन्य व्यक्ति है, जो शासी निकाय की राय में, करीबी रिश्तेदार है:

बशर्ते कि एक्सचेंज के नियम शासी निकाय को उपरोक्त किसी भी शर्त के अनुपालन से छूट देने के लिए अधिकृत कर सकते हैं यदि प्रवेश चाहने वाला व्यक्ति प्रतिभूतियों में व्यवसाय के साधन, स्थिति, अखंडता, ज्ञान और अनुभव के संबंध में है, जिसे शासी निकाय द्वारा माना जाता है, अन्यथा सदस्यता के लिए योग्य होना चाहिए।

xvii. कोई भी व्यक्ति जो सदस्य है वह इस प्रकार बना नहीं रहेगा यदि –

(i) वह भारत का नागरिक नहीं रहता :

बशर्ते कि इसमें कोई भी बात उन लोगों को प्रभावित नहीं करेगी जो भारत के नागरिक नहीं हैं लेकिन जिन्हें नियम xiv के खंड (ii) के प्रावधानों के तहत भर्ती किया गया था। इस नियम के, बशर्ते कि वे इस नियम की अन्य सभी आवश्यकताओं का अनुपालन करते हों।

(ii) उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है या उसके खिलाफ दिवालियेपन का आदेश जारी कर

दिया जाता है या वह दिवालिया साबित हो जाता है।

(iii) उसे धोखाधड़ी या बेईमानी या नैतिक अधमता से जुड़े अपराध का दोशी ठहराया गया है।

(iv) वह किसी दलाल या एजेंट के अलावा प्रतिभूतियों या कमोडिटी डेरिवेटिव के अलावा किसी भी व्यवसाय में प्रिंसिपल या कर्मचारी के रूप में संलग्न होता है, जिसमें कोई व्यक्तिगत वित्तीय दायित्व शामिल नहीं होता है, बशर्ते कि –

क) शासी निकाय, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, किसी सदस्य को ऐसे किसी भी व्यवसाय में प्रिंसिपल या कर्मचारी के रूप में संलग्न होने की अनुमति दे सकता है, यदि संबंधित सदस्य कमोडिटी एक्सचेंज पर एक व्यक्ति के रूप में या एक व्यक्ति या किसी फर्म में भागीदार के रूप में व्यवसाय करना बंद कर देता है,

हालांकि, एक्सचेंज के किसी सदस्य को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा यदि ऐसा सदस्य "अंतर्निहित वस्तुओं से संबंधित व्यापार" और/या "डेरिवेटिव में व्यापार के संबंध में या उसके आकस्मिक या परिणामी व्यापार" में लगा हुआ है।

ख) यहां कुछ भी एक्सचेंज के सदस्यों को प्रभावित नहीं करेगा जो निगम, निकाय कॉर्पोरेट, कंपनियां या नीचे उल्लिखित संस्थान है।

xviii. कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1)/2013 में परिभाषित एक कंपनी, एक्सचेंज के सदस्य के रूप में भर्ती होने के लिए पात्र होगी, यदि :

(i) ऐसी कंपनी नवीनतम कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में बनाई गई है;

(ii) ऐसी कंपनी के अधिकांश निदेशक ऐसी कंपनी के शेयरधारक और एक्सचेंज के सदस्य भी हैं; और

(iii) ऐसी कंपनी के निदेशक, जो एक्सचेंज के सदस्य हैं, ऐसी कंपनी में अंतिम दायित्व रखते हैं :

बशर्ते कि जहां भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड इस संबंध में सिफारिश करता है, एक्सचेंज का शासी निकाय, इस खंड की आवश्यकताओं में छूट देते हुए, निम्नलिखित निगमों, निगमित निकायों, कंपनियों या संस्थानों को सदस्य के रूप में स्वीकार करेगा, अर्थात् :–

(क) औद्योगिक वित्त निगम, औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 (1948 का 15) के तहत स्थापित;

(ख) औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 (1964 का 18) के तहत स्थापित भारतीय औद्योगिक विकास बैंक;

(ग) भारतीय जीवन बीमा निगम, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) के तहत स्थापित;

(घ) सामान्य बीमा निगम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) के तहत गठित भारतीय सामान्य बीमा निगम;

(ड.) भारतीय यूनिट ट्रस्ट, भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) के तहत स्थापित;

(च) भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के तहत पंजीकृत कंपनी;

(छ) (क) से (च) में निर्दिष्ट किसी भी निगम या कंपनियों की सहायक कंपनियां और भारतीय स्टेट बैंक या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की कोई सहायक कंपनी जो व्यापारी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने, प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने और अन्य समान गतिविधियों के लिए स्थापित की गई है;

(ज) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की दूसरी अनुसूची में शामिल कोई भी बैंक;

(झ) भारतीय निर्यात आयात बैंक, भारतीय निर्यात आयात बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 28) के तहत स्थापित;

(ञ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 61) के तहत स्थापित; और

(ट) राष्ट्रीय आवास बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) के तहत स्थापित किया गया;

(ठ) कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के तहत स्थापित केंद्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि;

(ड) पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) के तहत पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत या नियुक्त या विनियमित कोई भी पेंशन फंड; और

(ढ) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) के तहत गठित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत कोई भी स्टैंडअलोन प्राथमिक डीलर।

xix. कंपनी अधिनियम में परिभाषित एक कंपनी भी एक्सचेंज के सदस्य के रूप में भर्ती होने के लिए पात्र होगी यदि –

(i) ऐसी कंपनी उक्त अधिनियम की संबंधित धाराओं के प्रावधानों के अनुपालन में बनाई गई है;

(ii) ऐसी कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 12 की उप–धारा (1) के तहत ऐसी कंपनी के पंजीकरण के लिए सेबी द्वारा निर्दिष्ट वित्तीय आवश्यकताओं और मानदंडों का पालन करने का वचन देती है;

(iii) कंपनी के निदेशक एससीआरआर के नियम 8 के उप–खंड (ख) और उप–खंड (च) को छोड़कर खंड (1) या उप–खंड (क) को छोड़कर खंड (3) के तहत एक्सचेंज के सदस्य होने से अयोग्य नहीं हैं और उसके उप–खंड (च) और कंपनी के निदेशकों ने किसी भी कंपनी में निदेशक का पद नहीं संभाला था जो एक्सचेंज का सदस्य था और एक्सचेंज द्वारा चूककर्ता घोषित या निष्कासित कर दिया गया था; और

(iv) कंपनी के कम से कम दो निदेशक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव है :

(क) प्रतिभूतियों के लेन–देन में या
(ख) पोर्टफोलियो प्रबंधकों के रूप में; या
(ग) निवेश सलाहकार के रूप में।

xx. जहां एक्सचेंज का कोई भी सदस्य एक फर्म है, नियम xv, xvii और नियम xviii के xiv, उप–नियम iii, v,xi,xii, xiii और xiv के प्रावधान, जहां तक संभव हो, प्रवेश पर लागू होते हैं या ऐसी फर्म में किसी भागीदार का बने रहना।

xxi. सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 (2008 का 6) में परिभाषित सीमित देयता भागीदारी भी एक्सचेंज के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए पात्र होगी, यदि

(i) ऐसी "सीमित देयता भागीदारी" सेबी अधिनियम की धारा 12 की उप–धारा (1) के तहत ऐसी सीमित देयता भागीदारी के पंजीकरण के लिए सेबी द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय

आवश्यकताओं और मानदंडों का अनुपालन करने का वचन देती है;

(ii) 'सीमित देयता भागीदारी' के नामित भागीदार उप–नियम (i) नियम xiv और उप–नियम (iii),(v),(xi),(xii) और (xiv) के तहत एक्सचेंज के सदस्य होने से अयोग्य नहीं हैं। नियम xv या नियम xvii के उप–नियम (i) (iv) को छोड़कर और 'सीमित देयता भागीदारी' के नामित भागीदार ने किसी भी कंपनी या निकाय कॉर्पोरेट में निदेशक या किसी फर्म में भागीदार का पद धारण नहीं किया था। या 'सीमित देयता भागीदारी', जो एक्सचेंज का सदस्य था और एक्सचेंज द्वारा चूककर्ता घोषित या निष्कासित कर दिया गया था; और

(iii) सीमित देयता भागीदारी के कम से कम दो नामित भागीदार ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव है :–

(क) प्रतिभूतियों के लेन–देन में; या
(ख) पोर्टफोलियो प्रबंधकों के रूप में; या
(ग) निवेश सलाहकार के रूप में।

xxii. कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के तहत छूट प्राप्त प्रतिष्ठान के ट्रस्टियों द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया कोई भी भविष्य निधि भी एक्सचेंज के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए पात्र होगा।

xxiii. **सदस्यता आवेदन**

एक्सचेंज का सदस्य बनने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को एक्सचेंज के सदस्य के रूप में प्रवेश के लिए एक्सचेंज में निर्धारित फॉर्म में आवेदन करना होगा, जो एक्सचेंज द्वारा ऐसे शुल्क पर प्रदान किया जाएगा जिसे एक्सचेंज समय–समय पर संबंधित में तय कर सकता है। विनियम और सदस्यता एक्सचेंज द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट एक्सचेंज की सभी उप–विधियों, नियमों और विनियमों के अनुपालन के अधीन होगी।

क. सेबी स्टॉक ब्रोकर्स विनियम, 1992 के अनुसार, स्टॉक एक्सचेंज का सदस्य बनने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को समय–समय पर ऐसे पंजीकरण के लिए सेबी द्वारा निर्दिष्ट नियमों और शर्तों का पालन करना होगा। ऐसे पंजीकरण के लिए आवेदन सेबी द्वारा निर्धारित फॉर्म में किया जाएगा और लागू शुल्क के साथ एक्सचेंज के माध्यम से भेजा जाएगा।

ख. एक्सचेंज, स्टॉक ब्रोकर्स विनियम, 1992 में निर्दिष्ट अनुसार एक्सचेंज के प्रत्येक सदस्य से उसके द्वारा देय शुल्क एकत्र करेगा।

ग. कमोडिटी डेरिवेटिव्स में खरीद, बिक्री या लेनदेन की गतिविधि करने वाले एक्सचेंज का एक सदस्य, प्रतिभूतियों में खरीद, बिक्री या लेनदेन की गतिविधि के अलावा कोई अन्य गतिविधि नहीं करेगा, जब तक कि सेबी द्वारा अनुमति न दी जाए।

घ. हालांकि, एक्सचेंज के किसी सदस्य को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा यदि ऐसा सदस्य "अंतर्निहित वस्तुओं से संबंधित व्यापार" और/या "डेरिवेटिव में व्यापार के संबंध में या उसके आकस्मिक या परिणामी व्यापार" में लगा हुआ है।

ड. सेबी द्वारा किसी भी कारणवश जिन सदस्यों के पंजीकरण हेतु आवेदन अस्वीकृत कर दिए जाते हैं, ऐसे सदस्यों को एक्सचेंज केवल नियत समय में उनकी सुरक्षा जमा राशि तथा एक्सचेंज के पास उपलब्ध अन्य कोई भी वापसी योग्य जमा राशि वापस करेगा ।

xxiv. **प्रवेश एवं प्रवेश शुल्क**

बोर्ड या इस उद्देश्य के लिए बोर्ड द्वारा नियुक्त और सशक्त समिति किसी आवेदक को एक्सचेंज के सदस्य के रूप में स्वीकार कर सकती है, बशर्ते कि आवेदक इन लेखों, उप–विधियों, नियमों और विनियमों में निर्धारित

शर्तों को पूरा करता हो। जैसा कि ऊपर कहा गया है, बोर्ड या समिति या बोर्ड या सदस्यता समिति द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति आवेदक को एक्सचेंज के सदस्य के रूप में स्वीकार करने से पहले साक्षात्कार और/या परीक्षण कर सकता है। एक्सचेंज की सदस्यता में प्रवेश के लिए आवेदन की अस्वीकृति के मामले में, ऐसी अस्वीकृति का कारण लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा।

बशर्ते कि यदि इस उद्देश्य के लिए नियुक्त समिति द्वारा सदस्यता से इनकार कर दिया गया है, तो आवेदक को उक्त समिति के निर्णय के खिलाफ बोर्ड में अपील करने का अधिकार होगा।

आवेदक को संबंधित व्यावसायिक नियमों में समय–समय पर एक्सचेंज बोर्ड या सेबी द्वारा तय की गई निवल संपत्ति की आवश्यकता, पूंजी पर्याप्तता मानदंड, शुल्क, जमा आदि, जो भी अधिक हो, को पूरा करना होगा।

क. बोर्ड या इस उद्देश्य के लिए बोर्ड द्वारा नियुक्त और सशक्त समिति के अनुमोदन और निर्णय के अधीन, एक्सचेंज की सदस्यता के लिए आवेदन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सदस्यता आवेदन के साथ, गैर–वापसी योग्य प्रवेश शुल्क या कोई अन्य शुल्क/बोर्ड द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट जमा राशि का भुगतान करना होगा। हालांकि, एक्सचेंज का एक सेवानिवृत्त सदस्य या एक्सचेंज के मृत सदस्य का कानूनी उत्तराधिकारी, इन नियमों के तहत एक्सचेंज के सदस्य के रूप में प्रवेश के लिए पात्र व्यक्ति को नामांकित करता है, जो उसके स्थापित व्यवसाय को सफल बनाता है। एक्सचेंज का सेवानिवृत्त या मृत सदस्य, जो उसका 'पारिवारिक सदस्य' है, ऐसे नामांकित व्यक्ति को एक्सचेंज के सदस्य के रूप में प्रवेश दिया जाएगा, बशर्ते वह इन नियमों के तहत बोर्ड या समिति द्वारा एक्सचेंज की सदस्यता के लिए अन्यथा योग्य, योग्य और फिट पाया जाए।

ख. प्रवेश पर एक्सचेंज का कोई सदस्य सदस्यता के किसी भी अधिकार या विशेषाधिकार का प्रयोग करने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि वह गैर–वापसी योग्य प्रवेश शुल्क और बोर्ड द्वारा तय किए गए किसी भी अन्य शुल्क या जमा का पूरा भुगतान नहीं कर देता है और सदस्यता की उस विशिष्ट श्रेणी के लिए प्रवेश के वर्ष के लिए वार्षिक सदस्यता जिसमें उसने प्रवेश चाहा है। जहां ऐसा सदस्य अपने प्रवेश की सूचना प्राप्त होने के इतने दिनों के भीतर ऐसा भुगतान करने में विफल रहता है, जैसा कि एक्सचेंज द्वारा समय–समय पर तय किया जा सकता है, तो उसका प्रवेश शुरू से ही रद्द माना जाएगा और उसे ऐसा माना जाएगा। एक्सचेंज के सदस्य के रूप में कभी भी भर्ती नहीं किया गया हो और एक्सचेंज को भेजी गई राशि जब्त कर ली जाएगी।

xxv. गलतबयानी के तहत प्रवेश

शासी बोर्ड एक्सचेंज के किसी सदस्य को निष्कासित कर सकता है, यदि लिखित रूप में दर्ज की जाने वाली उसकी राय में ऐसे सदस्य ने एक्सचेंज की सदस्यता में प्रवेश के लिए अपने आवेदन के समय या शासी द्वारा की गई पूछताछ के दौरान ऐसा किया हो। उनके प्रवेश से पहले बोर्ड –

i जानबूझकर कोई गलतबयानी की; या

ii वित्तीय देनदारियों, चरित्र और पूर्ववृत्त सहित उसकी वित्तीय स्थिति के बारे में आवश्यक किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को दबाया/छिपाया गया।

iii प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गलत विवरण या जानकारी दी है या झूठी घोषणा की है।

xxvi. प्रवेश के बाद की प्रकिया

i. नव प्रवेशित सदस्य को सदस्यता की सूचना का एक पत्र जारी किया जाएगा।

ii. नोटिस का प्रकाशन : जब एक्सचेंज के किसी सदस्य को प्रवेश दिया जाता है और एक्सचेंज के सदस्य को ऊपर बताए अनुसार सूचना पत्र जारी किया जाता है, तो ऐसे प्रवेश की सूचना एक्सचेंज की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी या प्रसारण के माध्यम से सूचित की जाएगी, स्वचालित व्यापार प्रणाली या एक्सचेंज की किसी अन्य प्रणाली के माध्यम से एक्सचेंज के सदस्य को।

xxvii. सदस्यों का रजिस्टर

क. एक्सचेंज, एक्सचेंज के सदस्यों का एक रजिस्टर और सूचकांक बनाए रखेगा। एक्सचेंज के

सदस्यों के रजिस्टर में, शैली, संविधान और ऐसी अन्य जानकारी जो सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा उचित समझी जा सकती है, एक्सचेंज के उपयोग के लिए एकत्र और दर्ज की जा सकती है। इन रिकॉर्डों में किसी भी बदलाव के मामले में, सदस्य एक्सचेंज को सूचित करने और ऐसे बदलाव करने से पहले अनुमति लेने के लिए उत्तरदायी होंगे। इसके अलावा एक्सचेंज के सदस्यों द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रदान किए गए विवरण की हार्ड कॉपी के अलावा एक्सचेंज के सदस्यों के अन्य सभी विवरण इलेक्ट्रॉनिक रूप में सिस्टम पर संग्रहीत किए जा सकते हैं, जिन्हें उचित रूप से संग्रहीत किया जाएगा।

ख. एक्सचेंज के प्रत्येक सदस्य को प्रवेश के समय या बाद के चरण में एक्सचेंज के सदस्य द्वारा प्रदान की गई जानकारी में किसी भी बदलाव के बारे में एक्सचेंज को लिखित रूप में सूचित करना होगा। एक्सचेंज उन परिवर्तनों को इंगित करेगा जिनके संबंध में एक्सचेंज के सदस्य को एक्सचेंज से पूर्व अनुमोदन लेना चाहिए। यदि सदस्य ऐसा करने में विफल रहता है, तो एक्सचेंज जुर्माना लगाएगा और/या आवश्यकतानुसार आगे अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा।

xxviii. **सदस्यता**

क. एक्सचेंज का प्रत्येक सदस्य समय–समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित सदस्यता, शुल्क, जमा या किसी अन्य शुल्क का भुगतान करेगा।

ख. यदि एक्सचेंज का कोई भी सदस्य लगातार छह (6) महीने की अवधि के लिए बोर्ड द्वारा अपेक्षित सदस्यता, शुल्क, जमा या किसी अन्य लेवी का भुगतान करने में विफल रहता है या उपेक्षा करता है, तो बोर्ड एक्सचेंज के ऐसे सदस्य को इन नियमों के अर्थ में चूककर्ता घोषित कर सकता है।

ग. बशर्ते कि एक्सचेंज का ऐसा चूककर्ता सदस्य चूककर्ताओं के पुनः प्रवेश पर लागू इन नियमों के प्रावधानों का अनुपालन करके एक्सचेंज के सदस्य के रूप में पुनः प्रवेश के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

xxix. **सुरक्षा जमा राशि**

क. सुरक्षा जमा के संबंध में प्रावधान : एक्सचेंज किसी सदस्य से उसके प्रवेश के समय देय प्रारंभिक सुरक्षा जमा का भुगतान निर्धारित कर सकता है। एक्सचेंज का एक नया सदस्य, प्रवेश पर अपना निर्णय बताने के लिए एक्सचेंज द्वारा लिखित रूप में सूचित करने की तारीख से, एक्सचेंज द्वारा निर्दिष्ट दिनों की संख्या से अधिक नहीं, एक राशि की सुरक्षा जमा राशि प्रदान करेगा और इस तरह से जैसा कि शासी बौर्ड द्वारा समय–समय पर निर्णय लिया जा सकता है और एक्सचेंज के पास हर समय ऐसी आधार न्यूनतम पूंजी बनाए रखी जाएगी। एक्सचेंज ऐसी सुरक्षा जमा राशि को रिफंडेबल और नॉन–रिफंडेबल सुरक्षा जमा में विभाजित करने का निर्णय भी ले सकता है और सुरक्षा जमा के केवल उस हिस्से पर व्यापार और एक्सपोजर सीमा की अनुमति दे सकता है, जैसा वह उचित समझे।

ख. अतिरिक्त जमा का प्रावधान : एक्सचेंज का सदस्य व्यापार और निपटान के लिए सीमा प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त जमा प्रदान करने का हकदार होगा। आधार न्यूनतम पूंजी।

ग. आधार न्यूनतम पंजी का स्वरूप : एक्सचेंज के सदस्य द्वारा भुगतान की जाने वाली आधार न्यूनतम पूंजी ऐसे फॉर्म में देय होगी, जैसा कि एक्सचेंज द्वारा समय–समय पर निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन एक्सचेंज द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा।

घ. आधार न्यूनतम पूंजी (बीएमसी), आधार पूंजी, प्रारंभिक या अतिरिक्त जमा पर पहला ुल्क/सर्वोपरि ग्रहणाधिकार : एक्सचेंज के सदस्य या नामित भागीदार या एकसचेंज के प्रतिनिधि सदस्य द्वारा प्रदान की गई आधार न्यूनतम पूंजी, आधार पूंजी, प्रारंभिक और अतिरिक्त सुरक्षा जमा एक्सचेंज या क्लियरिंग के कारण किसी भी राशि पर प्रथम शुल्क और सर्वोपरि ग्रहणाधिकार के अधीन होगी। निगम उसके द्वारा या साझेदारी द्वारा या एलएलपी द्वारा जिसमें वह एक नामित भागीदार है या कंपनी/निकाय

कॉर्पोरेट द्वारा जिसमें वह एक नामित निदेशक/नामांकित व्यक्ति है या लाभ का स्थान रखता है या शेयर पूंजी में से एक के रूप में रखता है। प्रवर्तक ऐसी आधार न्यूनतम पूंजी और अतिरिक्त आधार पूंजी भी उसकी प्रतिबद्धताओं, दायित्वों और देनदारियों या साझेदारी या एलएलपी जिसका वह एक नामित भागीदार है या कंपनी/की पूर्ति के उद्देश्य से अतिरिक्त शुल्क और सर्वोपरि ग्रहणाधिकार के अधीन होगी। कॉर्पोरेट निकाय जिसमें वह एक नामित निदेशक/नामांकित व्यक्ति है या लाभ का स्थान रखता है या प्रमोटरों में से एक के रूप में शेयर पूंजी रखता है, जो एक्सचेंज के नियमों, उप–विधियों और विनियमों के अधीन या कुछ भी किया उसके अनुसरण में किए गए किसी भी लेनदेन से उत्पन्न या उसके लिए प्रासंगिक है।

आधार न्यूनतम पूंजी का उपयोग

प्रत्येक सदस्य को एक्सचेंज और/या सेबी द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट आधार न्यूनतम पूंजी ("बीएमसी"), जो भी अधिक हो, एक्सचेंज के पास जमा करनी होगी। बीएमसी को एक्सचेंज द्वारा एक अलग खाते में रखा जाएगा। बीएमसी, एक्सचेंज द्वारा किए जाने वाले नियमों, उप–विधियों और व्यावसायिक नियमों के तहत अनुमत सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों को चुकाने के बाद, प्राथमिकता के निम्नलिखित कम में उपयोग किया जाएगा :

क. एक्सचेंज बकाया जिसमें एक्सचेंज और/या सेबी को देय सदस्यता, ऋण, जुर्माना, शुल्क, प्रभार और अन्य धन शामिल हैं;

ख. लंबित मध्यस्थता पुरस्कारों के कारण सदस्य द्वारा देय मध्यस्थता शुल्क और देय राशि का भुगतान।

इसके अलावा, एक्सचेंज उपरोक्त देय राशि के भुगतान के लिए सदस्य के क्लीयरिंग सदस्य (सदस्यों) के पास जमा राशि या अन्य धन से, उनके बकाया से अधिक डेबिट कर सकता है।

ड. एक्सचेंज के सदस्यों या नामित भागीदारों को आधार न्यूनतम पूंजी या अतिरिक्त आधार पूंजी की वापसी

एक्सचेंज की उसकी सदस्यता समाप्त होने पर, एक्सचेंज के नियमों, उप–विधियों और विनियमों के तहत लागू नहीं की गई आधार न्यूनतम पूंजी और अतिरिक्त आधार पूंजी, एक्सचेंज के सदस्य या नामित भागीदार की कीमत पर चुकाई जाएगी। ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन जो शासी बोर्ड द्वारा समय–समय पर तय किए जा सकते हैं और या तो उसे या उसके द्वारा निर्देशित के अनुसार हस्तांतरित किया जा सकता है, या ऐसे निर्देश के अभाव में, उसके सभी विनिमय और समाशोधन निगम की बकाया राशि की वसूली के बाद उसके कानूनी उत्तराधिकारियों/कानूनी प्रतिनिधियों को हस्तांतरित किया जा सकता है।

हालांकि, एकसचेंज केवल उतनी ही राशि वापस लौटाएगा जो आधार न्यूनतम पूंजी वापसी योग्य या व्यापार और समाशोधन सीमा प्रदान करने के लिए अतिरिक्त जमा के रूप में जमा के रूप में एकत्र की गई हो, जो सभी लंबित बकाया राशि के निपटान और सभी बकाया संविदाओं के निपटान के अधीन होगी, सेबी द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट लॉकइन अवधि के अधीन। ऐसे जमा या योगदान, जो गैर–वापसी योग्य जमा के रूप में एकत्र किए जाते हैं, वापस नहीं किए जाएंगे।

च. आधार न्यूनतम पूंजी बनाए रखने में विफलता पर निलंबन

जब एक्सचेंज का कोई सदस्य या नामित भागीदार या प्रतिनिधि सदस्य एक्सचेंज द्वारा निर्दिष्ट आधार न्यूनतम पूंजी प्रदान करने में विफल रहता है, तो सम्बद्ध प्राधिकारी व्यापारी के कार्य स्टेशन को निष्क्रिय करने का आदेश देगा और उसके व्यवसाय को तुरंत निलंबित कर देगा। ऐसे निष्क्रियकरण का एक प्रसारण संदेश एक्सचेंज के अन्य सदस्यों की जानकारी के लिए तुरंत जारी किया जाएगा और ऐसा निष्क्रियकरण तब तक जारी रहेगा जब तक एक्सचेंज के चूककर्ता सदस्य द्वारा आधार न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अतिरिक्त पूंजी प्रदान नहीं की जाती है।

छ. घोषणा पत्र

एक्सचेंज के नियमों के प्रावधानों के तहत आधार न्यूनतम पूंजी प्रदान करने वाले एक्सचेंज का एक सदस्य या नामित भागीदार या प्रतिनिधि सदस्य इन नियमों या विनियमों में निर्धारित प्रपत्र में एक घोषणा पत्र और/या अन्य निर्दिष्ट दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेगा।

ज. एक्सचेंज के पास पड़ी आधार न्यूनतम पूंजी और अन्य क्रेडिट राशियों की वापसी के लिए नामांकन फॉर्म

एक्सचेंज का एक सदस्य एक्सचेंज के पास मौजूद आधार न्यूनतम पूंजी और अन्य क्रेडिट राशि/संपार्श्विक की चुकौती/वापसी प्राप्त करने के लिए निर्धारित फॉर्म में नामांकन एक्सचेंज के पास दर्ज करा सकता है।

xxx. जमा/निधि पर ग्रहणाधिकार

क. इन नियमों, उप–विधियों और विनियमों के तहत उत्पन्न होने वाले एक्सचेंज के सदस्य के सुरक्षा जमा, मार्जिन, निपटान गारंटी फंड और/या किसी अन्य फंड में योगदान ऐसे सदस्य के सभी ऋणों और दायित्वों के उचित पुनर्भुगतान के साथ लिया जाएगा। एक्सचेंज को एक्सचेंज/कंपनी को, सेबी को, एक्सचेंज के अन्य सदस्यों को; क्लियरिंग कॉरपोरेशन को, और संगम अनुच्छेदों, उप–विधियों, नियमों और एक्सचेंज के नियमों के तहत किए गए और/या लेनदेन से उत्पन्न होने वाले किसी भी व्यक्ति को। एक्सचेंज और/या सेबी के ऐसे सभी ऋण और दायित्व अन्य सभी दावों की तुलना में प्राथमिकता में होंगे; एक्सचेंज के अन्य सदस्यों के ऋणों को समान दर्जा दिया जाएगा और वे ऐसे पहले शुल्क के अधीन, यदि कोई हो, उसके अवशेष पर शुल्क लेने के हकदार होंगे; उसके भुगतान के बाद, अवशेष, यदि कोई हो, को अनुच्छेदों, उप–विधियों, नियमों और विनियमों के प्रावधानों के तहत आयोजित किसी भी मध्यस्थता कार्यवाही में दिए गए किसी भी पुरस्कार के तहत किसी भी व्यक्ति के सभी बकाया राशि के साथ लिया जाएगा; और, उपरोक्त विनियोजन के बाद, उसका अवशेष, यदि कोई हो, बिना शर्त एक्सचेंज के पास निहित होगा।

ख. एक्सचेंज की उसकी सदस्यता समाप्त होने पर या एक्सचेंज के सदस्य की मृत्यु या परिसमापन पर, सभी जमा, यदि कोई हो, एक्सचेंज की उप–विधियों, नियमों और विनियमों के तहत लागू नहीं होते हैं, तो सदस्य की कीमत पर होंगे। एक्सचेंज का भुगतान या तो उसे किया जाएगा या निर्देशानुसार या नामांकित व्यक्तियों या कानूनी प्रतिनिधियों को ऐसे निर्देश के अभाव में किया जाएगा।

5. साझेदारी

क. एक्सचेंज के सदस्य के रूप में फर्में

क. एक साझेदारी फर्म एक्सचेंज के सदस्य के रूप में प्रवेश के लिए पात्र होगी, बशर्ते वह निम्नलिखित को पूरा करती हो :

i) फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के साथ विधिवत पंजीकृत है;

ii) साझेदारी का विलेख एक्सचेंज द्वारा अनुमोदित है;

iii) साझेदारी के विलेख में इस आशय का एक प्रावधान शामिल है कि फर्म का व्यवसाय हर समय इस तरह से किया जाएगा कि एक्सचेंज की उप–विधियों, नियमों और विनियमों का अनुपालन किया जा सके, जो उस समय लागू हैं;

iv) फर्म के भगीदार एक्सचेंज को स्वीकार्य हैं; और

v) साझेदारी का विलेख फर्म के व्यक्तिगत भागीदारों को उनकी व्यक्तिगत क्षमता में या अन्य आईआरएम में भागीदार के रूप में वस्तुओं/प्रतिभूतियों के व्यापार और/या समाशोधन का व्यवसाय करने की अनुमति देता है;

vi) फर्म को किसी अन्य कमोडिटी एक्सचेंज द्वारा चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है या चूककर्ता घोषित करने की तारीख से पांच साल की अवधि समाप्त हो गई है।

ख. फर्म ने निम्नलिखित को पूरा करने का कार्य किया है :

i. साझेदारी विलेख या भागीदारों में किसी भी बदलाव के बारे में एक्सचेंज को ऐसे बदलाव के एक (1) महीने के भीतर सूचित किया जाएगा और यदि ऐसा कोई भी बदलाव एक्सचेंज के लिए अस्वीकार्य है, तो फर्म ऐसी लिखित संचार प्राप्त होने पर ऐसी कार्रवाई से दूर रहेगी और यदि फर्म अनुपालन करने में विफल रहती है, तो एक्सचेंज को बोर्ड द्वारा तय की गई अवधि के लिए एक्सचेंज के ऐसे सदस्य के अधिकारों और विशेषाधिकारों को निलंबित करने या एक्सचेंज के ऐसे सदस्य को निश्कासित करने का अधिकार होगा;

ii. साझेदारी विलेख में ऐसे प्रावधान शामिल होंगे जिनकी एक्सचेंज को समय–समय पर आवश्यकता हो सकती है;

iii. फर्म और उसके साझेदारों ने किसी भी शर्त या आवष्यकता को बिना शर्त पूरा करने का वचन दिया है, जिस पर एक्सचेंज समय–समय पर एक्सचेंज के सदस्य के रूप में प्रवेश और बने रहने के लिए जोर दे सकता है; और

iv. फर्म के किसी भी नए साझेदार के शामिल होने या साझेदार में बदलाव के मामले में पूर्वानुमति प्राप्त करें, जिससे फर्म का विघटन न हो।

ग. मौजूदा साझेदारी के नाम में कोई भी बदलाव एक्सचेंज को पूर्व सूचना और उसकी मंजूरी के बिना नहीं किया जाएगा, और यदि इसे मंजूरी मिल जाती है, तो इसे एक्सचेंज के नोटिस बोर्ड/वेबसाइट पर पोस्ट कर दिया जाएगा।

घ. कोई भी भागीदार फर्म में अपना हित नहीं सौंपेगा या किसी भी तरह से उस पर भार नहीं डालेगा।

ड. कोई भी व्यक्ति एक ही समय में वस्तुओं/प्रतिभूतियों के व्यापार और/या समाशोधन का व्यवसाय करने वाली एक से अधिक साझेदारी फर्म में भागीदार नहीं होगा।

च. अनुमोदन पर, भागीदारों के प्रत्येक परिवर्तन की सूचना एक्सचेंज के नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी।

छ. फर्म के विघटन पर, फर्म एक्सचेंज का सदस्य नहीं रहेगा।

ज. किसी विघटित फर्म के पूर्व साझेदारों के पास, जो व्यक्तिगत क्षमता से एक्सचेंज के सदस्य हैं, के अलावा एकसचेंज के किसी सदस्य का कोई अधिकार, विशेषाधिकार, पात्रता या रियायत नहीं होगी, या कंपनी या एक्सचेंज के खिलाफ कोई दावा नहीं होगा। पूर्ववर्ती साझेदारी फर्म में भागीदार होने के आधार पर, उसके साझेदारी व्यवसाय से संबंध।

झ. कोई भी साझेदारी जो ऊपर दिए गए किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करती है, सुनवाई का अवसर दिए जाने के बाद, बोर्ड द्वारा तय की गई अवधि के लिए बोर्ड द्वारा निलंबित कर दी जाएगी और/या एक्सचेंज की सदस्यता से निष्कासित कर दी जाएगी।

ख. एक्सचेंज के सदस्यों द्वारा भागीदारी

क. साझेदारी में व्यापार करने या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को नए साझेदार या साझेदार के रूप में स्वीकार करने के इच्छुक एक्सचेंज के सदस्य को साझेदारों के नाम और विवरण तथा साझेदारी फर्म का नाम बताते हुए बोर्ड या किसी अन्य सम्बद्ध प्राधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में, यदि कोई हो, अग्रिम अनुमोदन लेना होगा। एक्सचेंज के इच्छुक सदस्य की मौजूदा सदस्यता ऐसी फर्म के एक्सचेंज के सदस्य के रूप में प्रवेश पर साझेदारी फर्म को हस्तांतरित कर दी जाएगी। इसके बाद सभी नियामक अनुपालन फर्म के नाम पर होंगे।

ख. ऐसे प्रत्येक आवेदन के साथ शुरूआत में उसके संबंध में ऐसी जानकारी और साझेदारी के प्रारूप विलेख की एक प्रति संलग्न की जाएगी जो बोर्ड या किसी अन्य सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित हो। इसके बाद, अनुमति देने के बाद, बोर्ड या कोई अन्य सम्बद्ध प्राधिकारी साझेदारी को रिकॉर्ड करेगा। जब साझेदारी में प्रवेश किया जाता है, तो साझेदारी के विलेख की एक हस्ताक्षरित प्रति इसके निष्पादन के एक महीने के भीतर रिकॉर्ड के उद्देश्य से एक्सचेंज को दी जाएगी।

ग. मौजूदा साझेदारी के नाम में कोई भी बदलाव बोर्ड या किसी अन्य सम्बद्ध प्राधिकारी को पूर्व सूचना और उसकी मंजूरी के बिना नहीं किया जाएगा।

घ. कोई भी भागीदार फर्म में अपना हित नहीं सौंपेगा, या किसी भी तरह से उस पर बोझ नहीं डालेगा।

ड. एकसचेंज का कोई भी सदस्य एक ही समय में एक से अधिक ऐसी साझेदारी फर्म में भागीदार नहीं होगा।

च. साझेदारी के गठन की सूचना, साझेदारों के नाम और उसमें प्रत्येक परिवर्तन को नोटिस बोर्ड या एक्सचेंज के किसी अन्य सम्बद्ध प्राधिकारी पर पोस्ट किया जाएगा।

छ. इस प्रकार गठित फर्म विघटित हो जाती है, तो फर्म एकसचेंज की सदस्य नहीं रह जाएगी और उसके बाद केवल एक्सचेंज के मूल सदस्य ही अपनी व्यक्तिगत क्षमता में सदस्यता धारण करेंगे, और जो/

यदि कोई भागीदार है तो वह अपने व्यक्तिगत नाम से व्यवसाय चला सकता है, लेकिन प्रवेश शुल्क या जमा राशि, यदि कोई हो, के भुगतान के अधीन है, जो उसे उस संबंध में उप–विधियों, नियमों और विनियमों के अनुसार देय होगा।

ज. एक्सचेंज के सदस्य जो साझेदारी फर्म हैं, उन्हें ऐसी साझेदारी में विघटन, सेवानिवृत्ति, मृत्यु या पुनर्गठन या अन्यथा किसी भी बदलाव के बारे में सभी साझेदारों या जीवित साझेदारों के हस्ताक्षर के तहत लिखित रूप में एक्सचेंज को सूचित करना होगा।

झ. किसी फर्म का भागीदार जो एक्सचेंज का सदस्य नहीं है, उसके पास एक्सचेंज के किसी सदस्य का कोई अधिकार, विशेषाधिकार, पात्रता या रियायत नहीं होगी, या उसके साझेदारी व्यवसाय

के संबंध में कंपनी या एक्सचेंज के खिलाफ कोई दावा नहीं होगा। वह एक्सचेंज के सदस्य के साथ साझेदारी में भागीदार है। बशर्ते कि वह साझेदारी फर्म के खिलाफ लंबित सभी बकाया, दावों या मांगों, यदि कोई हो, के लिए संयुक्त रूप से और अलग–अलग जिम्मेदार होगा।

ञ. साझेदारी के विघटन की सूचना देने वाले एक्सचेंज को दिए गए किसी भी नोटिस में एक बयान शामिल होगा कि एक्सचेंज के सदस्य का कौन सा भागीदार सभी बकाया देनदारियों को निपटाने की जिम्मेदारी लेता है, लेकिन यह अन्य भागीदार या भागीदारों को उनकी जिम्मेदारी से ऐसी देनदारियों से मुक्त नहीं माना जाएगा।

ट. एक्सचेंज का सदस्य, जो किसी साझेदारी फर्म का भागीदार है, जो एक्सचेंज का सदस्य है, कंपनी या एक्सचेंज द्वारा साझेदारी के खिलाफ सभी बकाया, दावों या मांगों और देनदारियों के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी और जिम्मेदार होगा। एक्सचेंज और उसके एक्सचेंज के सदस्यों के लिए साझेदारी। बशर्ते कि साझेदारी फर्म के खिलाफ लंबित सभी बकाया, दावों या मांगों, यदि कोई हो, के लिए अन्य साझेदार भी संयुक्त रूप से और अलग–अलग जिम्मेदार होंगे।

ठ. एक्सचेंज का कोई भी सदस्य बोर्ड या किसी अन्य सम्बद्ध प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझेदारी में प्रवेश कर सकता है जो एक्सचेंज का सदस्य नहीं है, इसके प्रमाण पर, बोर्ड या किसी अन्य सम्बद्ध प्राधिकारी के समक्ष और एक संकल्प पर। बोर्ड या किसी अन्य सम्बद्ध प्राधिकारी को उस प्रभाव से एक्सचेंज की सदस्यता से निष्कासित किया जा सकता है। कोई भी साझेदारी और/या एक्सचेंज का सदस्य, जो ऐसी साझेदारी का भागीदार है, जो ऊपर दिए गए किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, सुनवाई का अवसर दिए जाने के बाद, बोर्ड या किसी अन्य सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा निलंबित किए जाने के लिए उत्तरदायी होगा। बोर्ड या किसी अन्य सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा तय की गई अवधि और/या एक्सचेंज की सदस्यता से निष्कासित किया जा सकता है।

ग. साझेदारी का रजिस्टर

क. एक्सचेंज साझेदारी का एक रजिस्टर बनाए रखेगा। साझेदारी के रजिस्टर में, इन वर्तमान के अनुसार एक्सचेंज द्वारा मान्यता प्राप्त साझेदारियों के नाम और उनके साझेदारों के नाम, उनके संबंधित पते, मान्यता की तारीख और किसी भी बदलाव के साथ दर्ज किए जाएंगे।

साझेदारी और नाम में मान्यता की प्रासंगिक तारीखों के साथ और साझेदारी एवं नाम में कोई भी बदलाव प्रासंगिक तारीखों के साथ।

ख. जब तक फर्म का नाम साझेदारी के रजिस्टर में शामिल है, तब तक उसके व्यक्तिगत साझेदार अपने व्यक्तिगत नाम पर किसी भी लेनदेन या संविदा को समशोधित करने, पंजीकरण करने और निपटाने का व्यवसाय नहीं करेंगे।

घ. एक्सचेंज के सदस्य के रूप में सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी)

i. एलएलपी एक्सचेंज के सदस्य के रूप में प्रवेश के लिए पात्र होगा, बशर्ते वह निम्नलिखित को पूरा करता हो :

क. यह सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के तहत पंजीकृत है;
ख. एलएलपी समझौता एक्सचेंज द्वारा अनुमोदित है;
ग. एलएलपी समझौते में इस आशय का एक प्रावधान शामिल है कि एलएलपी का व्यवसाय हर समय इस तरह से किया जाएगा कि एक्सचेंज की उप–विधियों, नियमों और विनियमों का अनुपालन किया जा सके, जो उस समय लागू हैं;
घ. एलएलपी के भागीदार और नामित भागीदार एक्सचेंज को स्वीकार्य हैं;
ड. एलएलपी समझौता एलएलपी के व्यक्तिगत भागीदारों को उनकी व्यक्तिगत क्षमता में

या अन्य एलएलपी में भागीदार के रूप में वस्तुओं/प्रतिभूतियों के व्यापार और/या समाशोधन का व्यवसाय करने की अनुमति देता है;

च. किसी एलएलपी के मामले में जिसमें सभी भागीदार निकाय कॉरपोरेट हैं या जिसमें एक या अधिक भागीदार व्यक्ति और निकाय कॉर्पोरेट हैं, कम से कम दो व्यक्ति जो ऐसे एलएलपी के भागीदार हैं या ऐसे निकाय कॉर्पोरेट के नामांकित व्यक्ति नामित भागीदार के रूप में कार्य करेंगे।

ii. एलएलपी ने निम्नलिखित को पूरा करने का कार्य किया है :

क. एक्सचेंज को ऐसे बदलाव के एक (1) महीने के भीतर एलएलपी समझौते या भागीदारों/नामित भागीदारों में किसी भी बदलाव के बारे में सूचित किया जाएगा और यदि ऐसा कोई भी बदलाव एक्सचेंज के लिए अस्वीकार्य है, तो एलएलपी इस तरह के लिखित संचार की प्राप्ति पर ऐसा करने से रोक देगा। कार्रवाई और यदि एलएलपी अनुपालन करने में विफल रहता है, तो एक्सचेंज को एक्सचेंज के ऐसे सदस्य के अधिकारों और विशेषाधिकारों को ऐसी अवधि के लिए निलंबित करने का अधिकार होगा जो एक्सचेंज द्वारा तय किया जा सकता है या एक्सचेंज के ऐसे सदस्य को निष्कासित कर सकता है;

ख. यदि एक्सचेंज को इसकी आवश्यकता है, तो सीमित देयता भागीदारी के साझाकरण पैटर्न के साथ भागीदारों की सूची सहित ऐसी अन्य जानकारी एक्सचेंज को प्रस्तुत की जाएगी;

ग. एलएलपी समझौते में ऐसे प्रावधान शामिल होंगे जिनकी एक्सचेंज को समय–समय पर आवश्यकता हो सकती है;

घ. एलएलपी और उसके नामित साझेदारों ने किसी भी शर्त या आवश्यकता को बिना शर्त पूरा करने का वचन दिया है, जिस पर एक्सचेंज समय–समय पर एक्सचेंज के सदस्य के रूप में प्रवेश और बने रहने के लिए जोर दे सकता है; और

ड. एक्सचेंज की पूर्वानुमति के बिना एलएलपी द्वारा किसी भी नए भगीदार को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

iii. एक्सचेंज को पूर्व सूचना और उसकी मंजूरी के बिना मौजूदा एलएलपी के नाम में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा; और यदि इसे मंजूरी मिल जाती है, तो इसे एक्सचेंज के नोटिस बोर्ड पर पोस्ट कर दिया जाएगा।

iv. कोई भी भागीदार/नामित भागीदार एलएलपी में अपना हित नहीं सौंपेगा या किसी भी तरह से उस पर बोझ नहीं डालेगा।

v कोई भी व्यक्ति एक ही समय में वस्तुओं/प्रतिभूतियों के व्यापार और/या समाशोधन का व्यवसाय करने वाले एक से अधिक एलएलपी में भागीदार नहीं होगा।

vi एलएलपी के भागीदारों के हर बदलाव की सूचना, अनुमोदन, एक्सचेंज के नोटिस बोर्ड पर लगाया जाएगा।

vii एक एलएलपी एक्सचेंज के विघटन या समापन पर उसका सदस्य नहीं रहेगा।

viii एलएलपी के साझेदारों को ऐसी साझेदारी में विघटन, सेवानिवृत्ति, मृत्यु, समापन या पुनर्गठन या अन्यथा किसी भी बदलाव के बारे में सभी साझेदारों या जीवित साझेदारों के हस्ताक्षर के तहत लिखित रूप में एक्सचेंज को सूचित करना होगा।

ix विघटित एलएलपी के पूर्व साझेदारों के पास, जो अपनी व्यक्तिगत क्षमता में एक्सचेंज के सदस्य हैं, के अलावा एक्सचेंज के सदस्य काा कोई अधिकार, विशेषाधिकार, पात्रता या रियायत नहीं होगी, या कंपनी या एक्सचेंज के खिलाफ कोई दावा नहीं होगा। पूर्ववर्ती एलएलपी में भागीदार होने के आधार पर, एलएलपी व्यवसाय से संबंध।

x एलएलपी का एक भागीदार जो एक्सचेंज का सदस्य है, वस्तुओं में कारोबार नहीं करेगा/प्रतिभूति व्यापार और समाशोधन, या तो, एक मालिक के रूप में, एक साझेदारी फर्म का भागीदार, किसी अन्य एलएलपी का भागीदार या किसी अन्य कंपनी/बॉडी कॉर्पोरेट का निदेशक जो एक्सचेंज का सदस्य है, एक्सचेंज की पिछली मंजूरी को छोड़कर।

xi. किसी एलएलपी के विघटन की सूचना देने वाले एक्सचेंज के किसी भी नोटिस में एक बयान शामिल होगा कि विघटित/समाप्त एलएलपी की सभी बकाया संविदाओं और देनदारियों को निपटाने की जिम्मेदारी कौन लेता है, लेकिन इसे उसके अन्य साझेदारों को दोषमुक्त नहीं माना जाएगा, ऐसी बकाया संविदाओं और देनदारियों के लिए उनकी जिम्मेदारी।

xii. कोई भी एलएलपी जो उपरोक्त किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, सुनवाई का अवसर दिए जाने के बाद, सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा तय की गई अवधि के लिए उसे निलंबित कर दिया जाएगा और/या उसको एक्सचेंज की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाएगा।

6. कॉर्पोरेट सदस्यता

क. एक्सचेंज के सदस्यों के रूप में कॉर्पोरेट निकाय

क. कोई भी कंपनी/कॉर्पोरेट निकाय एक्सचेंज के सदस्य के रूप में प्रवेश के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक :

i) कंपनी के ज्ञापन और संगम अनुच्छेदों को एक्सचेंज द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

ii) जिन उद्देश्यों के लिए कंपनी की स्थापना की गई है उनमें वस्तुओं में व्यापार करना और/या वस्तुओं में लेनदेन/संविदाओं को समाशोधित करना और निपटान करना शामिल होगा।

iii) कंपनी/निकाय कॉर्पोरेट को किसी अन्य कमोडिटी एक्सचेंज द्वारा चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है या चूककर्ता घोषित करने की तारीख से पांच साल की अवधि समाप्त हो गई है।

ख. कंपनी ने निम्नलिखित को पूरा करने का कार्य किया है :

i. इसकी स्थिति या संविधान में किसी भी बदलाव के लिए एक्सचेंज से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना जिसमें शामिल होगा,
   1. कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 391 या उस समय लागू किसी अन्य कानून के संबंधित प्रावधान के दायरे में आने वाले समामेलन, पृथक्करण, समेकन या किसी अन्य प्रकार का कॉर्पोरेट पुनर्गठन;
   2. इसके प्रबंध निदेशकों, पूर्णकालिक निदेशकों या निदेशकों में परिवर्तन के नियम 9 की उप–विधि (4क) के खंड (v) के अनुपालन में नियुक्त किया गया है, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957; और
   3. कॉर्पोरेट निकाय पर निससत्रण में कोई परिवर्तन।]

ii. यदि एक्सचेंज चाहेगा तो कंपनी के शेयरधारिता पैटने के साथ शेयरधारकों की सूची एक्सचेंज को प्रस्तुत की जाएगी;

iii. कंपनी के संगम अनुच्छेदों में ऐसे प्रावधान शामिल होंगे जिनकी एक्सचेंज को समय–समय पर आवश्यकता हो सकती है;

iv. कंपनी ने किसी भी शर्त या आवश्यकता को बिना शर्त पूरा करने का दायित्व लिया है, जिस पर एक्सचेंज एक्सचेंज के सदस्य के रूप में प्रवेश के लिए जोर दे सकता है;

v. कंपनी का व्यवसाय हर समय इस प्रकार प्रबंधित किया जाएगा कि वह समय–समय पर लागू होने वाली एक्सचेंज की उप–विधियों, नियमों और विनियमों का अनुपालन कर सके।

vi. किसी कंपनी का निदेशक, जो एक्सचेंज का सदस्य है, कमोडिटी ट्रेडिंग और क्लियरिंग में, एक्सचेंज की पिछली मंजूरी को छोड़कर व्यवसाय नहीं करेगा, या तो मालिक के रूप में, किसी फर्म या एलएलपी के भागीदार या किसी अन्य कंपनी के निदेशक के रूप में, जो एक्सचेंज का सदस्य है।

vii. यदि कंपनी के शेयरधारिता पैटर्न में कोई बदलाव होता है, जो एक्सचेंज बोर्ड को स्वीकार्य नहीं है, तो बोर्ड ऐसी कार्रवाई कर सकता है जो वह उचित समझे।

संगठन के अन्य रूपों के संबंध में, एक्सचेंज, एक्सचेंज की सदस्यता की पात्रता आवश्यकता, नियम और शर्तें तय कर सकता है।

ख. बोर्ड व्यावसायिक नामों को मंजूरी देगा

एक्सचेंज के सदस्य जो किसी विशेष व्यवसाय या फर्म या व्यापार नाम या शैली के तहत अपना व्यवसाय चलाने के इच्छुक हैं, उन्हें ऐसे नाम की सूचना एक्सचेंज को लिखित रूप में देनी होगी। एक्सचेंज, एक्सचेंज के किसी सदस्य को ऐसे नाम के तहत व्यापार करने की अनुमति देने से इनकार कर सकता है जिसे वह भ्रामक मानता है, यदि ऐसा नाम निकाय कॉर्पोरेट या फर्म के नाम से भिन्न होता है, और ऐसे मामलों में एक्सचेंज का सदस्य स्वतंत्र होगा, एक्सचेंज की मंजूरी से कोई अन्य नाम चुनें।

ग. ट्रेड नाम रजिस्टर रखना होगा

जहां एक्सचेंज के किसी भी सदस्य ने किसी व्यवसाय या व्यापार या फर्म के नाम के तहत व्यापार करने के लिए एक्सचेंज की अनुमति या अनुमोदन प्राप्त किया है, उसका विवरण व्यवसाय नामों के रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा, जो एक्सचेंज के सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए खुला रहेगा।

घ. स्वीकृत उपयोकर्ताओं की नियुक्ति

एक्सचेंज पर व्यापार करने वाला एक्सचेंज का सदस्य स्वचालित व्यापार प्रणाली से जुड़े व्यापारी कार्य स्टेशनों के संचालन के लिए एक्सचेंज की अनुमति से अनुमोदित उपयोगकर्ताओं के रूप में ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करने का हकदार होगा जो उसके स्वयं के विशेष रोजगार में हैं या उसके अधिकृत व्यक्ति हैं। एक्सचेंज का संचालन करना और ऐसे सदस्य/ट्रेडिंग सदस्य की ओर से ऐसे सिस्टम/खंड में ऑर्डर दर्ज करना।

अनुमोदित उपयोगकर्ताओं को नियुक्त करने के इच्छुक एक्सचेंज के सदस्य को बोर्ड की अनुमति के लिए ऐसे फॉर्म में आवेदन करना होगा जो बोर्ड समय–समय पर निर्धारित कर सकता है। बोर्ड समय–समय पर अनुमोदित उपयोगकर्ताओं की नियुक्ति, संचालन और समाप्ति के लिए नियम और विनियम तैयार करेगा।

7. प्राधिकृत व्यक्ति

1. प्राधिकृत व्यक्ति की नियुक्ति

1.1 एक्सचेंज के सदस्य एक्सचेंज से विशिष्ट पूर्व अनुमोदन प्राप्त करनेके बाद एक या अधिक अधिकृत व्यक्तियों को नियुक्त कर सकते हैं।

1.2 अनुमोदन और नियुक्ति ऐसे प्रत्येक अधिकृत व्यक्ति के लिए विशिष्ट होगी।

2. नियुक्ति की प्रक्रिया

2.1 एक्सचेंज का एक सदस्य "प्राधिकृत व्यक्ति" के रूप में नियुक्ति के लिए एक्सचेंज द्वारा अधिसूचित प्रारूप में एक्सचेंज में आवेदन कर सकता है।

2.2 अपने सदस्य से किसी अधिकृत व्यक्ति की नियुक्ति के अनुमोदन के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, एक्सचेंज यह कर सकता है :

क) इस बात से संतुष्ट होने पर अनुमोदन प्रदान करें कि वह व्यक्ति प्राधिकृत व्यक्ति के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र है, या

ख) इस बात से संतुष्ट होने पर कि वह व्यक्ति प्राधिकृत व्यक्ति के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है, अनुमोदन से इंकार कर दें।

2.3 एक्सचेंज के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी समय किसी भी अधिकृत व्यक्ति को दी गई/दी जाने वाली अनुमति को अस्वीकार करने या वापस लेने का विवेकाधिकार होगा, यदि एक्सचेंज अपने पूर्ण विवेक से ऐसे इनकार/वापसी को बाजार के हित में मानता है।

3. पात्रता मापदंड

3.1 व्यक्तियों

क. यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है तो वह "प्राधिकृत व्यक्ति" के रूप में नियुक्त होने का पात्र है;

ख. 18 वर्ष से कम आयु न हो;

ग. धोखाधड़ी या बेईमानी से जुड़े किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है;

घ. अच्छी प्रतिष्ठा और चरित्र है;

ड. कम से कम 10वीं पास हो, केंद्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से मानक या समकक्ष परीक्षा; और

च. अधिकृत व्यक्तियों के अनुमोदित उपयोगकर्ताओं और/या बिक्री कर्मियों के पास हर समय संबंधित खंडों का आवश्यक प्रमाणीकरण होना चाहिए।

3.2 एक साझेदारी फर्म, एलएलपी या एक कॉर्पोरेट निकाय

एक साझेदारी फर्म, एलएलपी या एक कॉर्पोरेट निकाय अधिकृत व्यक्ति के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र है;

क. यदि सभी भागीदार या निदेशक, जैसा भी मामला हो, उपरोक्त खं डमें निहित आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं।

ख. पार्टनरशिप डीड या संगम ज्ञापन के ऑब्जेक्ट क्लॉज में एक क्लॉज होता है जो व्यक्ति को प्रतिभूतियों/संविदाओं में सौदा करने की अनुमति देता है।

3.3 आधारभूत संरचना

सदस्य की ओर से गतिविधियों को प्रभावी ढंग से निष्पादित करने के लिए अधिकृत व्यक्ति के पास

आवश्यक बुनियादी ढांचा होना चाहिए, जैसे पर्याप्त कार्यालय स्थान, उपकरण, जनशक्ति और ऐसी अन्य ढांचागत सुविधाएं, जिन्हें एक्सचेंज समय–समय पर निर्धारित कर सकता है।

4. नियुक्ति की शर्तें

4.1 एक्सचेंज के किसी सदस्य के "अधिकृत व्यक्ति" के रूप में नियुक्त होने पर, ऐसा व्यक्ति या इकाई, ऐसे सदस्य का अधिकृत व्यक्ति बने रहने के दौरान, एक्सचेंज के किसी अन्य सदस्य का अधिकृत व्यक्ति बनने के लिए अर्हता प्राप्त नहीं करेगा।

4.2 प्राधिकृत व्यक्ति अपने नाम या खाते में कोई पैसा प्राप्त या भुगतान नहीं करेगा या वस्तुओं की डिलीवरी में सौदा नहीं करेगा। धन की सभी प्राप्तियां और भुगतान और वस्तुओं में लेनदेन एक्सचेंज के संबंधित सदस्य के नाम या खाते में होगा, जिसके लिए उसे अधिकृत व्यक्ति के रूप में नियुक्त किया गया है।

4.3 प्राधिकृत व्यक्ति को अपनी सेवाओं के लिए अपना पारिश्रमिक – शुल्क, प्रभार, कमीशन, वेतन इत्यादि केवल उस सदस्य से प्राप्त होगा जिसका वह एक्सचेंज के सदस्य का "प्राधिकृत व्यक्ति" है और वह अपने ग्राहकों से किसी भी मद में कोई राशि नहीं लेगा।

4.4 प्राधिकृत व्यक्ति के सभी चूक और कृत्य सदस्य के माने जाएंगे।

4.5 सदस्य और अधिकृत व्यक्ति एक्सचेंज द्वारा निर्दिष्ट फॉर्म में लिखित समझौते करेंगे। समझौते में अन्य बातों के साथ–साथ गतिविधियों का दायरा, जिम्मेदारियां, सूचना की गोपनीयता, कमीशन साझा करना, समाप्ति खंड आदि शामिल होंगे।

4.6 किसी भी अधिकृत व्यक्ति के लिए एक्सचेंज द्वारा दी गई अनुमति केवल सदस्यों को उनके द्वारा अधिकृत व्यक्तियों के माध्यम से एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर व्यापार करने की सुविधा प्रदान करने के लिए है और ऐसी अनुमति को ऐसे मामले में सदस्य की किसी भी तरह से दायित्व और जिम्मेदारी को माफ करने, कम करने या प्रभावित करने के लिए नहीं माना जाएगा।

4.8 सदस्य प्राधिकृत व्यक्ति की सभी भूल–चूक के लिए जिम्मेदार होगा।

4.9 किसी अधिकृत व्यक्ति के भागीदार या निदेशक को एक्सचेंज के किसी अन्य सदस्य के अधिकृत व्यक्ति के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

ऊपर निर्धारित शर्तों के अलावा, एक आवेदक को सेबी द्वारा समय–समय पर निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करना होगा।

5. अनुमोदन वापस लेना

किसी अधिकृत व्यक्ति को दी गई मंजूरी एक्सचेंज द्वारा वापस ली जा सकती है :

5.1 सदस्य या संबंधित अधिकृत व्यक्ति से इस आशय का अनुरोध प्राप्त होने पर, एक्सचेंज द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के अनुपालन के अधीन।

5.2 इस बात से संतुष्ट होने पर कि अधिकृत व्यक्ति की निरंतरता निवेशकों या कमोडिटी प्रतिभूति बाजार के हितों के लिए हानिकारक है।

5.3 उपरोक्त खंड 3 के अंतर्गत आगामी तिथि में अपात्र हो जाने पर।

5.4 सेबी के निर्देश पर।

6. एक्सचेंज के सदस्यों के दायित्व

6.1 सदस्य यहां नीचे उल्लिखित अन्य उप–विधियों में उल्लिखित शर्तों के अधीन एक्सचेंज द्वारा अधिकृत व्यक्ति के पंजीकरण के संबंध में संचार प्राप्त होने के बाद ही प्राधिकृत व्यक्ति को ग्राहकों को स्वीकार करने या उनका परिचय कराने और उनकी ओर से ग्राहकों से ऑर्डर स्वीकार करने की अनुमति देगा।

6.2 सदस्य अपने प्राधिकृत व्यक्ति और/या उनके कर्मचारियों के सभी चूक और कृत्यों के लिए जिम्मेदार होगा, जिसमें उनसे उत्पन्न होने वाली देनदारियां भी शामिल हैं।

6.3 यदि कोई ट्रेडिंग टर्मिनल सदस्य द्वारा किसी "अधिकृत व्यक्ति" को प्रदान किया जाता है तो वह स्थान जहां ऐसा ट्रेडिंग टर्मिनल स्थित है, उसे सदस्य का शाखा कार्यालय माना जाएगा।

6.4 सदस्य ऐसे प्रत्येक शाखा कार्यालय में अतिरिक्त जानकारी प्रदर्शित करेगा, जैसे, उस शाखा के प्रभारी अधिकृत व्यक्ति का विवरण, उसकी नियुक्ति के नियम और शर्तें, अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से लेनदेन की समय–सीमा आदि, जैसा कि एक्सचेंज द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

6.5 सदस्य प्राधिकृत व्यक्ति में परिवर्तन, यदि कोई हो, को उस शाखा के सभी पंजीकृत ग्राहकों को ऐसे परिवर्तन से कम से कम 30 दिन पहले या ऐसे अन्य दिनों में सूचित करेगा जो सेबी या एक्सचेंज द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

6.6 सदस्य एक्सचेंज द्वारा निर्धारित अनुसार प्राधिकृत व्यक्तियों सौंपी गई शाखाओं और उनके द्वारा किए गए संचालन के रिकॉर्ड का आवधिक निरीक्षण करेगा।

6.7 यह सदस्य की जिम्मेदारी होगी कि वह अपने अधिकृत व्यक्ति के रिकॉर्ड का ऑडिट करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके िकवे एक्सचेंज के नियमों, उप–विधियों और विनियमों का अनुपालन करते हैं।

6.8 अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से काम करने वाले ग्राहक को केवल सदस्य के साथ पंजीकृत किया जाएगा। ग्राहकों के फंड, धन, वस्तुएं, प्रतिभूतियां या गोदाम रसीदें, जैसा भी मामला हो, सीधे सदस्य और ग्राहक के बीच तय की जाएंगी। कोई फंड या सामान नहीं/ग्राहकों की प्रतिभूतियों को किसी अधिकृत व्यक्ति के किसी भी खाते में स्थानांतरित/जमा/जमा किया जाएगा।

6.9 सभी दस्तावेज जैसे संविदा नोट, निधियों और वस्तुओं/प्रतिभूतियों आदि का विवरण सदस्य द्वारा ग्राहक को जारी किए जाएंगे। अधिकृत व्यक्ति दस्तावेजों की खरीद और निपटान में प्रशासनिक सहायता प्रदान कर सकता है, लेकिन ग्राहक को अपने नाम पर कोई दस्तावेज जारी नहीं करेगा।

6.10 किसी अधिकृत व्यक्ति के संचालन में अनियमितताएं, यदि कोई हों, देखने पर, सदस्य तुरंत अनुमोदन वापस लेने की मांग करेगा, ग्राहक की शिकायतों के समाधान तक अधिकृत व्यक्ति को देय सभी धनराशि रोक देगा, उस स्थान पर ग्राहकों को सचेत करेगा जहां अधिकृत व्यक्ति काम करता है, शिकायत दर्ज करेगा। पुलिस के साथ, और अपने ग्राहकों तथा बाजार के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक सभी उपाय करेगा।

6.11 सदस्यों को यह सुनिश्चित करना होगा कि एक्सचेंज या सेबी द्वारा निर्धारित सभी दस्तावेज ऐसे प्रत्येक ग्राहक से प्राप्त होने से पहले अधिकृत व्यक्ति की ओर से कोई आदेश निष्पादित नहीं किया जाता है।

6.12 यूनिक क्लाइंट कोड से संबंधित विवरण अपलोड करना सदस्य की जिम्मेदारी होगी और अधिकृत व्यक्ति किसी भी क्लाइंट को यूनिक क्लाइंट कोड नहीं बना या आवंटित नहीं कर सकता है।

6.13 उपरोक्त 6.11 और 6.12 में उल्लिखित सीाी दस्तावेज एक्सचेंज या सेबी द्वारा आवश्यक होने पर ऑडिट और निरीक्षण के लिए सदस्य के पास उपलब्ध होने चाहिए।

7. एक्सचेंज के दायित्व

7.1. एक्सचेंज सभी अधिकृत व्यक्तियों का एक डेटाबेस बनाए रखेगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :

क) प्राधिकृत व्यक्ति का पैन नम्बर और साझेदारी या कॉर्पोरेट निकाय के मामले में, सभी भागीदारों या निदेशकों का पैन नम्बर, जैसा भी मामला हो, तस्वीरों के साथ होना चाहिए।
ख) उस सदस्य का विवरण जिसके साथ अधिकृत व्यक्ति पंजीकृत है।
ग) प्राधिकृत व्यक्ति को शाखा के स्थान सौंपे गए।
घ) प्रत्येक प्राधिकृत व्यक्ति को टर्मिनलों की संख्या और उनका विवरण दिया गया।
ड.) किसी प्राधिकृत व्यक्ति की मंजूरी वापस लेना।

च) प्राधिकृत व्यक्ति की स्थिति या संविधान में परिवर्तन।

छ) एससीआरए/सेबी अधिनियम, उप–विधियों, नियमों, एक्सचेंज के विनियमों या सेबी के निर्देशों, जैसा भी मामला हो, के उल्लंघन के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किसी भी सदस्य के खिलाफ एक्सचेंज द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई।

उपरोक्त (क) को छोड़कर उपरोक्त सभी विवरण एक्सचेंज की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

7.2 सदस्य के निरीक्षण का संचालन करते समय, एक्सचेंज उन शाखाओं का भी निरीक्षण कर सकता है जहां अधिकृत व्यक्तियों के टर्मिनल स्थित हैं और संचालन के रिकॉर्ड उनके द्वारा किए जाते हैं।

7.3 किसी ग्राहक और अधिकृत व्यक्ति के बीच किसी भी विवाद को ग्राहक और सदस्य के बीच विवाद के रूप में माना जाएगा और एक्सचेंज द्वारा तदनुसार उसका निवारण किया जाएगा।

7.4 अनुशासनात्मक कार्रवाई के कारण या नियामक निर्देश पर किसी अधिकृत व्यक्ति की मंजूरी वापस लेने के मामले में, एक्सचेंज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करेगा और मंजूरी वापस लेने या रद्द करने का कारण बताते हुए ऐसे अधिकृत व्यक्तियों के नाम अपनी वेबसाइट पर प्रसारित करेगा।

8. कार्य स्टेशनों की संख्या

शासी बोर्ड समय–समय पर ट्रेडर वर्क स्टेशनों की संख्या निर्धारित करेगा जो एक्सचेंज के ए सदस्य को प्रदान किए जा सकते हैं और एक्सचेंज का एक सदस्य स्वीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या को नियोजित करने का हकदार होगा।

9. गठित अटार्नी

प्राधिकृत प्रतिनिधियों के बराबर ही अटार्नी नियुक्त करने की शक्ति

क. एक्सचेंज का एक सदस्य एक्सचेंज में अपने व्यवसाय को चलाने या उसकी निगरानी करने या एक्सचेंज में लेनदेन के संबंध में उसकी ओर से संविदा, रिपोर्ट और बयानों का स्पष्ट करने और हस्ताक्षर करने के लिए किसी भी व्यक्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकता है; बशर्ते कि इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति कम से कम इक्कीस वर्ष का हो, अन्य सभी मामलों में एक्सचेंज के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए पात्र हो और उसकी नियुक्ति पहले बोर्ड द्वारा अनुमादित हो।

ख. एक्सचेंज के सदस्य द्वारा दी गई किसी भी पावर ऑफ अटॉर्नी या उसमें किसी भी बदलाव को एक्सचेंज द्वारा एक्सचेंज के नोटिस बोर्ड पर तथ्य की सूचना पोस्ट करके सूचित किया जा सकता है।

ग. एक्सचेंज द्वारा गठित अटार्नियों का एक रजिस्टर रखा जाएगा जिसमें गठित अटार्नियों के नाम और एक्सचेंज के नियुक्त सदस्यों के नाम ओर उनमें होने वाले किसी भी बदलाव के साथ–साथ उन तारीखों को दर्ज किया जाएगा जिन पर अधिकार दिया गया है और/या रद्द कर दिया गया है, जो एक्सचेंज के सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए खुला रहेगा।

घ. इन वर्तमानों में शामिल कुछ भी एक्सचेंज के सदस्य को उसके अटार्नी के कृत्यों या चूक के लिए जिम्मेदारी से पावर ऑफ अटॉर्नी देने से मुक्त नहीं करेगा।

ड. कोई भी व्यक्ति केवल इस कारण से एकसचेंज के कार्यालयों या एक्सचेंज के कार्यालयों में प्रवेश का हकदार नहीं होगा कि उसके पास एक्सचेंज के किसी सदस्य से पावर ऑफ अटॉर्नी है।

च. कोई भी सदस्य या गठित अटार्नी/अधिकृत प्रतिनिधि या अनुस्मारक किसी भी निष्क्रिय ग्राहक के लिए पोर्टफोलियो का प्रबंधन नहीं करेगा। सदस्य ग्राहक द्वारा दिए गए प्रत्येक ऑर्डर का लिखित या इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज या वॉयस रिकॉर्डिंग उपकरण के रूप में रिकॉर्ड रखेगा। इस तरह के रिकॉर्ड को एक्सचेंज के सदस्य द्वारा अधिसूचित स्थान पर कम से कम दो साल तक और विवादित मामलों में, विवाद के अंतिम निपटान से छह महीने तक संरक्षित और बनाए रखा जाएगा।

8. सदस्यता की समाप्ति

क. सदस्यता की हानि

क) निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक घटनाओं के घटित होने पर एक्सचेंज का कोई भी सदस्य एक्सचेंज का सदस्य नहीं रह जाएगा :

i. मृत्यु से;

ii. साझेदारी फर्म या एलएलपी के मामले में विघटन द्वारा;

iii. उप–विधियों, नियमों और विनियमों और यहां निहित प्रावधानों के अनुसार निष्कासन द्वारा;

iv. इन प्रावधानों, उप–विधियों, नियमों और विनियमों या किसी अन्य कमोडिटी एक्सचेंज ` अनुसार चूककर्ता घोषित होने पर;

v. उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया है या उसके खिलाफ दिवालियेपन का आदेश प्राप्त कर लिया गया है या वह दिवालिया साबित हो गया है;

vi. उसे नैतिक अधमता से जुड़े एक कृत्य का दोषी ठहराया गया है;

vii. सदस्यता के त्यागपत्र/समर्पण द्वारा;

viii. उसे पागल घोषित कर दिया गया है;

ix. एक कंपनी/कॉर्पोरेट निकाय होने के नाते, यह एक्सचेंज के नियमों और लेखों के प्रावधानों के तहत पात्रता की विशेषताओं को बनाए रखना या रखना बंद कर देता है या समाप्त हो जाता है;

x. उसे दिवालिया/दिवालिया घोषित कर दिया गया है;

xi. सेबी पंजीकरण के लिए कोई दस्तावेज जमा करने में विफलता या पंजीकरण के लिए सेबी को प्रस्तुत आवेदन एक्सचेंज द्वारा वापस ले लिया जाता है या सेबी द्वारा पंजीकरण के लिए आवेदन को अस्वीकार कर दयिा जाता है।

xii. सेबी के साथ पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया गया है।

एक्सचेंज के अनुच्छेदों, उप–विधियों, नियमों और विनियमों के किसी भी अन्य प्रावधान में निहित किसी भी बात के बावजूद, एक्सचेंज के सदस्यों का एक्सचेंज की सदस्यता से निष्कासन, चाहे वे कॉर्पोरेट निकाय, साझेदारी, व्यक्ति या ऐसे अन्य व्यक्ति हों जिन्हें प्रवेश दिया गया हो एक्सचेंज के सदस्य के रूप में अंतिम और निर्णायक होगा।

ख. चूककर्ता का नामांकन, ट्रांसमिश्ज्ञन, अभ्यर्पण और घोषणा

यदि कोई व्यक्ति, जो अपने नाम पर एक्सचेंज का सदस्य है या एक्सचेंज की सदस्यता का एकमात्र मालिक है, की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे मृतक की ओर से उसके कानूनी प्रतिनिधि या अधिकृत प्रतिनिधि या अनुमोदित उपयोगकर्ता, यदि कोई हों, नहीं करेंगे। मृतक के बकाया व्यवसाय को समाप्त करने के उद्देश्य को छोड़कर, मृतक की सदस्यता के नाम पर कोई भी व्यवसाय करना जारी रखें।

किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद जो अपने नाम पर एक्सचेंज का सदस्य है या एक्सचेंज की सदस्यता का एकमात्र मालिक है, उसके उत्तराधिकारी या उसके कानूनी प्रतिनिधि बोर्ड से मृतक की सदस्यता उसके उत्तराधिकारी को हस्तांतरित करने का अनुरोध कर सकते हैं। जो अन्यथा एक्सचेंज की सदस्यता के लिए पात्र हैं और बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से ऐसे उत्तराधिकारी के नाम पर सदस्यता हस्तांतरित कर सकता है।

उस व्यक्ति से कोई नया प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा जिसके नाम पर इस अनुच्छेद के तहत सदस्यता प्रसारित की गई है।

एक सदस्य अपनी सदस्यता छोड़ने का भी हकदार होगा। ऐसे अभ्यर्पण के मामले में, इस प्रकार अभ्यर्पण की गई सदस्यता समाप्त हो जाएगी। सदस्यता का ऐसा अभ्यर्पण एक्सचेंज के सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन के बाद ही वैध होगा और यह एक्सचेंज द्वारा निर्धारित प्रकिया, नियमों और शर्तों के अनुपालन के अधीन होगा। सदस्यता के अभ्यर्पण के लिए आवेदन, एक बार दायर किया गया, अपरिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय है जब तक कि अभ्यर्पण आवेदनों को मंजूरी देने के लिए अधिकृत सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा इस तरह के निरसन के कारणों से संतुष्ट होने पर अनुमति नहीं दी जाती है। सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन के बाद, पूर्व सदस्य सभी लंबित बकाया और दावों, यदि कोई हो, के निपटान के अधीन और एक्सचेंज द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम लॉक इन अवधि के अधीन, अपनी वापसी योग्य सुरक्षा जमा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।

ग. नामांकन

एक्सचेंज का प्रत्येक सदस्य इसके बाद या एक्सचेंज के विनियमों में निर्धारित शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन एक्सचेंज की सदस्यता के लिए किसी अन्य व्यक्ति को अपने उत्तराधिकारी के रूप में नामित करने का हकदार होगा। हालांकि, जहां एक्सचेंज के मृत सदस्य के कानूनी उत्तराधिकारी इन पस्तावों के तहत एक्सचेंज के सदस्य के रूप में प्रवेश के लिए पात्र किसी व्यक्ति को एक्सचेंज के मृत सदस्य के सीापित व्यवसाय को सफल करने के लिए नामांकित करते हैं, जो है उसके पिता, चाचा, भाई या पुत्र या ऐसा कोई अन्य व्यक्ति जो बोर्ड की राय में करीबी रिश्तेदार है, ऐसे नामांकित व्यक्ति को एक्सचेंज के सदस्य के रूप में प्रवेश दिया जाएगा, बशर्ते वह इसके तहत एक्सचेंज की सदस्यता के लिए प्रस्तुत करता है, अन्यथा योग्य और पात्र हो।

1. नामांकन के प्रपत्र

i. **अपने जीवनकाल के दौरान नामांकन करने वाले एक्सचेंज के सदस्य के लिए फॉर्म :** एक्सचेंज का एक सदस्य एक्सचेंज द्वारा निर्धारित फॉर्म में एक्सचेंज नामांकन के साथ एक्सचेंज की सदस्यता से अपना इस्तीफा दे सकता है। परिवार के सदस्य के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में यह नामांकन एक्सचेंज के सदस्य के जीवनकाल के दौरान एक्सचेंज के साथ दर्ज होने पर वैध होगा और यदि एक्सचेंज के सदस्य की मृत्यु इस नामांकन फॉर्म के साथ जमा होने से पहले हो जाती है, तो यह स्वचालित रूप से रद्द हो जाएगा।

ii. **परिवार के किसी सदस्य के पक्ष में नामांकन का प्रपत्र :** एक्सचेंज का कोई सदस्य निर्धारित प्रपत्र में एक्सचेंज नामांकन के साथ सदस्यता से अपना इस्तीफा दे सकता है। एक्सचेंज के किसी सदस्य द्वारा अपने जीवनकाल के दौरान परविार के किसी सदस्य के पक्ष में दर्ज कराया गया यह नामांकन नए नामांकन द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने तक वैध रहेगा।

iii. **कानूनी उत्तराधिकारियों/कानूनी प्रतिनिधियों के लिए प्रपत्र :** कानूनी उत्तराधिकारियों/कानूनी प्रतिनिधियों को एक्सचेंज के मृत सदस्य के संबंध में निहित नामांकन के अधिकार का प्रयोग करते हुए, निर्धारित फॉर्म में एक्सचेंज नामांकन दाखिल करना होगा।

क. एक्सचेंज की सदस्यता ऐसे शुल्क के भुगतान पर हस्तांतरणीय होगी जो एक्सचेंज समय–समय पर निर्धारित कर सकता है, बशर्ते कि ऐसा हस्तांतरण केवल बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख से ही प्रभावी होगा। यदि एक्सचेंज के हित में हो तो बोर्ड के पास सदस्यता के हस्तांतरण से इनकार करने की शक्ति होगी; ऐसा करना समीचीन है।

ख. बोर्ड समय–समय पर सदस्यता के हस्तांतरण से संबंधित अन्य नियम और शर्तें तय करने के लिए भी सक्षम होगा।

ग. **नामांकन की सूचना :** प्रस्तावित नामांकन की सूचना नोटिस बोर्ड पर पोस्ट की जाएगी या एक्सचेंज की स्वचालित ट्रेडिंग प्रणाली के माध्यम से प्रसारण के माध्यम से अधिसूचित की जाएगी। ऐसी सूचना पोस्ट करने/अधिसूचित करने के 15 कैलेंडर दिनों के भीतर, जैसा भी मामला हो, कोई भी व्यक्ति या एक्सचेंज का कोई भी सदस्य एक्सचेंज के उस सदस्य के खिलाफ दावा दायर कर सकता है जिसके संबंध में नामांकन किया गया है और/या जिन व्यक्तियों के पक्ष में नामांकन किया गया है और उक्त अवधि के

भीतर कोई दावा दायर नहीं किया गया है, उन्हें संक्षिप्त अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा और शासी बोर्ड द्वारा उन पर विचार नहीं किया जा सकता है।

घ. **बकाया और दावे :** शासी बोर्ड किसी नामांकन को तब तक मंजूरी नहीं देगा जब तक कि एक्सचेंज का नामांकित सदस्य, और मृत सदस्य के मामले में, उसके कानूनी उत्तराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधि या वह व्यक्ति/व्यक्ति जिनके पक्ष में नामांकन किया गया है, ने भुगतान नहीं किया होगा और पूरी तरह संतुष्ट नहीं होंगे ::

i. **एक्सचेंज का बकाया :** एक्सचेंज और/या क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन को देय ऐसे अभिदान, ऋण, जुर्माना, शुल्क, प्रभार और अन्रू धनराशि एक्सचेंज के नामांकित सदस्य या एक्सचेंज के मृत सदस्य की आरे से कानूनी उत्तराधिकारियों/कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा देय है।

ii. **संविदाओं से संबंधित देनदारियां :** एक्सचेंज के नामांकित या मृत सदस्य द्वारा की गई किसी भी संविदा से उत्पन्न होने वाले ऐसे ऋण, देनदारियां, दायित्व और दावे, एक्सचेंज के नियमों, उप–विधियों और विनियमों के अधीन, जैसा कि शासी बोर्ड या सदस्यता द्वारा स्वीकार किया गया होगा समिति और एक्सचेंज के नामित या मृत सदस्य द्वारा सेटलमेंट/ट्रेड गारंटी फंड या एक्सचेंज के किसी अन्य फंड के लिए देय या देय सभी राशियां।

ड. **नामांकन :** यदि कोई नामांकित व्यक्ति एक्सचेंज के नियमों या विनियमों के तहत पात्र नहीं है या यदि किसी नामांकित व्यक्ति को शासी बोर्ड द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, तो एक नया नामांकन या नामांकन एक्सचेंज को प्रस्तुत किया जा सकता है, जब तक कि नामांकित व्यक्ति को एक्सचेंज के सदस्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है।

च. **साक्षात्कार :** प्रवेश के लिए उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए सदस्यता चयन समिति/शासी बोर्ड की किसी भी बैठक में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।

2. नमांकन के नियम :

i नमांकन एक्सचेंज के किसी सदस्य द्वासरा उसके इस्तीफे से पहले या बाद में किया जा सकता है और यह ऐसे फॉर्म या फॉर्म में होगा जैसा बोर्ड समय–समय पर निर्धारित कर सकता है।

ii एक्सचेंज के मृत सदस्य या उसके उत्तराधिकारियों के कानूनी प्रतिनिधि, बोर्ड की मंजूरी से, एक्सचेंज की सदस्यता में प्रवेश के लिए इन प्रावधानों के तहत पात्र किसी भी व्यक्ति को मृत सदस्य के सीान पर प्रवेश के लिए उम्मीदवार के रूप में नामित कर सकते हैं।

iii एक्सचेंज का एक सदस्य जिसने एक्सचेंज की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, वह इसके द्वारा प्रदत्त नामांकन की शक्ति का प्रयोग करने का हकदार होगा, यदि वह तारीख से पहले कम से कम तीन (3) वर्ष की अवधि के लिए एक्सचेंज का सदस्य रहा हो। उनके इस्तीफे का, बशर्ते कि तीन (3) वर्षों के लिए एक्सचेंज की सदस्यता की आवश्यकता एक्सचेंज के सदस्य की मृत्यु पर नामांकन द्वारा उत्तराधिकार पर लागू नहीं होगी।

iv एक्सचेंज का एक सदस्य जो इस्तीफा देने का इरादा रखता है, वह भी नामांकन की उपरोक्त शक्ति का प्रयोग कर सकता है, बशर्ते कि उसके नामांकन पत्र में, एक्सचेंज का नामांकित सदस्य एक्सचेंज के सदस्य के रूप में नामांकित व्यक्ति एक्सचेंज के सदस्य के रूप में अपना इस्तीफा भी देगा जो कि प्रवेश के तुरंत बाद प्रभावी होगा।

v यदि इस प्रकार नामांकित कोई भी व्यक्ति इन प्रावधानों के तहत एक्सचेंज के सदस्य के रूप में प्रवेश के लिए अयोग्य पाया जाता है या यदि बोर्ड एक्सचेंज की सदस्यता के लिए नामांकित व्यक्ति के आवेदन को अस्वीकार कर देता है, तो एक्सचेंज के नामांकित सदस्य या किसी मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों को नामांकित किया जाता है।

vi जहां एक्सचेंज का कोई सदस्य इस्तीफा देने से पहले नामांकन करता है और उसके बाद अपना इस्तीफा दे देता है, और यदि एक्सचेंज की सदस्यता के लिए नामित व्यक्ति का आवेदन बोर्ड द्वारा खारिज कर दिया जाता है, तो एक्सचेंज के नामांकित सदस्य का इस्तीफा तब तक प्रभावी नहीं होगा

जब तक उनके नामांकित व्यक्ति को एक्सचेंज के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

vii एक्सचेंज के किसी सदस्य या उसके कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा नामित व्यक्ति को इन प्रस्तुतियों के अनुसार एक्सचेंज की सदस्यता के लिए अपना आवेदन भेजना होगा और आवेदन को उसके गुणों के आधार पर निपटाया जाएगा और कोई भी नामांकित व्यक्ति शामिल होने का हकदार नहीं होगा। केवल उसके नामांकित होने का कारण जब तक कि वह इन प्रस्तुतियों के अनुसार विधिवत योग्य न हो।

viii उपर्युक्त नामांकन के साथ एक्सचेंज की सदस्यता के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति एक्सचेंज की उप–विधियों, नियमों और विनियमों में निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य होगा। बशर्ते कि, बोर्ड एक्सचेंज के किसी सदस्य या एक्सचेंज के किसी मृत सदस्य के कानूनी प्रतिनिधि द्वारा किए गए नामांकन पर विचार करने से इनकार कर सकता है, जब तक कि एक्सचेंज के सदस्य या एक्सचेंज के मृत सदस्य द्वारा एक्सचेंज को देय सभी राशियां न मिलें। इन प्रस्तुतियों के तहत एक्सचेंज के नामांकित सदस्य या एक्सचेंज के मृत सदस्य द्वारा स्वीकृत और/या लेनदेन की गई संविदाओं का पूरा भुगतान किया जाना चाहिए और संतुष्ट होना चाहिए; और यदि बोर्ड द्वारा अधिसूचित अवधि के भीतर पूरा भुगतान नहीं किया जाता है, तो बोर्ड ऐसे नामांकन को अस्वीकार करने का हकदार होगा।

ix. बोर्ड एक्सचेंज के मृत सदस्य की संपत्ति के निष्पादक या प्रशासक को इन प्रस्तुतियों के अनुसार नामांकन के हकदार व्यक्ति के रूप में मान्यता देगा; बशर्ते कि जहां एक्सचेंज के सदस्य की संपत्ति का कोई निष्पादक या प्रशासक न हो, बोर्ड उपरोक्त अनुसार नामांकन करने के उद्देश्य से एक्सचेंज के मृत सदस्य के उत्तराधिकारी होने के किसी भी व्यक्ति के दावे को साक्ष्य और क्षतिपूर्ति और सुरक्षा जैसी शर्तों के अधीन, जिन्हें बोर्ड आवश्यक समझे, मान्यता दे सकता है।

9. चूक

1. चूककर्ता की घोषणा

एक ट्रेडिंग सदस्य को सम्बद्ध प्राधिकारी के निर्देश/परिपत्र/अधिसूचना द्वारा चूककर्ता घोषित किया जा सकता है यदि –

(क) वह अपने दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ है; या

(ख) वह अपने कर्तव्यों, दायित्वों और देनदारियों को पूरा करने या निर्वहन करने में अपनी असमर्थता स्वीकार या प्रकट करता है; या

(ग) वह उप–विधियों, नियमों और व्यावसायिक नियमों के तहत उसके खिलाफ लागू समापन पर होने वाले नुकसान और धन के अंतर को निर्दिष्ट समय के भीतर भुगतान करने में विफल रहता है या असमर्थ है या;

(घ) वह एक्सचेंज को देय किसी भी राशि का भुगतान करने या नियत तारीख पर एक्सचेंज को जमा करने या वितरित करने, ऑर्डर देने और प्राप्त करने, अंतर और प्रतिभूतियों के विवरण, तुलन–पत्र और ऐसे अन्य समाशोधन फॉर्म और प्रासंगिक के रूप में अन्य विवरण देने में विफल रहता है जिन्हें प्राधिकरण समय–समय पर निर्धारित कर सकता है; या

(ड.) यदि वह किसी ट्रेडिंग सदस्य, जिसे चूककर्ता घोषित किया गया है, को देय सभी धन, प्रतिभूतियों और अन्य परिसंपत्तियों का भुगतान करने या सम्बद्ध प्राधिकारी को वितरित करने में विफल रहता है, तो ऐसे ट्रेडिंग सदस्य की चूक की घोषणा के समय के भीतर जैसा कि सम्बद्ध प्राधिकारी निर्देशित कर सकता है; या

(च) यदि वह अपने समाशोधन सदस्य को अपने कर्तव्यों, दायित्वों और देनदारियों का भुगतान करने, पूरा करने या निर्वहन करने में विफल रहता है;

(छ) यदि वह उप–विधियों, नियमों और व्यावसायिक नियमों के तहत निर्धारित निवेशक शिकायत निवारण समिति या पैनल/समाधानकर्ता द्वारा पारित मध्यस्थता अवार्ड/आदेश का पालन करने में विफल रहता है; या

(ज) यदि वह एक व्यक्ति और/या साझेदारी फर्म होने के नाते/कंपनी अधिनियम के तहत निगमित कंपनी होने के नाते, खुद को दिवालिया घोषत करने के लिए अदालत के समक्ष एक आवेदन या याचिका दायर करता है या उसके खिलाफ एक दिवालिया आवेदन दायर किया जाता है, यह दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 के प्रावधानों या उस पर लागू किसी अन्य अनुरूप दिवालियापन कानून, जैसा भी मामला हो, के अनुसार है।

2. अन्य मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज/क्लियरिंग कॉरपोरेशन द्वारा चूक और/या निष्कासन की घोषणा

उपरोक्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि किसी ट्रेडिंग सदस्य को किसी अन्य मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या मान्यता प्राप्त क्लियरिंग कॉर्पोरेश्ज्ञन द्वारा या तो निष्कासित कर दिया जाता है और/या चूककर्ता घोषित कर दिया जाता है, तो उक्त ट्रेडिंग सदस्य को अवसर प्रदान करने के बाद एक्सचेंज द्वारा निष्कासित किया जा सकता है और/या चूककर्ता घोषित कर दिया जाता है, तो उक्त ट्रेडिंग सदस्य को अवसर प्रदान करने के बाद एक्सचेंज द्वारा निष्कासित किया जा सकता है और/या चूककर्ता घोषित किया जा सकता है। ऐसे सदस्य की बात सुनी जाएगी, जब तक कि सेबी समय–समय पर अन्यथा निर्देश न दे।

इस नियम में किसी भी बात के बावजूद, किसी अन्य मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या मान्यता प्राप्त क्लियरिंग कॉर्पोरेशन द्वारा निष्कासन और/या चूक की घोषणा की सूचना प्राप्त होने के तुरंत बाद ट्रेडिंग सदस्य की ट्रेडिंग सदस्य की ट्रेडिंग सुविधा वापस ले ली जाएगी।

3. दायित्वों को पूरा करने में विफलता

सम्बद्ध प्राधिकारी किसी ट्रेडिंग सदस्य को चूककर्ता घोषित करने का आदेश दे सकता है, यदि वह एक्सचेंज लेनेदन से उत्पन्न ट्रेडिंग सदस्य या घटक के प्रति दायित्व को पूरा करने में विफल रहता है।

4. चूक की घोषणा के लिए प्रक्रियाएं तैयार करने के लिए सम्बद्ध प्राधिकारी

सम्बद्ध प्राधिकारी ट्रेडिंग सदस्य को चूककर्ता घोषित करने और चूककर्ता, उसके घटकों या अन्य और उनकी संबंधित संपत्ति में उनके खिलाफ दावों की वसूली के संबंध में नियमों, उप–विधियों और व्यावसायिक नियमों के अनुरूप उचित प्रावधानों और प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट करने का हकदार होगा।

5. चूक की घोषणा के मामले में सहयोगी के खिलाफ कार्रवाई

किसी ट्रेडिंग सदस्य को चूककर्ता घोषित किए जाने पर सम्बद्ध प्राधिकारी ऐसे चूककर्ता सदस्य के सहयोगियों के खिलाफ उचित कार्रवाई कर सकता है।
"सहयोगी" शब्द का वही अर्थ होगा जो समय–समय पर इस संबंध में सेबी द्वारा परिभाषित किया जा सकता है।

6. चूककर्ता को दिवालिया घोषित करना

एक ट्रेडिंग सदस्य, एक व्यक्ति और/या साझेदारी फर्म होने के नाते,/यह, कंपनी अधिनियम के तहत शामिल एक कंपनी होने के नाते, दिवाला और दिवालियापन संहित 2016 या किसी अन्य अनुरूप दिवालियापन के प्रावधानों के अनुसार उसके खिलाफ एक आवेदन स्वीकार किया जाता है। उस पर लागू होने वाले कानून, जैसा भी मामला हो, को चूक घोषित कर दिया जाएगा, भले ही उसने एक्सचेंज पर अपने किसी भी दायित्व पर चूककर्ता न किया हो, बशर्ते ऐसे आदेश क खिलाफ अपील करने का समय प्रयोज्य अधिनियमों के तहत समाप्त हो गया हो।

7. सूचित करना ट्रेडिंग सदस्य का कर्तव्य

यदि किसी ट्रेडिंग सदस्य द्वारा अपनी देनदारियों का पूरा भुगतान करने में विफलता होती है, तो एक ट्रेडिंग सदस्य तुरंत एक्सचेंज को सूचित करने के लिए बाध्य होगा।

8. समझौता वर्जित

प्रतिभूतियों में लेनदेन से उत्पन्न ऋण के निपटान में एक्सचेंज के किसी भी सदस्य से पूर्ण और वास्तविक धन भुगतान से कम कुछ भी स्वीकार करने का दोषी एक्सचेंज के एक ट्रेडिंग सदस्य को ऐसी अवधि के लिए निलंबित कर दिया जाएगा जो सम्बद्ध प्राधिकारी निर्धारित कर सकता है।

9. चूक की घोषणा की सूचना

किसी ट्रेडिंग सदस्य को चूककर्ता घोषित किए जाने पर इस आशय का एक नोटिस एक्सचेंज की वेबसाइट और ऐसे अन्य सीान पर डाला जाएगा, जैसा सम्बद्ध प्राधिकारी उचित समझे।

10. दावे आमंत्रित करना

निवेशकों से दावे दाखिल/आमंत्रित करने का तरीका, दावों की पात्रता, दावों का निर्धारण और संवितरण दावों की संख्या सेबी/एक्सचेंज/प्रासंगिक वैधानिक प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट की जाएगी।

11. चूककर्ता की पुस्तकें और दस्तावेज

i. जब किसी ट्रेडिंग सदस्य को चूककर्ता घोषित कर दिया जाता है, तो एक्सचेंज उसके मामलों की स्थिति का पता लगाने के लिए उसके सभी खातों, दस्तावेजों, कागजात और वाउचरों का भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक मोड ("रिकॉर्ड") में प्रभार लेगा और चूककर्ता को सौंप देगा। ऐसी पुस्तकों, दस्तावेजों, कागजातों और वाउचरों को एक्सचेंज को सौंपे।

ii. **देनदारों और लेनदारों की सूची** : चूककर्ता को अपनी चूक की घोषणा के ऐसे समय के भीतर

एक्सचेंज के पास फाइल करनी होगी, जब एक्सचेंज एक लिखित विवरण का निर्देश दे, जिसमें उसके देनदारों और लेनदारों की पूरी सूची और प्रत्येक को देय राशि शामिल हो।

iii. **चूककर्ता को जानकारी देनी होगी** : चूककर्ता को एक्सचेंज या सम्बद्ध प्राधिकारी को खातों का विवरण, जानकारी और अपने मामलों का विवरण प्रस्तुत करना होगा जैसा कि सम्बद्ध प्राधिकारी को समय–समय पर आवश्यकता हो सकती है और यदि संबंधित प्राधिकारी ऐसा चाहत है, तो वह संबंधित प्राधिकारी की बैठक में उसके समक्ष उपस्थित होगा, उसकी चूक के साथ संबंध।

iv. **परिसंपत्तियों का निहितार्थ** : सम्बद्ध प्राधिकारी कॉल करेगा और किसी भी रूप में जमा राशि, मार्जिन मनी, जमा की गई अन्य राशि और चूककर्ता द्वारा जमा की गई प्रतिभूतियों की वसूली करेगा और किसी अन्य द्वारा चूककर्ता को देय, देय या वितरण योग्य सभी धन, प्रतिभूतियों और अन्य परिसंपत्तियों की वसूली करेगा। एक्सचेंज की उप–विधियों, नियमों और विनियमों और/या अन्य पार्टियों से संबंधित सभी अन्य परिसंपत्तियों/राशि/प्रतिभूतियों के अधीन किए गए किसी भी लेनदेन या लेनदेन के संबंध में सदस्य/घटक, जिसे एक्सचेंज प्राप्त करने और उचित करने का हकदार हो सकता है। एक्सचेंज, क्लीयरिंग कॉरपोरेशन, सेबी, घ्ज्ञअकों, निवेशक संरक्षण निधि के किसी भी बकाया या दायित्वों के लाभ के लिए एक्सचेंज में किसी सदस्य को चूककर्ता घोषित किए जाने पर ये सभी संपत्तियां स्वतः ही निहित हो जाएंगी। एक्सचेंज, अन्य मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉरपोरेशन, अन्य ट्रेडिंग सदस्य और अनुमोदित बैंक नियमों में दिए गए तरीके से और/या सेबी द्वारा समय–समय पर निर्धारित किए जा सकते हैं।

यदि क्लियरिंग सदस्य और उसके घटक ट्रेडिंग सदस्य दोनों को चूककर्ता घोषित किया जाता है, तो एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के सम्बद्ध प्राधिकरण क्लियरिंग सदस्य और ट्रेडिंग सदस्य दोनों की संपत्ति की वसूली के लिए मिलकर काम करेंगे।

12. समापन

(क) चूककर्ता के साथ खुले लेनदेन करने वाले घटक चूक की घोषणा के बाद स्टॉक एक्सचेंज पर ऐसे लेनदेन को बंद कर देंगे। ऐसा समापन ऐसे तरीके से होगा जैसा कि सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जा सकता है। इस संबंध में सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन, जब सम्बद्ध प्राधिकारी की राय में, परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, तो ऐसा समापन उस तरीके से हुआ माना जाएगा जैसा कि एक्सचेंज के व्यक्ति, सम्बद्ध प्राधिकारी या अन्य अधिकृत द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

(ख) क्लोजिंग आउट के उपरोक्त समायोजन से उत्पन्न होने वाले अंतर का दावा चूककर्ता से किया जाएगा या चूककर्ता के घटक के लाभ के लिए संबंधित प्राधिकारी को भुगतान किया जाएगा।

बशर्ते कि, यदि सम्बद्ध प्राधिकारी अपने विवेक से उचित समझे, और ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन, जैसा कि वह निर्दिष्ट कर सकता है, सदस्य के किसी भी घटक के सभी, कुछ या किसी भी खुली स्थिति/डीलिंग का निर्णय लिया जा सकता है। सम्बद्ध प्राधिकरण को बंद किए जाने के बजाय, किसी अन्य सदस्य को हस्तांतरित किया जा सकता है जो इस तरह के हस्तांतरण को स्वीकार करने के लिए सहमत है।

13. सम्बद्ध प्राधिकारी के खाते

एक्सचेंज सम्बद्ध प्राधिकारी के पास निहित चूककर्ता के सभी धन, प्रतिभूतियों और अन्य परिसंपत्तियों के संबंध में एक अलग खाता रखेगा और ऐसी परिसंपत्तियों के संग्रह/वसूली में या उसके बारे में होने वाली सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों को चुकाएगा। चूक के संबंध में कोई भी कार्यवाही की जाएगी।

14. प्रतिवेदन

एक्सचेंज सम्बद्ध प्राधिकारी को वसूली गई संपत्तियों, बकाया/भुगतान की गई देनदारियों और चूककर्ता के किसी अन्य मामले से संबंधित एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

15. शुल्क का पैमाना

चूककर्ता के सभी धन, प्रतिभूतियों और अन्य संपत्तियों के संग्रह/वसूली/रखरखाव के संबंध में या उसकी किसी भी कार्यवाही के संबंध में की गई लागत, शुल्क और व्यय समय–समय पर सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित राशि होगी।

16. परिसंपत्तियों का अनुप्रयोग

सम्बद्ध प्राधिकारी चूककर्ता के सभी धन, अधिकारों और संपत्तियों को वसूल करेगा और लागू करेगा जो एक्सचेंज में निहित हैं या जो एक्सचेंज द्वारा प्राप्त किए गए हैं और चूककर्ता की अन्य सभी संपत्तियां और धन, जिसमें उसके द्वारा प्राप्त धन, प्रतिभूतियां और गोदाम रसीदें शामिल हैं। अन्य सदस्य या घटक, एक्सचेंज/क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पास पड़े चूककर्ता के पैसे, प्रतिभूतियां और गोदाम रसीदें या एक्सचेंज में पड़े क्रेडिट बैलेंस, सुरक्षा जमा, चूककर्ता की ओर से दी गई कोई भी बैंक गारंटी, सावधि जमा एक्सचेंज को या उसके पक्ष में दी गई या सौंपी गई रसीदें, चूककर्ता द्वारा एक्सचेंज के पास जमा किया गया धन या योगदान, चूककर्ता या एक्सचेंज के पक्ष में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बनाई गई या बनाई जाने वाली कोई भी सुरक्षा और/या अन्य सीाी संपत्तियां/अन्य पक्षों से संबंधित राशियां/प्रतिभूतियां जिन्हें एक्सचेंज निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए और प्राथमिकता के निम्नलिखित क्रम में चूककर्ता के दायित्वों के लिए वसूलने और उपयुक्त करने का हकदार हो सकता है, जैसे :

क) ऐसे अभिदान, ऋण, जुर्माना, शुल्क, प्रभार और अन्य धन का भुगतान, जैसा कि यहां ऊपर उल्लिखित प्राथमिकता के क्रम में, सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा एक्सचेंज या क्लियरिंग कॉरपोरेशन या सेबी के कारण निर्धारित किया गया है;

ख) चूककर्ता के घटकों को मूल राशि की सीमा तक बकाया, जिसका भुगतान सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। बशर्ते कि यदि राशि अपर्याप्त है तो राशि को चूककर्ता के घटकों के बीच आनुपातिक रूप से वितरित किया जाएगा।

हालांकि, बशर्ते कि यदि ऐसे घटक द्वारा चूककर्ता को कोई राशि देय है, तो सम्बद्ध प्राधिकारी ऐसे घटक द्वारा देय ऐसी राशि/दायित्व को चूककर्ता की संपत्ति से देय राशि के विरूद्ध सेट–ऑफ करने का हकदार होगा।

घटकों को निर्धारित और देय कोई भी राशि या तो उसके खाते में जमा करके या सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा निर्देशित किसी अन्य तरीके से वितरित/भुगतान की जाएगी। यदि निर्धारित और देय काई राशि, निर्धारित अवधि के लिए लावारिस बनी रहती है, तो उसे सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा उचित समझे जाने पर निपटाया या निटाया जाएगा। यदि राशि प्राप्त करने का हकदार कोई व्यक्ति (ओं) की अवधि समाप्त हो गई है या समाप्त हो गई है, तो ऐसे व्यक्ति (व्यक्तियों) को देय ऐसी सभी राशियां उसके कानूनी प्रतिनिधि या वारिसों या उत्तराधिकारियों को भुगतान की जाएंगी।

ग) निवेशक सुरक्षा निधि से किए गए किसी भी भुगतान की प्रतिपूर्ति करना।

घ) किसी अन्य मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज/क्लियरिंग कॉरपोरेशन को मूल राशि की सीमा तक बकाया।

उपरोक्त (क से ग) के तहत दावों को पूरा करने के बाद, राशि, यदि कोई हो, उस स्टॉक एक्सचेंज/क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के सदस्य के रूप में चूककर्ता के दायित्वों को पूरा करने के उद्देश्य से किसी अन्य मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज/क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को वितरित की जाएगी। यदि चूककर्ता एक से अधिक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज/क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का सदस्य, है, तो शेष राशि ऐसे सभी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों/क्लियरिंग कॉर्पोरेशनों के बीच वितरित की जाएगी और यदि शेष राशि ऐसे सभी स्टॉक एक्सचेंजों के दावों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है/समाशोधन निगम, तो शेष राशि ऐसे सभी स्टॉक एक्सचेंजों/समाशोधन निगमों के बीच आनुपातिक रूप से वितरित की जाएगी।

ड.) अन्य मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के निवेशक संरक्षण कोष की प्रतिपूर्ति करना। शेष राषि, यदि कोई हो, तो को निवेशक संरक्षण कोष से निपटाए गए दावों की सीमा तक उनके संबंधित निवेशक संरक्षण कोष की प्रतिपूर्ति के लिए स्टॉक एक्सचेंजों के बीच आनुपातिक रूप से वितरित किया जाएगा।

च) अन्य ट्रेडिंग सदस्यों और क्लियरिंग सदस्यों को मूल राशि की सीमा तक बकाया, जिसका भुगतान सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। बशर्ते कि यदि राशि अपर्याप्त है तो राशि को अन्य ट्रेडिंग सदस्यों

और क्लियरिंग सदस्यों के बीच आनुपातिक रूप से वितरित किया जाएगा।

हालांकि, बशर्ते कि यदि ऐसे ट्रेडिंग सदस्यों और क्लियरिंग सदस्यों द्वारा कोई राशि देय है, तो सम्बद्ध प्राधिकारी ऐसे ट्रेडिंग सदस्यों और क्लियरिंग सदस्यों द्वारा देय ऐसी राशि/दायित्व को चूककर्ताओं की संपत्ति से देय राशि के विरूद्ध सेट–ऑफ करने का हकदार होगा।

अन्य ट्रेडिंग सदस्यों और क्लियरिंग सदस्यों को निर्धारित और देय कोई भी राशि या तो उसके खाते में जमा करके या सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा निर्देशित किसी अन्य तरीके से वितरित/भुगतान की जाएगी। यदि कोई राशि निर्धारित अवधि के लिए लावारिस रह जाती है, तो उसे सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा उचित समझे जाने पर निपटाया जाएगा। यदि राशि प्राप्त करने का हकदार कोई भी व्यक्ति मृत हो गया है या समाप्त हो गया है, तो ऐसे व्यक्ति (व्यक्तियों) को देय ऐसी सभी राशियां उसके कानूनी प्रतिनिधि या उत्तराधिकारियों या उत्तराधिकारियों को भुगतान की जाएंगी।

छ) मूल राशि की सीमा तक समाशोधन बैंक का बकाया चुकाने के लिए; यदि एक से अधिक समाशोधन बैंक हैं तो राशि, यदि कोई हो, सभी समाशोधन बैंकों के बीच आनुपातिक आधार पर वितरित की जाएगी;

ज) अधिशेष संपत्ति, यदि कोई हो, सेबी के मार्गदर्शन के तहत तैयार प्रकिया के अनुसार/सम्बद्ध प्राधिकारी के निर्णय के साथ समय–समय पर सेबी द्वारा निर्देशित के अनुसार चूककर्ता को जारी की जा सकती है;

बशर्ते कि यदि चूककर्ता की मृत्यु हो गई है तो अधिशेष संपत्ति, यदि कोई हो, चूककर्ता के कानूनी उत्तराधिकारियों/उत्तराधिकारियों को जारी की जाएगी जैसा कि सम्बद्ध प्राधिकारी समय–समय पर निर्णय ले कसता है।

यदि एक्सचेंज द्वारा प्राप्त चूककर्ता की संपत्ति एक्सचेंज के नियमों, उप–विधियों और विनियमों के तहत ट्रेडिंग सदस्य की देनदारियों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है, तो दावों को अन्य संपत्तियों (संपत्ति के सामान्य पूल) से संतुष्ट किया जाएगा। चूककर्ता से सेबी द्वारा समय–समय पर निर्धारित तरीके से वसूली की जाएगी।

17. कुछ दावों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए

सम्बद्ध प्राधिकारी किसी चूककर्ता के विरूद्ध किसी भी दावे पर विचार नहीं करेगा :

क) जो प्रतिभूतियों के लेनदेन में एक संविदा से उत्पन्न होता है जिसकी अनुमति नहीं है या जो स्टॉक एक्सचेंज की उप–विधियों, नियमों और विनियमों के अधीन नहीं है या जिसमें दावेदार ने या तो स्वयं भुगतान नहीं किया है या मार्जिन की चोरी में चूककर्ता के साथ मिलीभगत की है किसी भी सुरक्षा में सौदेबाजी पर देय; या

ख) जो उस दिन पूर्ण रूप से वास्तविक धन भुगतान के बदले दावों के निपटान के लिए किसी भी व्यवस्था से उत्पन्न होता है जब ऐसे दावे देय होते हैं; या

ग) जो सुरक्षा के साथ या बिना सुरक्षा वाले ऋण के सबंध में है; या

घ) जो चूक की घोषणा की तारीख के ऐसे समय के भीतर सम्बद्ध प्राधिकारी के पास दायर नहीं किया गया है जो सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जा सकता है;या

ड.) समय–समय पर सेबी/एक्सचेंज द्वारा निर्धारित ढांचे के अनुसार।

18. सम्बद्ध प्राधिकारी के दावे

एक चूककर्ता का दावा जिसकी संपत्ति किसी अन्य चूककर्ता के खिलाफ सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा प्रतिनिधित्व की जाती है, अन्य लेनदार ट्रेडिंग सदस्यों के दावों पर कोई प्राथमिकता नहीं होगी, लेकिन अन्य दावों के साथ रैंक की जाएगी।

19. चूककर्ता की संपत्ति पर दावों का समनुदेशन

एक चूककर्ता का लेनदार होने के नाते एक ट्रेडिंग सदस्य सम्बद्ध प्राधिकारी की सहमति के बिना ऐसे चूककर्ता की संपत्ति पर अपना दावा नहीं बेचेगा, आवंटित नहीं करेगा या गिरवी नहीं रखेगा।

20. चूककर्ता के नाम पर या उसके विरूद्ध कार्यवाही

सम्बद्ध प्राधिकारी को यह अधिकार होगा :

क. चूककर्ता को देय किसी भी राशि की वसूली के उद्देश्य से किसी भी व्यक्ति के खिलाफ एक्सचेंज के नाम पर या चूककर्ता के नाम पर अदालत में कोई कार्यवाही शुरू करना,

ख. एक्सचेंज के नाम पर या लेनदारों के नाम पर अदालत में कोई भी कार्यवाही शुरू करें (जो उप–विधियों, नियमों और व्यावसायिक नियमों के अधीन और उनके अनुसार निष्पादित लेनदेन के परिणामस्वरूप चूककर्ता के लेनदार बन गए हैं)। चूककर्ता से देय किसी भी राशि की वसूली के उद्देश्य से चूककर्ता के खिला चूककर्ता का एक्सचेंज। चूककर्ता के साथ–साथ चूककर्ता के लेनदारों को ऐसी कार्यवाही करने के उद्देश्य से एक्सचेंज को उनके गठित एटार्नी के रूप में नियुक्त किया गया माना जाएगा।

21. ट्रेडिंग सदस्यों के बकाए के लिए क्लीयरिंग सदस्य जिम्मेदार

इस बात के बावजूद कि एक ट्रेडिंग सदस्य को निलंबित कर दिया गया है या चूककर्ता घोषित कर दिया गया है, क्लियरिंग सदस्य जो ऐसे ट्रेडिंग सदस्य के व्यापार/संविदा को मंजूरी देने के लिए सहमत हो गया है, एक्सचेंज पर किए गए लेनदेन/लेनदेन से उत्पन्न होने वाले चूककर्ता ट्रेडिंग सदस्य के दायित्वों/देनदारियों को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होगा, और या ऐसी अन्य रकमें जो सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती है।

22. चूककर्ता की संपत्ति पर शुल्क

नियमों, उप–विधियों और विनियमों के तहत चूककर्ता की देनदारियों/दायित्वों को पूरा करने के उद्देश्य से, एक्सचेंज को चूककर्ता सदस्य की सभी परिसंपत्तियों और संपत्तियों पर, चाहे वह कहीं भी स्थित हों और किसी भी प्रकृति की हो, पुनर्भुगतान के लिए सुरक्षा के रूप में पहला शुल्क देना होगा और ऐसे धन/दायित्व तथा उस पर ब्याज का भुगातन।

23. चूककर्ता स्थिति का निरसन

समय–समय पर एक्सचेंज/सेबी/सम्बद्ध वैधानिक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, चूककर्ता अपने बकाया का भुगतान करने पर चूककर्ता नहीं रहेगा।

\

10. अनुशासनात्मक कार्यवाही, दंड निलंबन और निष्कासन

1. अनुशासनात्मक क्षेत्राधिकार

सम्बद्ध प्राधिकारी किसी ट्रेडिंग सदस्य को किसी भी नियम के उल्लंघन, गैर–अनुपालन, अवज्ञा, उपेक्षा या चोरी का दोषी होने पर निष्कासित या निलंबित और/या निंदा के तहत जुर्माना लगा सकता है और/या चेतावनी दे सकता है और/या उसके किसी भी सदस्यता अधिकार को वापस ले सकता है। एक्सचेंज की उप–विधि, नियम और विनियम या एक्सचेंज या सम्बद्ध प्राधिकारी या एक्सचेंज की किसी अन्य समिति या अधिकारी के किसी भी संकल्प, आदेश, नोटिस, निर्देश या निर्णय या फैसले उस संबंध में या व्यापार के किसी भी आचरण, कार्यवाही या पद्धति के लिए अधिकृत, जिसे सम्बद्ध प्राधिकारी अपने पूर्ण विवेक से एक्सचेंज के ट्रेडिंग सदस्य के लिए अपमानजनक, अपमानजनक या अशोभनीय मानता है या व्यापार के उचित और न्यायसंगत सिद्धांतों के साथ असंगत या हितों के लिए हानिकारक मानता है, अच्छा एक्सचेंज का नाम या कल्याण या इसके उद्देश्यों और उद्देश्यों के प्रति प्रतिकूल या विध्वंसक।

2. कदाचार, गैर–व्यावसायिक आचरण और गैर–पेशेवर आचरण के लिए दंड

विशेष रूप से और उपरोक्त नियम (1) में प्रावधानों की व्यापकता को किसी तरह से सीमित या पूर्वाग्रहित किए बिना, एक ट्रेडिंग सदस्य अपने सभी या किसी भी सदस्यता अधिकार को निष्कासन या निलंबन या वापस लेने और/या जुर्माना भरने के लिए उत्तरदायी होगा और/या यहां दिए गए प्रावधान के अर्थ में किसी भी कदाचार, गैर–व्यावसायिक आचरण या गेर–पेशेवर आचरण के लिए निंदा, फटकार या चेतावनी दी जाएगी।

3. आचार संहिता

i. एक्सचेंज का प्रत्येक सदस्य अपनी सर्वोत्तम क्षमता से एक्सचेंज की वस्तुओं और हितों को बढ़ावा देने और एक्सचेंज पर व्यापार करने वाले अपने ग्राहकों के हितों की रक्षा और सुरक्षा करने के लिए बाध्य होगा। निम्नलिखित अच्छी व्यावसायिक प्रथाओं के उदाहरण होंगे। अच्छी व्यावसायिक प्रथाओं के किसी भी उल्लंघन के लिए एक सदस्य निष्कासन, निलंबन और/या जुर्माने के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा :

   क. एक्सचेंज के सदस्यों को उनके माध्यम से व्यापार करने के इच्छुक सभी ग्राहकों को एक जोखिम प्रकटीकरण विवरण या ऐसा कोई भी विवरण प्रस्तुत करना होगा, जो एक्सचेंज द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। इस विवरण में संविदाओं से संबंधित सभी जोखिम शामिल होंगे। एक्सचेंज के सदस्य इस बात पर जोर देंगे कि ऐसे सभी ग्राहकों को वायदा संविदा में भाग लेने से पहले इस कथन को अवश्य पढ़ना चाहिए;

   ख. एक्सचेंज के सदस्य किसी भी ग्राहक से कोई भी आदेश स्वीकार नहीं करेंगे जब तक कि जोखिम प्रकटीकरण विविरण ऐसे ग्राहक द्वारा पढ़ा और लिखित रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है;

   ग. प्रत्येक सदस्य को समय–समय पर एक्सचेंज द्वारा जारी की गई उप–विधियों, नियमों और विनियमों और नोटिस, परिपत्रों, आदेशों और निर्देषों का उपयोग करना होगा और ऐसे ग्राहक की ओर से किसी भी आदेश को निष्पादित करने से पहले अपने ग्राहकों को सभी प्रासंगिक जानकारी भी प्रदान करनी होगी;

   घ. एक्सचेंज के सदस्य अपने ग्राहकों को एक्सचेंज पर व्यापार और अन्रू वित्तीय और गैर–वित्तीय अनुपालन के संबंध में मार्जिन, सुरक्षा जमा आदि से बचने के लिए प्रोत्साहित, प्रेरित या अनुमति नहीं देंगे;

   ड. एक सदस्य अपने ग्राहकों को एक्सचेंज द्वारा अधिसूचित संविदाओं, संविदा महीनों, प्रारंभ महीनों और डिलीवरी आदि से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करेगा।

   च. सदस्य अपने ग्राहकों को क्लियरिंग कॉरपोरेशन की भूमिका और उसके दायरे और लाभों के बारे में बताएंगे।

   छ. कोई भी सदस्य या सदस्य से जुड़ा व्यक्ति किसी भी ग्राहक को किसी लाभ, रिटर्न या नुकसान से बचने की गारंटी नहीं देगा।

   ज. एक सदस्य को अपने व्यवसाय के संचालन में व्यापार के उचित और न्यायसंगत सिद्धांतों वाणिज्यिक सम्मान के उच्च मानकों का पालन करना होगा।

झ. सदस्यों को एक्सचेंज के नियमों, व्यावसायिक नियमों और उप–विधियों का पालन करना होगा और समय–समय पर लागू सम्बद्ध प्राधिकरण के ऐसे परिचालन मापदंडों, फैसलों, नोटिस, दिशानिर्देशों और निर्देशों का पालन करना होगा।

ञ. अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन में, एक सदस्य को अपने मतदाताओं के सर्वोत्तम हित में ईमानदारी और निष्पक्षता से कार्य करना चाहिए।

ट. एक सदस्य के पास अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के उचित प्रदर्शन के लिए आवश्यक संसाधनों और प्रक्रियाओं को प्रभावी ढंग से नियोजित करना होगा।

ठ. कोई भी सदस्य किसी भी सदस्य की रक्षा या सहायता नहीं करेगा या किसी ऐसे सदस्य के बारे में रिपोर्ट करने में असफल नहीं होगा जिसके बारे में उसे पता हो कि उसने एक्सचेंज/क्लियरिंग कॉरपोरेशन के किसी भी नियम, उप–विधि या व्यावसायिक नियमों या किसी संकल्प, आदेश, नोटिस का उल्लंघन या चोरी किया है या उसके तहत एक्सचेंज या किसी सम्बद्ध प्राधिकारी को निर्देश।

ड. सम्बद्ध प्राधिकारी की अनुमति के अलावा, सदस्य द्वारा उन संविदाओं में व्यापार नहीं किया जाएगा जिन्हें आधिकारिक कोटेशन से निलंबित कर दिया गया है।

ढ. सदस्यों को यह सुनिश्चित करना होगा कि विभिन्न वैधानिक अधिनियमों, नियमों और व्यावसायिक नियमों द्वारा उन पर और उनके कर्मचारियों पर लगाए गए प्रत्ययी और अन्य दायित्वों का अनुपालन किया जाता है।

ण. सदस्य यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी कर्मचारी जो सदस्यों या प्रतिभागियों को लेनदेन के लिए प्रतिबद्ध करता है, उसके पास ऐसा करने के लिए आवश्यक प्राधिकार है।

त. सदस्यों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कर्मचारियों को वस्तुओं/प्रतिभूति बाजार में काम करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया गया है, जिसमें वे व्यापार/लेनदेन निष्पादित करते हैं, वे अपनी और अपने संगठन की जिम्मेदारियों के साथ–साथ सदस्य, नियमों, व्यवसाय को नियंत्रित करने वाले प्रासंगिक वैधानिक कृत्यों के बारे में जानते हैं। एक्सचेंज के नियम और उप–विधि जिनमें कोई भी परिवर्धन या संशोधन शामिल है।

थ. घटकों की ओर से लेनदेन करते समय, सदस्य यह सुनिश्चित करेगा कि वे आचार संहिता और नियमों में उल्लिखित नियमों का पालन करें।

द. कोई भी सदस्य या सदस्य से जुड़ा व्यक्ति संविदाओं या वस्तुओं में घटक की स्थिति का अनुचित उपयोग नहीं करेगा।

ध. सदस्य किसी घटक के नाम और लाभकारी पहचान का खुलासा एक्सचेंज या किसी अन्य सम्बद्ध प्राधिकारी को छोड़कर, जब भी आवश्यक हो, किसी भी व्यक्ति को नहीं करेगा।

न. एक सदस्य यह नहीं करेगा –

क) बाजार के संबंध में, या किसी भी संविदा की कीमत के संबंध में गलत या भ्रामक उपस्थिति पैदा करने के इरादे से संविदाओं के लिए बोलियां और/या प्रस्ताव देना;

ख) एक लेनदेन करें या संविदाओं की खरीद या बिक्री के लिए एक आदेश दें, जिसके निष्पादन में लाभकारी स्वामित्व में कोई बदलाव शामिल नहीं होगा, जब तक कि सदस्य को इस बात का ज्ञान न हो कि लेनदेन में संविदाओं के लाभकारी स्वामित्व में बदलाव शामिल नहीं होगा।

प. कोई भी सदस्य किसी भी नोटिस, परिपत्र, विज्ञापन, समाचार पत्र लेख, निवेश सेवा या किसी भी प्रकार के संचार को प्रकाशित या प्रसारित नहीं करेगा या प्रकाशित या प्रसारित नहीं करेगा, जो किसी भी संविदा की खरीद या बिक्री के रूप में किसी भी लेनदेन की रिपोर्ट करने का इरादा रखता है जब तक कि ऐसा सदस्य स्थापित न कर सके। यदि कहा जाए, तो ऐसा लेनदेन ऐसी संविदा की वास्तविक खरीद या बिक्री थी; या जो किसी संविदा के लिए खरीद/बिक्री मूल्य उद्धृत करने का इरादा रखता है, जब तक कि ऐसा सदस्य यह स्थापित नही ंकर सकता कि यदि उसे बुलाया जाए तो ऐसा उद्धरण ऐसी संविदा के वास्तविक

आदेश का प्रतिनिधित्व करता है।

फ. सदस्य की ट्रेडिंग सदस्य आईडी और उपयोगकर्ता आईडी के माध्यम से या उसके साथ होने वाले व्यापार सहित सभी कार्यों के लिए एक सदस्य नियमों, उप–विधियों और व्यावसायिक नियमों के अधीन जिम्मेदार होगा।

ब. एक सदस्य जिसने किसी भी क्षमता में संविदाओं की खरीद/बिक्री के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त की है, वह किसी भी परिस्थिति में खरीद/बिक्री के लिए ऐसी जानकारी का उपयोग नहीं करेगा।

ii. एक्सचेंज का प्रत्येक सदस्य एक्सचेंज की सभी उप–विधियों, नियमों और विनियमों के साथ–साथ एक्सचेंज द्वारा समय–समय पर जारी किए गए नोटिस, परिपत्र, आदेश और निर्देशों का पालन करेगा। कोई भी सदस्य निम्नलिखित में से किसी भी कार्य या चूक के लिए निष्कासन, निलंबन और/या जुर्माने के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा :

क. अवार्ड का पालन करने से इनकार : किसी मध्यस्थ या सर्वेक्षणकर्ता या किसी समिति या बोर्ड या सम्बद्ध प्राधिकरण के किसी भी अवार्ड या निर्णय या आदेश को मानने, मानने और पालन करने की उपेक्षा या इनकार करने के लिए, संगम अनुच्छेदों और कंपनी या उप–विधि, नियम और विनियम के अनुरूप बनाया गया है।

ख. अशोभनीय आचरण : एक्सचेंज के हित के लिए हानिकारक या किसी सदस्य के लिए अशोभनीय तरीके से कार्य करना।

ग. कदाचार : एक्सचेंज या उसके किसी भी सदस्य या सदस्यों के साथ व्यवहार या संबंधों में किसी भी कदाचार के लिए या किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी विवादित या धोखाधड़ी वाले लेनदेन के लिए, चाहे वह सदस्य हो या नहीं, जिसकी शिकायत प्रबंध निदेशक या सम्बद्ध प्राधिकारी को की गई हो, कोई भी स्थायी समिति या बोर्ड एक या अधिक सदस्यों या ग्राहकों द्वारा और सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा वैध पाया जाता है।

घ. अवज्ञा : किसी भी वस्तु/प्रतिभूतियों में व्यापार के संबंध में राज्य या केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई किसी भी उप–विधि या किसी अधिनियम, आदेश, अध्यादेश या अधिसूचना का उल्लंघन, अवज्ञा या अवहेलना करने के लिए, या एससीआरए के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के लिए और सेबी अधिनियम तथा उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम और सेबी या एक्सचेंज द्वारा जारी किए गए कोई भी निर्देश।

ड. गलत सूचना : सदस्यों और/या जनता को गुमराह करने के लिए किसी भी समाचार पत्र, परिपत्र, या अन्यथा, किसी भी वस्तु या संविदा में व्यापार से संबंधित किसी भी गलत बयानी को प्रकाशित करने या प्रकाशित करने की अनुमति देने के लिए।

च. उदासीनता और जानबूझकर लापरवाही : प्रबंध निदेशक, किसी समिति या बोर्ड या सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा या उसकी ओर से उन्हें दिए गए किसी भी नोटिस या अनुरोध का अनुपालन नहीं करने के लिए, जिसमें उन्हें बोर्ड या किसी समिति की किसी भी बैठक में भाग लेने या प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। उसके कब्जे, शक्ति या नियंत्रण में कोई खाते, दस्तावेज, पत्राचार या अन्य कागजात, या प्रबंध निदेशक, किसी समिति या बोर्ड या सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा उससे पूछे गए किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से इनकार करने या उपेक्षा करने के लिए, जैसा भी मामला हो, ऐसे किसी भी व्यवसाय के लिए प्रासंगिक बैठक।

छ. किसी भी बकाया का भुगतान करने में विफलता : इन नियमों और विनियमों एवं एक्सचेंज द्वारा जारी किए गए आदेश और निर्देशों के तहत देय किसी भी राशि का भुगतान करने में विफलता के लिए, और/या मध्यस्थता या किसी अन्य शुल्क का भुगतान करने में विफलता के लिए या उस पर लगाए गए किसी भी जुर्माने का भुगतान न करने के लिए। इन नियमों के तहत या इन नियमों के तहत या मुख्य कार्यकारी, किसी समिति या बोर्ड या सम्बद्ध प्राधिकारी के किसी भी आदेश के तहत उसके द्वारा देय किसी अन्य राशि का भुगतान करने में विफलता के बाद दस दिनों के भीतर भुगतान करना होगा।

ज. एक्सचेंज के लिए हानिकारक कार्रवाई : किसी भी कदाचार के लिए, ऊपर उल्लिखित उप–विधियों के अर्थ में, एक्सचेंज के साथ उसके व्यवहार या संबंधों में।

i. जानबूझकर या जानबूझ कर संविदा संबंधी दायित्वों को पूरा न करना या धोखाधड़ी या संविदा का खुला उल्लंघन।

ii. संविदा की तुच्छ अस्वीकृति।

iii. विवाद में किसी भी प्रश्न को मध्यस्थता, सर्वेक्षण या अपीलीय समिति या अंपायर के पास भेजने से इनकार करें।

iv. किसी भी मध्यस्थ, सर्वेक्षक, अंपायर या अपीलीय समिति के सदस्य के साथ गुप्त या अप्रत्यक्ष रूप से संचार करना, जिसे विवाद उप–विधियों, नियमों और विनियमों के तहत संदर्भित किया गया है।

v. कंपनी और एक्सचेंज के उद्देश्यों और उद्देश्यों को विकृत करने के लिए जानबूझकर किए गए किसी भी आचरण, कार्य या चूक के लिए, जैसा कि कंपनी के ज्ञापन और संगम अनुच्छेदों में प्रदान किया गया है, या जो उप–विधियों, नियमों और विनियमों के विध्वंसक हैं। एक्सचेंज, या जो कंपनी या एक्सचेंज द्वारा कंपनी और एक्सचेंज के हितों और गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अन्य संगठनों, एजेंसियों या संस्थाओं के साथ किए गए समझौतों को विफल करता है।

vi. किसी भी आचरण, कार्य, चूक या लापरवाही के लिए जो सदस्य को एक्सचेंज की उप–विधियों, नियमों और विनियमों के किसी भी प्रावधान के तहत बोर्ड, सम्बद्ध प्राधिकरण या क्लियरिंग कॉर्पोरेशन द्वारा चूककर्ता घोषित करने के लिए उत्तरदायी बनाता है,/या एक्सचेंज द्वारा जारी आदेश, परिपत्र, नोटिस और निर्देश।

vii. एक ग्राहक की खुली स्थिति का अन्य ग्राहकों या सदस्यों के सामने प्रकटीकरण।.

iii. जब भी प्रबंध निदेशक या कोई नामित अधिकारी या कोई समिति एक्सचेंज के एक या अधिक सदस्यों द्वारा उन्हें या उन्हें लिखित रूप में की गई शिकायत के आधार पर या किसी ज्ञान या जानकारी के आधार पर विचार करेगी कि पर्याप्त कारण है यह पूछने के लिए कि क्या एक्सचेंज के किसी सदस्य की ओर से कोई कार्य या चूक हुई है जिसके कारण उसे निष्कासन, निलंबन और/या जुर्माना भरना पड़ सकता है, सम्बद्ध प्राधिकारी ऐसे सदस्य या किसी अन्य को लिखित में नोटिस दे सकता है। अन्य सदस्य को उसके समक्ष उपस्थित होने की आवश्यकता है किसी भी समिति या बोर्ड को नोटिस में बताए गए समय के भीतर।

iv. सम्बद्ध प्राधिकारी उस सदस्य को सुनेगा जिसके संबंध में इन नियमों के तहत निष्कासन, निलंबन और या जुर्माना लगाने के लिए किसी भी प्रस्ताव की सिफारिश करने का प्रस्ताव है, और ऐसे किसी भी समय उसके या उसकी ओर से बैठक में उपस्थित किसी गवाह के साक्ष्य या बयान को सुनेगा। सम्बद्ध प्राधिकारी सदस्य से यह भी अपेक्षा कर सकता है कि वह अपने कब्जे में या अपने नियंत्रण में या अपनी फर्म या कंपनी की किसी भी खाते, दस्तावेजों, पत्राचार या कागजात को निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करे।

v. जब भी सम्बद्ध प्राधिकारी की राय हो कि एक्सचेंज का कोई सदस्य निष्कासन के लिए उत्तरदायी हो गया है, तो बोर्ड उपस्थित और मतदान करने वाले अपने सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित संकल्प द्वारा ऐसे सदस्य को सदस्यता के अधिकार को छोड़कर, सदस्यता के सभी अधिकारों से स्थायी रूप से निष्कासित कर सकता है। ऐसे निष्कासन से पहले के मामलों के संबंध में मध्यस्थता। ऐसा संकल्प अंतिम और बाध्यकारी होगा। बोर्ड या किसी अन्य प्राधिकारी से कोई स्पश्टीकरण या कारण बताने के लिए नहीं कहा जाएगा।

vi. जब भी सम्बद्ध प्राधिकारी की राय होगी कि कोई सदस्य निलंबन और/या जुर्माने के भुगतान के लिए उत्तरदायी हो गया है, तो बोर्ड उसे मामलों के लिए मध्यस्थता में जाने के अधिकार को छोड़कर, सदस्यता के सभी अधिकारों से छह कैलेंडर महीने से अधिक की किसी भी अवधि के लिए निलंबित कर सकता है। ऐसे निलंबन से पहले विवाद, निलंबन के अलावा या उसके बदले में सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा 1 लाख रूपये का जुर्माना लगाया जा सकता है, निर्धारित अवधि के भीतर इस तरह के जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहने पर सदस्य को निलंबित कर दिया जाएगा, यदि उसे पहले से ही निलंबित नहीं किया गया है, या निष्कासन किया जाएग, यदि उसे केवल निलंबित किया गया है।

vii. उप–विध v और vi के तहत कोई भी प्रस्ताव पारित करने से पहले, एक्सचेंज संबंधित सदस्य को लिखित रूप में एक नोटिस देगा जिसमें कहा जाएगा कि ऐसे सदस्य के निष्कासन, निलंबन और/या जुर्माना लगाने और उसे बैठक में भाग लेने की आवश्यकता है। समिति ने इस उद्देश्य के लिए आह्वाहन किया कि उक्त सदस्य अपने बचाव में जो भी साक्ष्य या बयान प्रस्तुत करना चाहे वह प्रस्तुत कर सके।

viii. एक निलंबित सदस्य को निलंबन की अवधि के दौरान सदस्यता के सभी अधिकारों और विशेषाधिकारों से वंचित और बाहर रखा जाएगा, निलंबन के समय बकाया लेनदेन के संबंध में, जिसे पूरा करने के लिए वह बाध्य होगा और जिसके संबंध में उसे अधीन किया जाएगा। सभी दायित्वों के लिए और उसके सभी अधिकार हैं और इन

नियमों में मध्यस्थता के लिए जाने का दायित्व और अधिकार भी शामिल है। निलंबित सदस्य अपने निलंबन के दौरान सभी जुर्माने, कॉल, अभिदान और अन्य बकाया राशि का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा, जैसे कि उसे निलंबित नहीं किया गया था।

ix. बोर्ड द्वारा निष्कासित सदस्य सदस्यता के सभी अधिकारों और विशेषाधिकारों को खो देगा, जिसमें उप–विधियों, नियमों और विनियमों द्वारा उसे दिए गए अधिकार भी शामिल हैं और वह संकल्प की तारीख से सदस्य नहीं रहेगा, लेकिन वह बना रहेगा अपने निष्कासन की तिथि पर एक्सचेंज या किसी अन्य सदस्य के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होगा और इन उद्देश्यों के लिए इन नियमों के तहत मध्यस्थता में जाने का अधिकार और दायित्व होगा।

x. यदि एक्सचेंज के किसी सदस्य को निलंबित, निष्क्रिय, निष्कासित और/या चूककर्ता घोषित कर दिया गया है, तो एक्सचेंज का कोई अन्य सदस्य ऐसे सदस्य के लिए या उसकी ओर से व्यवसाय नहीं करेगा।

4. क्दाचार, गैर–व्यवसाय जैस आचरण, गैर–पेशेवर आचरण और धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं का निषेध

सदस्य निष्कासन, निलंबन और/या इसके सभी या किसी भी सदस्यता अधिकार को वापस लेने और/या जुर्माना भरने और/या किसी भी कदाचार, गैर–व्यावसायिक आचरण या गैर–पेशेवर आचरण, धोखाधड़ी के लिए निंदा, फटकार या चेतावनी के लिए उत्तरदायी होंगे। यहां दिए गए प्रावधान के अर्थ में अनुचित व्यापार प्रथाएं ।

i. **कदाचार :** सदस्यों को निम्नलिखित या समान कार्यों का चूकों में से किसी के लिए कदाचार का दोषी माना जाएगा :

क. धोखाधड़ी : यदि उदसे किसी आपराधिक अपराध का दोषी ठहराया जाता है या धोखाधड़ी या कपटपूर्ण कार्य किया जाता है जो सम्बद्ध प्राधिकारी की राय में उसे सदस्य बनने के लिए अयोग्य बनाता है;

ख. उल्लंघन : यदि इसने सामान्य रूप से एक्सचेंज, सदस्यों और कमोडिटी व्यवसाय की गतिविधियों, व्यवसाय और संचालन को नियंत्रित करने वाले किसी कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किया है;

ग. अनुचित आचरण : यदि सम्बद्ध प्राधिकारी की राय में यह एक्सचेंज पर अपमानजनक या अपमानजनक या अव्यवस्थित या अनुचित आचरण का दोषी है या जानबूझकर एक्सचेंज के व्यवसाय में बाधा डालने का दोषी है.

घ. गवाही देने या जानकारी देने में विफलता : यदि यह सम्बद्ध प्राधिकारी या किसी समिति या उसके लिए अधिकृत एक्सचेंज के किसी अधिकारी को ऐसे खाते, पत्राचार, दस्तावेज और कागजात या उसके किसी भी हिस्से को प्रस्तुत करने में उपेक्षा करता है या विफल रहता है या इनकार करता है। सम्बद्ध प्राधिकारी या ऐसी समिति या एक्सचेंज के अधिकारी या उस ओर से अधिकृत अन्य व्यक्ति के समक्ष अपने किसी भागीदार, वकील, एजेंट, अधिकृत प्रतिनिधियों या कर्मचारियों को उपस्थित होने और गवाही देने के लिए प्रस्तुत करने या अपील करने और गवाही देने की आवश्यकता है;

ड. अंकेक्षित खातों को प्रस्तुत करने में विफलता : यदि यह सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर निर्धारित समय के भीतर अपने अंकेक्षित खातों को सम्बद्ध प्राधिकारी को प्रस्तुत करने में उपेक्षा करता है या विफल रहता है या इनकार करता है।

च. चूककर्ता समिति के साथ खातों की तुलना करने या प्रस्तुत करने में विफलता : यदि यह गठित होने पर चूककर्ता समिति के साथ अपने खातों की तुलना करने में उपेक्षा या विफल रहता है या इसे चूककर्ता के साथ अपने खातों का एक विवरण प्रस्तुत करना है या प्रमाण प़ देना है कि उसके पास ऐसा कोई खाता नहीं है या यदि वह उसमें कोई गलत या भ्रामक बयान देता है;

छ. सेबी/एक्सचेंज निरीक्षण/ऑडिट के अधिकारियों के साथ सहयोग करने में विफलता या अन्यथाः यदि यह सेबी/एक्सचेंज निरीक्षण/ऑडिट के सिस्टम निरीक्षण/ऑडिट सहित ऑडिटर/अधिकारियों के साथ सहयोग करने में विफल रहता है और या कोई आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने या प्रस्तुत करने में विफल रहता है, हिसाब–किताब, रिकार्ड, दस्तावेज आदि।

ज. गलत या भ्रामक रिटर्न : यदि यह उप–विधियों, नियमों और व्यावसायिक नियमों के तहत सम्बद्ध

प्राधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक अपने समाशोधन फॉर्म या रिटर्न में कोई गलत या भ्रामक बयान देने में उपेक्षा करता है या विफल रहता है या जमा करने से इनकार करता है;

झ. परेशान करने वाली शिकायतें : यदि यह या इसका एजेंट सम्बद्ध प्राधिकारी या समिति या एक्सचेंज के किसी अधिकारी या उसके लिए अधिकृत अन्य व्यक्ति के समक्ष कोई आरोप, शिकायत या मुकदमा लाता है जो सम्बद्ध प्राधिकारी की राय में तुच्छ, परेशान करने वाला या दुर्भावनापूर्ण है;

ञ. बकाया राशि और शुल्क का भुगतान करने में विफलता : यदि यह अपनी सदस्यता शुल्क, मध्यस्थता शुल्क या किसी अन्य पैसे का भुगतान करने में विफल रहता है जो इसके कारण हो सकता है या उस पर लगाया गया कोई जुर्माना या जुर्माना हो सकता है।

ii गैर–व्यावसायिक आचरण : एक सदस्य को निम्नलिखित या समान कार्यों या चूकों में से किसी के लिए गैर–व्यावसायिक आचरण का दोषी माना जाएगा :

क. काल्पनिक नाम : यदि यह अपना स्वयं का व्यवसाय या अपने घटक का व्यवसाय फर्जी नामों से संचालित करता है;
ख. फर्जी लेनदेन : यदि यह कोई फर्जी लेनदेन करता है या वस्तुओं/वस्तुओं/प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री के लिए आदेश देता है जिसके निष्पादन में स्वामित्व में कोइर्द बदलाव नहीं होगा या इसके चरित्र के ज्ञान के साथ ऐसे आदेश को निष्पादित करता है;
ग. अफवाहों का प्रसार : यदि यह, किसी भी तरीके से, कोई अफवाह फैलाता है या प्रसारित करने का कारण बनता है;
घ. पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवसाय : यदि यह बनाता है या बनाने में सहायता करता है या इस तरह के ज्ञान के साथ परेशान करने के उद्देश्य से किसी भी खरीद या बिक्री या वस्तुओं/प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री की पेशकश करने के लिए किसी योजना या योजना को पूरा करने में एक पक्ष है या सहातया करता है बाजार का संतुलन या ऐसी स्थिति लाना जिसमें कीमें बाजार मूल्यों को उचित रूप से प्रतिबिंबित नहीं करेंगी;
ड. बाजार में हेरफेर और हेराफेरी : यदि यह, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ, किसी वस्तु में वास्तविक या स्पष्ट सक्रिय व्यापार बनाने के लिए लेनदेन को प्रभावित करता है या खरीद को प्रेरित करने के उद्देश्य से ऐसी वस्तु की कीमतों को बढ़ाता या घटाता है या दूसरों द्वारा ऐसी वस्तु/वस्तु की बिक्री करता है;
च. अनुचित व्यवसाय : यदि यह बाजार में लापरवाह या अनुचित या गैर–व्यवसाय जैसे लेनदेन में संलग्न है या अपने घ्ज्ञटक के खाते के लिए या किसी ऐसे खाते के लिए खरीद या बिक्री को प्रभावित करता है जिसमें वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप्ज्ञ से रूचि रखता है, तो इसकी दृष्टि से खरीद या बिक्री अत्यधिक है। घटक या उसके स्वयं के साधन और वित्तीय संसाधन या ऐसी वस्तु/सुरक्षा के लिए बाजार को ध्यान में रखते हुए;
छ. समझौता : यदि यह किसी सदस्य की निजी विफलता में शामिल होता है या संविदा/वस्तुओं में लेनदेन से उत्पन्न किसी सदस्य द्वारा देयऋण के निपटान में पूर्ण और वास्तविक धन से कम भुगतान स्वीकार करता है;
ज. अस्वीकृत चेक : यदि यह किसी अन्य सदस्य या अपने घटकों को एक चेक जारी करता है जो किन्हीं कारणों से प्रस्तुतिकरण पर अस्वीकृत हो जाता है;
झ. घटकों के साथ व्यापार करने में विफलता : यदि यह सम्बद्ध प्राधिकारी की राय में अपने घटकों के साथ प्रतिबद्ध लेनदेन करने में विफल रहता है;
ञ. निवेश पर सुनिश्चित निश्चित रिटर्न : यदि यह निवेश, पोर्टफोलियों प्रबंधन सेवाओं आदि पर निश्चित रिटर्न सुनिश्चत करने की प्रकृति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी गतिविधि में शामिल होता है;
ट. असंतोषजनक वित्तीय स्थिति : जब सम्बद्ध प्राधिकारी की राय में यह ऐसी वितेय स्थिति में है कि इसे अपने लेनदारों या एक्सचेंज को सुरक्षा के साथ व्यापार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

iii गैर–पेशेवर आचरण : सदस्यों को निम्नलिखित या मसान कार्यो या चूकों में से किसी के लिए गैर–पेशेवर आचरण का दोषी माना जाएगा :

क. वस्तुओं/प्रतिभूतियों में व्यापार जिसमें लेनदेन की अनुमति नहीं है : यदि यह उन संविदाओं/वस्तुओं में लेनदेन करता है जिनमें लेनदेन की अनुमति नहीं है;
ख. चूककर्ता घटक के लिए व्यवसाय : यदि यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यवसाय करता है या लेनदेन करता है या किसी ऐसे घटक के लिए आदेश निष्पादित करता है जो उसके ज्ञान के भीतर

वस्तस्तुओं/प्रतिभूतियों से संबंधित कार्यों को पूरा करने में विफल रहा है और किसी अन्य सदस्य के लिए चूककर्ता है, जब तक कि उस सदस्य के साथ संतोषजनक व्यवस्था जो इसका ऋणदाता है, ऐसे घटक ने ऐसा नहीं किया हो;

ग. निलंबल के लिए व्यवसाय : यदि पहले सम्बद्ध प्राधिकारी की सहमति प्राप्त किए बिना या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप्ज्ञ से किसी दिवालिया या दिवालिया व्यक्ति के साथ या उसके लिए किसी भी व्यावसाय में रूचि रखता है या उससे जुड़ा है, भले ही ऐसे व्यक्ति ने दिवाला न्यायालय से अपना अंतिम मुक्ति प्राप्त कर लिया हो;

घ. निलंबंन के दौरान अनुमति के बिना व्यापार : यदि सम्बद्ध प्राधिकारी की अनुमति के बिना यह अपने स्वयें के खाते पर या प्रिंसिपल के खाते पर किसी सदस्य के साथ या उसके माध्यम से उस अवधि के दौरान व्यापार करता है जो सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा एक्सचेंज पर व्यापार को निलंबित करने के लिए आवश्यक है;

ड .निलंबित, निष्कासित और चूककर्ता सदस्यों के लिए या उनके साथ व्रूापार : यदि सम्बद्ध प्राधिकारी की विशेष अनुमति के बिना यह किसी ऐसे सदस्य के साथ या उसके साथ दलाली साझा करता या व्यापार करता है जिसे निलंबित, निष्कासित या चूककर्ता घोषत किया गया है;

च. अन्य सदस्यों के कर्मचारियों के लिए व्यवसाय : यदि यह ऐसे नियोजित सदस्य की लिखित सहमति के बिना किसी अन्य सदस्य के अधिकृत प्रतिनिधि के लिए या उसके साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यवसाय करता है या उसके लिए आदेश निष्पादित करता है;

छ. एक्सचेंज कर्मचारियों के लिए व्यवसाय : यदि यह एक सट्टा लेनेदेन करता है जिसमें एक्सचेंज का कोई कर्मचारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रूचि रखता है;

ज. विज्ञापन : यदि यह सदस्यों द्वारा विज्ञापन के लिए सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा जरी दिशानिर्देशों, यदि कोई हो, के विपरीत विज्ञापन करता है;

झ. मार्जिन आवश्यकताओं की चोरी : यदि यह जानबूझकर सम्बद्ध प्राधिकारी और/या उप–विधियों और व्यावसायिक नियमों द्वारा निर्धारित मार्जिन आवश्यकतओं से बचता है या बचने का प्रयास करता है या चोरी करने में सहायता करता है;

ट. खरीदने या बेचने या सौदा करने के लिए निषिद्ध संस्थाओं के साथ लेनदेन : यदि यह अपने व्यवसाय के दौरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष्ज्ञ रूप से किसी ऐसी इकाई के साथ या उसके लिए कोई व्यवसाय करता है, जिसे सेबी ने कमोडिटी बाजार में खरीदने या बेचने या सौदा करने से प्रतिबंधित किया है।

iv कपटपूर्ण और अनुचित व्यापार आचरण

क. कोई भी ट्रेडिंग सदस्य फर्जी तरीके से सुरक्षा संविदाओं की खरीद, बिक्री या लेनदेन नहीं करेगा या बाजार में हेरफेर सहित किसी भी अनुचित व्यापार प्रथाओं में शामिल नहीं होगा;

ख. उपरोक्त खंड में निहित प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई भी व्यक्ति बाजार में हेरफेर में शामिल नहीं होगा, अर्थात् :

i. सुरक्षा संविदाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लेनदेन को प्रभावित करना, भाग लेना या प्रवेश करना, जिसका सुरक्षा संविदाओं की कीमत को कृत्रिम रूप से बढ़ाने या कम करने या स्थिर करने का प्रभाव होने की संभावना है;

ii. किसी भी कार्य में शामिल होना, जिसका उद्देश्य सुरक्षा बाजार में व्यापार का गलत या भ्रामक स्वरूप तैयार करना हो या जिसके परिणामस्वरूप लेनदेन के आधार पर सुरक्षा संविदाओं की कीमतें प्रतिबिंबित हों, जो वास्तविक व्यापार लेनदेन नहीं हैं; या

iii. किसी भी वस्तु सुरक्षा को खरीदने या बेचने का उद्देश्य लाभकारी स्वामित्व के हस्तांतरण को प्रभावित करना नहीं है, बल्कि सुरक्षा संविदाओं के बाजार मूल्य को बनाए रखने, बढ़ाने, दबाने या उतार–चढ़ाव पैदा करने के लिए एक उपकरण के रूप में है; या

iv. कमोडिटी संविदाओं/सुरक्षा संविदाओं के बाजार मूल्य को बनाए रखने, बढ़ाने, दबाने या उतार–चढ़ाव पैदा करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ सुरक्षा में किसी भी संविदा को खरीदने या बेचने के लिए किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भुगतान, प्रस्ताव या भुगतान करने के लिए सहमत होना।

ग. कोई भी व्यक्ति ऐसा बयान नहीं देगा, या ऐसी जानकारी का प्रसार नहीं करेगा जो किसी विशेष रूप से भ्रामक हो, जिससे अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रतिभूति संविदाओं की बिक्री को प्रेरित करने की संभावना हो या प्रतिभूति संविदाओं के बाजार मूल्य को बनाए रखने या स्थिर करने का प्रभाव पड़ने की संभावना हो, यदि, जब वह जानकारी बनाता या प्रसारित करता है :

i. उसे इसकी परवाह नहीं है कि बयान या जानकारी सही है या गलत ;

ii. वह जानता है या उचित रूप से जानना चाहिए कि कथन या जानकारी सामग्री में गलत या भ्रामक है।

घ. कोई सदस्य नहीं करेगा

i. अपने व्यवसाय के दौरान किसी भी कार्य, अभ्यास में संलग्न होना, जो किसी भी प्रतिभूतियों/संविदाओं की खरीद या बिक्री के संबंध में किसी भी व्यक्ति पर धोखाधड़ी या धोखाधड़ी के रूप में कार्य करेगा; या

ii. कमोडिटी वायदा/प्रतिभूतियों में समान संविदाओं के लिए अपने घटक या उसकी कंपनी या निदेशक के आदेश के निष्पादन तक अपनी ओर से या उससे जुड़े किसी व्यक्ति की ओर से प्रतिभूतियों/संविदाओं में खरीदना, बेचना या सौदा करना; या

iii. हस्तांतरिती के नाम पर वस्तुओं/प्रतिभूतियों या प्रतिभूतियों/संविदाओं के हस्तांतरण में देरी जिसके परिणामस्वरूप वस्तुओं/प्रतिभूतियों या प्रतिभूतियों में संविदाओं की कीमत बढ़ जाती है; या

iv. किसी भी ऑफ–मार्केट ट्रेड, अवैध ट्रेड, एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के बाहर किए गए ट्रेड या एससीआरए के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों और सेबी अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के तहत निषिद्ध किसी भी गतिविधि में शामिल होना या एक्सचेंज की प्रासंगिक उप–विधि, नियम और विनियम।

v. उसकी पुस्तकों, खातों और अभिलेखों में हेराफेरी करना; या

vi. जब एक एजेंट के रूप में कार्य करते हुए किसी घटक के साथ लेनदेन को उस कीमत के अलावा किसी अन्य कीमत पर निष्पादित किया जाता है जिस पर इसे एक्सचेंज पर निष्पादित किया गया था या उस कीमत के अलावा जिसे किसी अन्य घटक के लेनदेन के खिलाफ प्रतिसंतुलित किया गया था; या

vii. या तो किसी घटक के आदेश के विपरीत स्थिति लेगा या एक्सचेंज द्वारा निर्धारित तरीके को छोड़कर दो घटकों के संबंध में उसके द्वारा रखे गए विपरीत आदेशों को निष्पादित करेगा।

v. साझेदारों, एजेंटों और कर्मचारियों के लिए ट्रेडिंग सदस्य की जिम्मेदारी

एक ट्रेडिंग सदस्य अपने अधिकृत अधिकारियों, एटार्नियों, एजेंटों अधिकृत प्रतिनिधियों और कर्मचारियों के मृत्यों और चूक के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा और यदि ट्रेडिंग सदस्य द्वारा ऐसा कोई कार्य या चूक की जाती है तो सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा ऐसा माना जाएगा। एक्सचेंज की उप–विधियों, नियमों और विनियमों में दिए गए किसी भी दंड के अधीन होगा, तो ऐसी ट्रेडिंग सदस्य उसी सीमा तक उसी दंड के लिए उत्तरदायी होगा जैसे कि अपने आप में ऐसा कार्य या चूक किया गया था या छोड़ा गया था।

11. सदस्य का निलंबन/निष्कासन

i. मार्जिन जमा और/या पूंजी पर्याप्तता आवश्यकताएं प्रदान करने में विफलता पर निलंबन

सम्बद्ध प्राधिकारी को एक ट्रेडिंग सदस्य से अपने व्यवसाय को निलंबित करने की आवश्यकता होगी जब वह उप–विधियों, नियमों और विनियमों में प्रदान किए गए मार्जिन जमा और/या पूंजी पर्याप्तता मानदंडों को पूरा करने में विफल रहता है और व्यवसाय का निलंबन तब तक जारी रहेगा जब तक वह आवश्यक मार्जिन प्रस्तुत नहीं करता है। जमा करें या पूंजी पर्याप्तता आवश्यकताओं को पूरा करें। सम्बद्ध प्राधिकारी इस प्रावधान का उल्लंघन करने वाले ट्रेडिंग सदस्य को निष्कासित कर सकता है।

ii. व्यवसाय का निलंबन

सम्बद्ध प्राधिकारी को किसी ट्रेडिंग सदस्य से अपने व्यवसाय को आंशिक या पूर्ण रूप से निलंबित करने की आवश्यकता हो सकती है :

क. पूर्वग्रहपूर्ण व्यवसाय : जब सम्बद्ध प्राधिकारी की राय में, ट्रेडिंग सदस्य प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री करके या बाजार के संतुलन को बिगाड़ने या लाने के उद्देश्य से प्रतिभूतियों को खरीदने या बेचने की पेशकश करके एक्सचेंज के लिए प्रतिकूल तरीके से व्यापार करता है। हतोत्साहन की एक स्थिति जिसमें कीमतें बाजार मूल्यों को उचित रूप से प्रतिबिंबित नहीं करेंगी, या

ख. अनुचित व्यवसाय : जब सम्बद्ध प्राधिकारी की राय में यह अनुचित व्यवसाय में संलग्न होता है या अपने घटक के खाते के लिए या किसी ऐसे खाते के लिए खरीद या बिक्री को प्रभावित करता है जिसमें वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रूचि रखता है, जो खरीद या बिक्री उसके घटक या उसके खाते के मद्देनजर अत्यधिक होती है स्वयं के साधन और वित्तीय संसाधन या ऐसी सुरक्षा के लिए बाजार को ध्यान में रखते हुए, या

ग. असंतोषजनक वित्तीय स्थिति : जब सम्बद्ध प्राधिकारी की राय में यह ऐसी वित्तीय स्थिति में है कि इसे अपने लेनदारों या एक्सचेंज को सुरक्षा के साथ व्यापार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

iii. निलंबन हटाना

उपरोक्त खंड ii के तहत व्यवसाय का निलंबन तब तक जारी रहेगा जब तक सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा ट्रेडिंग सदस्य को ऐसी जमा राशि का भुगतान करने पर या ऐसा कार्य करने पर या ऐसी चीज प्रदान करने पर व्यवसाय फिर से शुरू करने की अनुमति नहीं दी जाती है जिसकी सम्बद्ध प्राधिकारी को आवश्यकता हो सकती है।

उल्लंघन के लिए जुर्माना
यदि कोई ट्रेडिंग सदस्य इस प्रावधान के उल्लंघन में कार्य करता है, तो उसे अपने व्यवसाय को निलंबित करने की आवश्यकता होती है, उसे सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा निष्कासित कर दिया जाएगा।

ट्रेडिंग सदस्य और अन्य को गवाही देनी होगी और जानकारी देनी होगी। एक ट्रेडिंग सदस्य को अपने साझेदारों, अटार्नियों, एजेंटों, अधिकृत प्रतिनिधियों और कर्मचारियों को सम्बद्ध प्राधिकारी या अन्य समिति (समितियों) या किसी अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर गवाही देनी होगी। एक्सचेंज उस ओर से अधिकृत है और सम्बद्ध प्राधिकारी के समक्ष या अन्य समिति (समितियों) या उस ओर से अधिकृत एक्सचेंज के किसी अधिकारी के समक्ष ऐसी किताबें, पत्राचार, दस्तावेज, कागजात और रिकॉर्ड या उसका कोई हिस्सा पेश करेगा जो उसके कब्जे में हो सकता है और जिसे पूछताछ या जांच के अधीन किसी भी मामले के लिए प्रासंगिक या भौतिक माना जा सकता है।

iv. निलंबन या निष्कासन से पहले स्पष्टीकरण

एक ट्रेडिंग सदस्य को निलंबित या निष्कासित होने से पहले सम्बद्ध प्राधिकारी के समक्ष बुलाए जाने और स्पष्टीकरण का अवसर देने का अधिकार होगा, लेकिन सभी मामलों में सम्बद्ध प्राधिकारी के निष्कर्ष अंतिम और निर्णायक होंगे।

v. अस्थायी निलंबन

क. उपरोक्त खंड (iv) में जो कुछ भी है, उसके बावजूद यदि प्रबंध निदेशक की राय में ऐसा करना आवश्यक है, तो वह लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, निलंबन की कार्यवाही पूरी होने तक अस्थायी रूप से एक ट्रेडिंग सदस्य को निलंबित कर सकता है। सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा इस अध्याय के तहत, और ऐसे अस्थायी निलंबन के लिए सुनवाई की कोई सूचना की आवश्यकता नहीं होगी और ऐसे अस्थायी निलंबन के इस अध्याय के तहत निलंबन के समान परिणाम होंगे।

ख. ऐसे अस्थायी निलंबन के पांच कार्य दिवसों के भीतर ट्रेडिंग सदस्य को कारण बताओ का नोटिस जारी किया जाएगा।

ग. ऐसे किसी भी अस्थायी निलंबन को लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से प्रबंध निदेशक के विवेक पर रद्द किया जा सकता है, यदि प्रबंध निदेश कइस बात से संतुष्ट है कि अस्थायी निलंबन को प्रभावित करने के लिए प्रबंध निदेशक की राय बनाने वाली परिस्थितियां समाप्त हो गई हैं, मौजूद हैं या संतोषजनक ढंग से हल हो गई हैं।

घ. अस्थायी निलंबन से व्यथित एक ट्रेडिंग सदस्य सम्बद्ध प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है, बशर्ते कि ऐसी अपील स्वचालित रूप से अस्थायी निलंबन को निलंबित नहीं करेगी जब तक कि सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा अन्यथा निर्देशित न किया जाए।

vi. सेबी द्वारा पंजीकरण के निलंबन का प्रभाव

एक्सचेंज की किसी भी उप–विधि और नियम में निहित किसी भी बात के बावजूद, यदि किसी ट्रेडिंग सदस्य का पंजीकरण सेबी द्वारा निलंबित कर दिया जाता है, तो ऐसे ट्रेडिंग सदस्य को निलंबन की अवधि के लिए सेबी या जब तक ऐसा निलंबन लागू है, एक्सचेंज की ट्रेडिंग सदस्यता से निलंबित कर दिया जाएगा।

vii. जुर्माना लगाना

संबंधित प्राधिकारी द्वारा निलंबन का दंड, सभी या किसी भी सदस्यता अधिकार की वापसी, जुर्माना, निंदा या चेतावनी अकेले या संयुक्त रूप से दी जा सकती है। सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा निष्कासन का दंड दिया जा सकता है।

एक्सचेंज से निष्कासित सदस्य का पुनः प्रवेश निषिद्ध

एक्सचेंज का कोई भी सदस्य, जिसे शासी बोर्ड अथवा संबंधित प्राधिकरण द्वारा निष्कासित किया गया हो, किसी भी परिस्थिति में पुनः प्रवेश के लिए पात्र नहीं होगा, सिवाय इसके कि उसे एक्सचेंज की सदस्यता की निरंतर आवश्यकताओं का अनुपालन न करने के कारण निष्कासित किया गया हो ।

viii. दंड का पूर्व निर्धारण

सम्बद्ध प्राधिकारी के पास दंड, किसी भी निलंबन की अवधि, विशेष सदस्यता अधिकारों की वापसी और किसी भी जुर्माने की राशि को पूर्व–निर्धारित करने की शक्ति होगी जो उल्लंघन, गैर–अनुपालन, अवज्ञा, अवहेलना या चोरी पर लगाया जाएगा। एक्सचेंज की उप–विधि, नियम या विनियम या एक्सचेंज के किसी भी संकल्प, आदेष, नोटिस, निर्देश, निर्णय या नियम, संबंधित प्राधिकारी या एक्सचेंज की किसी अन्य समिति या अधिकारी द्वारा अधिकृत उस ओर से।

ix. कानूनी प्रतिनिधित्व के लिए अनुमति आवश्यक

किसी भी व्यक्ति को सम्बद्ध प्राधिकारी या किसी अन्य समिति के समक्ष किसी भी जांच या सुनवाई में अटार्नी, वकील, अधिवक्ता या अन्य प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि सम्बद्ध प्राधिकारी अनुमति न दे।

x. जुर्माना और जुर्माने का भुगतान करने में विफलता

यदि कोई ट्रेडिंग सदस्य एक्सचेंज द्वारा लिखित में नोटिस दिए जाने के बाद सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर निर्धारित अवधि के भीतर उस पर लगाए गए किसी भी जुर्माने या जुर्माना का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसे सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा तब तक निलंबित किया जा सकता है जब तक वह ऐसा नहीं करता है। भुगतान और यदि समय–समय पर निर्धारित अतिरिक्त अवधि के भीतर वह ऐसा भुगतान करने में विफल रहता है तो उसे सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा निष्कासित किया जा सकता है।

xi. निलंबन/निष्कासन के बदले में बोर्ड का विवेक

क. बोर्ड या सम्बद्ध प्राधिकारी अपने पूर्ण विवेक से किसी भी मामले में निष्कासन के बदले में एक्सचेंज के किसी सदस्य को निलंबित कर सकता है या एक या किसी भी सदस्यता अधिकार को वापस ले सकता है या निलंबन या निष्कासन के बदले में जुर्माना लगा सकता है और कर सकता है। निर्देश दें कि एक्सचेंज के दोषी सदस्य की निंदा की जाए या उसे चेतावनी दी जाए या वह ऐसे किसी भी नियम और शर्तों पर जुर्माना कम कर सकता है या माफ कर सकता है जो वह उचित और न्यायसंगत समझे।

ख.बोर्ड या सम्बद्ध प्राधिकारी अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या संबंधित एक्सचेंज के सदस्य की अपील पर पुनर्विचार कर सकता है और सभी या किसी भी सदस्यता अधिकार को वापस लेने या किसी भी सदस्य पर जुर्माना लगाने, निंदा करने या चेतावनी देने के अपने संकल्प को रद्द, अदला–बदली या संशोधित कर सकता है। इसी तरह से बोर्ड या सम्बद्ध एक्सचेंज के किसी भी सदस्य को निलंबित करने के अपने संकल्प को रद्द या संशोधित कर सकता है।

बशर्ते कि जहां पूर्वोक्त कोई भी निष्कासन, निलंबन या अन्य जुर्माना सेबी, सरकार या अन्य प्राधिकारी द्वारा अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए निर्देशों के अनुसार लगाया जाता है, तो बोर्ड या सम्बद्ध प्राधिकारी/सम्बद्ध प्राधिकारियों की पूर्व मंजूरी के बिना, इसे रद्द करने या संशोधित करने की शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा।

xii. एक्सचेंज के सदस्य के निलंबन का प्रभाव

एक्सचेंज के सदस्य के निलंबन में निम्नलिखित होंगे :

क. एक्सचेंज के निलंबित सदस्य को, उसके निलंबन की अवधि के दौरान, एक्सचेंज की सदस्यता के सभी अधिकारों और विशेषाधिकारों से वंचित और बाहर रखा जाएगा, लेकिन उसके द्वारा किए गए किसी भी अपराध के लिए बोर्ड या सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। उनके निलंबन से पहले या बाद में और बोर्ड को इन प्रावधानों, उप–विधियों, नियमों और विनियमों के तहत उनके खिलाफ किए गए किसी भी दावे का संज्ञान लेने और उस पर निर्णय लेने या उससे निपटने से रोका नहीं जाएगा;

ख. निलंबन एक्सचेंज और/या एक्सचेंज के अन्य सदस्यों के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा जो एक्सचेंज के निलंबित सदस्य के लेनदार हैं;

ग. निलंबन से एक्सचेंज के निलंबित सदस्य द्वारा धारित किसी कार्यालय या पद में रिक्ति पैदा हो जाएगा;

घ. एक्सचेंज का निलंबित सदस्य अपने निलंबन के समय बकाया संविदाओं को पूरा करने के लिए बाध्य होगा; और

ड. एक्सचेंज का निलंबित सदस्य, अपने निलंबन की अवधि के दौरान, एक्सचेंज में किसी भी संविदा को समाशोधित और पंजीकृत नहीं करेगा, बशर्ते कि वह बोर्ड की अनुमति से उसका निलंबन एक्सचेंज के अन्य सदस्यों के माध्यम से उस समय बकाया लेनदेन को बंद कर सकता है।

xiii. एक्सचेंज के किसी सदस्य के निष्कासन का प्रभाव

एक्सचेंज के किसी सदस्य के निष्कासन के निम्नलिखित परिणाम होंगे :

क. एक्सचेंज का निष्कासित सदस्य एक्सचेंज की सदस्यता के अपने अधिकारों और एक्सचेंज के सदस्य के रूप में अपने सभी अधिकारों और विशेषाधिकारों को जब्त कर लेगा, जिसमें किसी भी संपत्ति या फंड के उपयोग या उस पर कोई दावा या कोई हित शामिल है, गारंटी निधि सहित एक्सचेंज; लेकिन एक्सचेंज के ऐसे किसी भी सदस्य का एक्सचेंज या एक्सचेंज के किसी भी सदस्य के प्रति कोई भी दायित्व जारी रहेगा और उसके निष्कासन से अप्रभावित रहेगा;

ख. नामांकन का अधिकार एक्सचेंज/बोर्ड में निहित होगा और एक्सचेंज के निष्कासित सदस्य द्वारा इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा;

ग. निष्कासन से एक्सचेंज के निष्कासित सदस्य द्वारा धारित किसी भी कार्यालय या पद में एक रिक्ति पैदा हो जाएगी;

घ. निष्कासन एक्सचेंज और एक्सचेंज के सदस्यों के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा जो एक्सचेंज के निष्कासित सदस्य के लेनदार हैं; और

ड. एक्सचेंज का निष्कासित सदस्य अपने निष्कासन के समय बकाया लेनदेन और दायित्वों को पूरा करने के लिए बाध्य होगा और वह बोर्ड या सम्बद्ध प्राधिकारी की अनुमति से एक्सचेंज के किसी अन्य सदस्य के साथ या उसके माध्यम से ऐसे बकाया लेनदेन को बंद कर सकता है;

च. चूककर्ता की घोषणा के निम्नलिखित परिणाम :

चूक से संबंधित नियमों, उप–विधियों और व्यावसायिक नियमों/विनियमों के प्रावधान एक्सचेंज से निष्कासित सदस्य पर लागू होंगे जैसे कि ऐसे सदस्य को चूककर्ता घोषित किया गया है।

छ. कोई भी सदस्य निष्कासित सदस्य के लिए या उसके साथ व्यापार नहीं करेगा या उसके साथ दलाली साझा नहीं करेगा।

xiv. बोर्ड एक्सचेंज के किसी सदस्य के निलंबन, निष्कासन और चूक को सूचित करेगा

संबंधित एक्सचेंज के सदस्य और आम तौर पर एक्सचेंज के सदस्यों को एक्सचेंज के नोटिस बोर्ड पर या ट्रेडिंग सिस्टम पर एक नोटिस द्वारा, व्यापार के निष्कासन या निलंबन या निलंबन की सूचना दी जाएगी। एक्सचेंज के किसी सदस्य द्वारा या उस पर या उसके साझेदारों, एटार्नियों, एजेंटों, अधिकृत प्रतिनिधियों या अन्य कर्मचारियों पर लगाया गया कोई अन्य जुर्माना। बोर्ड या सम्बद्ध प्राधिकारी अपने पूर्ण विवेक से और ऐसे तरीके से, जैसा वह उचित समझे, एक्सचेंज के सदस्यों और एक्सचेंज के सदस्यों या जनता को सूचित कर सकता है या सूचित करवा सकता है कि कोई भी व्यक्ति जिसका नाम ऐसी अधिसूचना में है, निष्कासित कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है, दंडित किया गया है, या चूककर्ता घोषित कर दिया गया है या अपना व्यवसाय निलंबित कर दिया है या एक्सचेंज का सदस्य बनना बंद कर दिया है। ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन या संचालन के लिए एक्सचेंज या बोर्ड या सम्बद्ध प्राधिकरण या बोर्ड के किसी सदस्य या एक्सचेंज के किसी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी भी परिस्थिति में कोई कार्रवाई या अन्य कार्यवाही नहीं की जाएगी।

12. अपवाद खण्ड

क. नियमों, उप–विधियों और विनियमों (नए नियमों, उप–विधियों और विनियमों) में शामिल कुछ भी उन नियमों, उप–विधियों और विनियमों (पुराने नियमों, उप–विधियों और विनियमों) को प्रभावित नहीं करेगा जो नए से पहले लागू और संचालन में थे। नियम, उप–विधियों और विनियम किसी भी सौदे और/या संविदाओं, अर्जित और उत्पन्न अधिकारों तथा दायित्वों, कार्रवाई/यों, निर्णयों, शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही, लंबित, निर्णय या लंबित और/या निर्णय की गई किसी भी कार्यवाही के संबंध में लागू हुए आदि और ऐसे सभी मामले पुराने नियमों, उप–विधियों और विनियमों के तहत शासित होते रहेंगे।

ख. नए नियमों, उप–विधियों और विनियमों के लागू होने के बाद किए गए और/या निष्पादित किए गए सभी सौदे और/या संविदा और उनके अनुसार उत्पन्न होने वाले अधिकारों, कर्तव्यों, दायित्वों, कार्यों की कार्यवाही सहित सभी मामले नए नियमों के अधीन होंगे और एक्सचेंज के नियम, उप–विधि और विनियम और समय–समय पर एक्सचेंज/सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा जारी परिपत्र/निर्देश द्वारा शासित होंगे।

ग. स्पष्टीकरण प्रदान करने की शक्ति

पुराने नियमों, उप–विधियों और विनियमों या नए नियमों, उप–विधियों और विनियमों के प्रावधानों को लागू करने में किसी कठिनाई की स्थिति में या पुराने नियमों, उप–विधियों और विनियमों और नए नियमों, उप–विधियों और विनियमों के बीच टकराव की स्थिति में यदि परिस्थिति की मांग हो तो एक्सचेंज के पास स्पष्टीकरण प्रदान करने की शक्ति है और ऐसा स्पष्टीकरण अंतिम और सभी व्यक्तियों पर बाध्यकारी होगा।

घ. पुराने नियमों, उप–विधियों और विनियमों के प्रावधानों का संदर्भ

नए नियमों, उप–विधियों और विनियमों के लागू होने पर, पुराने नियमों, उप–विधियों और विनियमों के प्रावधानों के किसी भी संदर्भ को नए नियमों, उप–विधियों और विनियमों में दिए गए संबंधित प्रावधानों के संदर्भ में माना जा सकता है, जब तक कि संदर्भ को अन्यथा आवश्यकता होती है।